C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. II, First Session, 2019/1941 (Saka)
No.11, Monday, July 01, 2019 / Ashadha 10, 1941 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 121 to 130	10-68
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.131 to 140	69-95
Unstarred Question Nos.1342 to 1571	96-694

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

REFERENCE BY THE SPEAKER
National Doctors Day 695

PAPERS LAID ON THE TABLE 697-709

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER
Message from President 710

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 710

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 58th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance
Shri Dharmendra Pradhan 711

SUBMISSION BY MEMBER

Re : Adverse effect on agricultural land and livelihood of farming community due to reported permission given to ONGC to dig wells in the Cauvery delta 712-716

MATTERS UNDER RULE 377 741-770

(i) Need to abolish GST on pulses and rice
Shri Mitesh Patel (Bakabhai) 742

(ii) Need to accord approval to the proposed Anandnagar – Maharajganj – Ghughli railway line in Uttar Pradesh

Shri Pankaj Chaudhary 743

(iii) Regarding payment of money to beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin in Chhattisgarh

Shri Santosh Pandey 744

(iv) Need to expedite setting up of railway wagon repair workshop in Dalmianagar, Rohtas district, Bihar

Shri Chhedi Paswan 745

(v) Need to establish a Government Women College at Sahjanwa in Gorakhpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ravi Kishan 746

(vi) Need to provide adequate medical facilities in AIIMS, Patna, Bihar

Shri Janardan Singh Sigriwal 747

(vii) Need to take stringent action to stop increasing incidents of rape and murder of minor girls in Bhopal, Madhya Pradesh

Sadhvi Pragya Singh Thakur 748

(viii) Need to run a new train between Farrukhabad and Hazrat Nizamuddin, Delhi

Shri Mukesh Rajput 749

(ix) Regarding reported violence in West Bengal

Shrimati Locket Chatterjee 750

(x) Need to shut down slaughter houses in Unnao Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Dr. Swami Sakshiji Maharaj 751

(xi) Need for conservation of 'Khejri' tree in Rajasthan

Shri Devaji Patel 752

(xii) Regarding challenges posed by climate change

Shri Ramesh Chander Kaushik 753

(xiii) Need to implement AMRUT scheme in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shrimati Jaskaur Meena 754

(xiv) Need to construct pucca roads in tribal inhabited reserve forest areas in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat

Shri Mansukhbhai Dhanjibhai Vasava 755

(xv) Regarding improvement of airport terminal and operation of domestic and international Flight Services from Surat Airport, Gujarat

Shrimati Darshana Vikram Jardosh 756

(xvi) Regarding unethical medical practices by drug manufacturing companies

Shri P. P. Chaudhary 757

(xvii) Need to establish a Sainik School/Military School in Jabalpur Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Rakesh Singh 758

(xviii) Regarding problems faced by students in availing education loan from banks

Adv. Dean Kuriakose 759

(xix) Regarding Central Assistance to KBK Region of Odisha

Shri Saptagiri Sankar Ulaka 760-761

(xx) Need to increase wages of Anganwadi and ASHA workers and helpers

Shrimati Aparupa Poddar 762

(xxi) Need to take measures to provide better and safe environment to women and girls in the society

Shri Raghu Rama Krishna Raju 763

(xxii) Need to provide funds for rejuvenation of river Valdhuni in Maharashtra.

Dr. Shrikant Eknath Shinde 764

(xxiii) Need to provide financial assistance to Odisha to set up cyclone resistant power distribution network

Shri Bhartruhari Mahtab 765-766

(xxiv) Regarding plastic waste management.

Shri Ritesh Pandey 767

(xxv) Need to develop and improve telecommunications connectivity in Lakshadweep.

Shri Mohammed Faizal P.P. 768

(xxvi) Regarding plight of fishermen of Ramanathapuram Parliamentary Constituency of Tamil Nadu

Shri K. Navaskani 769

(xxvii) Regarding TikTok and its affiliates posing a threat to the country

Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu 770

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN TEACHERS' CADRE) ORDINANCE AND CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN TEACHERS' CADRE) BILL,2019 771-884

Motion to Consider 771-775

Shri Adhir Ranjan Chowdhury 771, 776-786, 882-883

Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank 771-775, 875-881

Shri Vishnu Dayal Ram 787-793

Shri A. Raja 794-804

Shrimati Pratima Mondal 805-809

Shri N. Reddeppa 810-812

Shri Vinayak Bhaurao Raut 813-816

Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan' 817-819

Shri Bhartruhari Mahtab	820-823
Shrimati Supriya Sadanand Sule	824-828
Shri Ganesh Singh	829-833
Shri Nama Nageswara Rao	834-835
Shri Ram Mohan Naidu Kinjarapu	836-838
Shrimati Anupriya Patel	839-842
Shri Hanuman Beniwal	843-846
Dr. Pritam Gopinathrao Munde	847-849
Shri E.T. Mohammed Basheer	850-852
Shri Tapir Gao	853-855
Shri N.K. Premachandran	856-860
Shri P.R. Natarajan	861
Shri Praveen Kumar Nishad	862-863
Adv. Ajay Bhatt	864-866
Shri Ritesh Pandey	867-868
Shri Kodikunnil Suresh	870-872
Dr.Thol Thirumaavalavan	873-874

Clauses 2 to 6 and 1 884

Motion to pass 884

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 900

Member-wise Index to Unstarred Questions 901-904

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 905

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 906

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER
Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shrimati Meenakshi Lekhi

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

SECRETARY GENERAL
Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Monday, July 01, 2019 / Ashadha 10, 1941 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR) : Hon. Speaker, Sir…..(interruptions)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको जीरो अवर में बोलने का मौका दिया जाएगा **।**

…(व्यवधान)

11.01hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER : Q.No.121, Shri Kaushlendra Kumar.

(Q. 121)

श्री कौशलेन्द्र कुमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है।…(व्यवधान) मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे संसदीय क्षेत्र में भी विकास के लिए कई बार प्रयास किया है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको जीरो अवर में एलाऊ करूंगा।

…(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा प्रश्न है कि भारत सरकार की 'प्रसाद योजना' पार्ट-टू के तहत नालंदा एवं बोधगया के पर्यटक स्थलों के विकास के लिए केन्द्र के आदेशानुसार बिहार सरकार ने पत्रांक संख्या-225, दिनांक 21 मार्च, 2018 को विकास के लिए जो प्रस्ताव भेजा है, क्या सरकार उसको मंजूरी देने जा रही है?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वास्तव में बिहार सरकार की तरफ से दिनांक 13.02.2018 को एक संशोधित नोट आया है। 'प्रसाद योजना' में जो भी निर्णय होता है, वह राज्य सरकार के प्रस्ताव के बाद विचार-विमर्श करके होता है। चूंकि, नालंदा 'बौद्ध सर्किट' में शामिल कर लिया गया है और हमारे पास राज्य सरकार से प्रस्ताव आया है। निश्चित रूप से, उस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई होगी।

श्री कौशलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दूसरा सप्लिमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में राजगीर और पावापुरी एवं कई पर्यटक स्थल हैं। वहां पर विश्व भर से पर्यटक आते हैं। इतना ही नहीं, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, जहां देश-विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं। वहां आर्मी की ट्रेनिंग सेंटर है, बिहार पुलिस अकादमी है, आयुध कारखाना है, बगल में कोच कारखाना, हरनौत है, वहां देश-विदेश से लोग आते हैं, लेकिन वहां पर सरकार की कोई पांच सितारा होटल नहीं है। कई छोटे-छोटे होटल्स हैं, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नालंदा में आप पर्यटकों की सुविधा के लिए पांच सितारा होटल खोलना चाहते हैं।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह काम मंत्रालय नहीं करता है। हमारे पास आईटीडीसी था। सरकार की नीति के तहत हम कोई नया होटल नहीं बना रहे हैं, लेकिन जनसुविधाएं बढ़ें, राज्य सरकार उस पर विचार करे।...(व्यवधान) अगर राज्य सरकार अपने स्तर पर या किसी प्राइवेट पार्टनर के साथ इनिशिएशन करते हैं, भारत सरकार ने जो नीति तय की है, वह नीति पूर्व से है। पिछले पांच वर्षों में वह नीति लगातार सतत् जारी रही है। इसलिए इस पर मेरा कहना ठीक नहीं होगा। वहां जनसुविधाएं बढ़ें, वह स्थान अच्छा है, यह बात सही है।

SHRIMATI APARUPA PODDAR : Sir, in my constituency at Daspur-1 Block, in Paschim Medinipur, there is a place known as Narajole Raj Bari which has a historical importance and many leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Netaji Subhas Chandra Bose, Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar and Khudiram Bose have visited this area many times. So, as our commitment and respect to the patriots of this country, will the hon. Minister answer whether the Government would sanction fund for developing Narajole Raj Bari and make it a heritage tourist spot?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, भारत सरकार की जो पर्यटन नीति रही है, उसमें हम दो योजनाएं 'प्रसाद योजना' एवं 'स्वदेश दर्शन' चलाते हैं। इन दोनों योजनाओं में राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आते हैं। माननीय सदस्या ने जो प्रश्न पूछा है, मेरी जानकारी में राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव हमें प्राप्त नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो योजनाएं हैं, चाहे 'प्रसाद योजना' हो या 'स्वदेश दर्शन' हो, उनकी गति बहुत धीमी है। यदि राज्य सरकार कोई प्रस्ताव देगी, तो मंत्रालय उस पर जरूर विचार करेगा।

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष जी मूल प्रश्न 'घ' से मेरा प्रश्न संबंधित है, जिसमें देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने जो योजना बनाई है, उसमें घरेलू पर्यटन के संवर्द्धन का है। दूसरा विदेशी पर्यटकों के लिए बाजारों में उसके विपणन का है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहां कनेक्टिविटी न होने के कारण पर्यटकों की कमी होती है, जैसे खजुराहो पर्यटन स्थल है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी कम होने के कारण यहां बहुत कम यात्री आ पाते हैं। इसी तरह से हमारे प्रदेश में ओरछा, चित्रकूट, पन्ना, वाइट टाइगर सफारी सतना, कान्हा, अमरकंटक, बाणसागर आदि पर्यटक स्थल हैं। ये ऐसे स्थान हैं, जहां लाखों की संख्या में पर्यटक आते तो हैं, लेकिन इन जगहों को आज तक टूरिस्ट सर्किट में जोड़ा नहीं गया है।

महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इन स्थानों को राष्ट्रीय टूरिस्ट सर्किट में शामिल कर इन स्थानों पर ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे, ताकि वहां अधिक से अधिक पर्यटक आ सकें?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : महोदय, जहां तक खजुराहो का सवाल है, हमारे मंत्रालय के अलावा भी यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। पिछले पांच वर्षों में मोदी सरकार के समय जो सर्किट बने हैं, उनमें खुजराहो सर्किट में है और यह हेरिटेज सर्किट में भी है। पुरातत्व दृष्टि से भी जो

महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनमें भी है और वैसे भी यूनेस्को की लिस्ट में भी वह है। यह बात सही है कि वहां हवाई जहाज की समस्या है। वाणिज्य मंत्रालय भी चैम्पियन सेवा क्षेत्र में काम करता है। ऐसे अनेक मंत्रालयों से जुड़ी हुई चीजें पर्यटन मंत्रालय नहीं करता, लेकिन पर्यटन मंत्रालय उन रिक्तताओं को भरने की कोशिश करता है, जहां कोई गैप रहा है। माननीय सदस्य जो समस्या हमारे ध्यान में लाए हैं, उस बारे में हमारा मंत्रालय संबंधित मंत्रालय से जरूर सम्पर्क करेगा।

श्री राजीव प्रताप रूडी: महोदय, बिहार से संबंधित सवाल है, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। बिहार भगवानों की धरती रही है और सिख धर्म गुरु गोबिन्द सिंह जी का जन्म वहां हुआ। भगवान बुद्ध को गया में मोक्ष मिला। भगवान महावीर को पावापुरी में मोक्ष मिला। वहां विक्रमशीला प्रसिद्ध स्थान है। बिहार एक प्रकार से पावन धरती है। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि बिहार सरकार की तरफ से वर्षों से एक प्रस्ताव लम्बित है, जो गज ग्राह युद्ध, सोनपुर है, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध मेले के लिए जाना जाता था। वहां का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित है। इस जगह को वैशाली से जोड़ना, आमी से जोड़ना, चिरांद से जोड़ना है। 'स्वदेश दर्शन' योजना में यह प्रस्ताव बिहार सरकार से आया हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव पर, जो बिहार और विशेष कर मेरे संसदीय क्षेत्र का प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित है, क्या क़दम उठाने जा रहे हैं? जितने भी महत्वपूर्ण सर्किट्स जैसे बौद्ध सर्किट है, वे समाप्त हो गए हैं। क्या सरकार का नए सर्किट लेने का प्रस्ताव है, जो सरकार के पास लम्बित है?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : महोदय, जहां तक बुद्धिस्ट सर्किट का सवाल है।

श्री राजीव प्रताप रूडी : सिर्फ बुद्धिस्ट सर्किट का सवाल नहीं है।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने मार्गों की बात कही है, वाराणसी-गया, गोरखपुर-कुशीनगर, कुशीनगर-गया, गया-कुशीनगर। जितने भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध कन्क्लेव

हुए हैं, उनमें वाराणसी-बोद्धगया, 2012 और दो साल बाद बोद्धगया और सारनाथ और वर्ष 2016 में सारनाथ और बोद्धगया और अब वर्ष 2018 में दिल्ली-अजंता- बोद्धगया और सारनाथ, मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर रहा हूं कि बौद्ध सर्किट के अलावा जितने भी बिहार में स्थान है, वहां पर्याप्त मात्रा में काम हुआ है। माननीय सदस्य ने कहा है कि राज्य सरकार से प्रस्ताव भेजा गया है, मैं इसे जरूर देख लूंगा।

(Q. 122)

श्री रामदास तडस : महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार सीएसआर का धन नहीं खर्च करने वाली लगभग 285 कम्पनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का फैसला किया है। यदि हाँ, तो अब तक कितनी कम्पनियों पर कार्रवाई की गई है तथा क्या निजी क्षेत्र के कम्पनियों को भी सही ढंग से सीएसआर फंड का उपयोग करने का कोई सुझाव सरकार ने दिया है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, कॉरपोरेट सोशल रेस्पांसिबिलिटी को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। वर्ष 2013 में यह बिल पास हुआ था, तो वर्ष 2014-15 से इसको लागू किया गया। कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में इसमें बहुत सुधार हुए हैं। बहुत-सी कंपनियाँ इसके दायरे में आई हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की भी कम्पनियाँ हैं। यदि कुल मिलाकर देखा जाए, तो वर्ष 2014-15 में 16785 कम्पनियों ने 10,065 करोड़ रुपये खर्च किये, वर्ष 2016-17 में 21470 कम्पनियों ने 14,242 करोड़ रुपये खर्च किये। खर्चे लगातार बढ़े हैं। जहाँ तक कार्रवाई करने की बात है, तो हर कम्पनी की एक डिसक्लोज़र बेस्ड स्कीम है। हर कम्पनी की जो सीएसआर कमेटी होती है, उसके अनुरूप बोर्ड को लागू करना होता है। शेड्यूल-7 के अंतर्गत जितने क्षेत्र दिये हुए हैं, जहाँ-जहाँ पैसे खर्च किये जा सकते हैं, उनको भी आप लार्ज़ली इंटरप्रेट कर सकते हैं। कम्पनियों ने उस दिशा में पैसे खर्च भी किये हैं और जिन कम्पनियों ने पैसे खर्च नहीं किए हैं, यदि आप वर्ष 2014-15 के आँकड़े देखें, तो 366 केसेज में सैंक्शन के लिए अप्रूवल दी गई है। इसके बाद हमने सेन्ट्रलाइज स्क्रूटनी एंड प्रोसिक्यूशन मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया। इसमें हमने इनको नोटिसेज देने शुरू किये। 5,382 कम्पनियों को इसके अंतर्गत नोटिसेज दिये गये। जिन्होंने सटिस्फैक्ट्री जवाब दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और जिन्होंने सटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिए हैं, उनके खिलाफ सेक्शन 134(VIII) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।

श्री रामदास तडस : माननीय अध्यक्ष जी, जिन जिलों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ कार्यरत हैं, उन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय हित को ध्यान में रखकर सीएसआर फण्ड का उपयोग करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया जाए। इसके साथ ही, मेरे संसदीय क्षेत्र वर्धा, जहाँ पर पेयजल की बहुत दिक्कत है, वहाँ पर बहुत-सी कम्पनियाँ हैं, तो वहाँ पर सीएसआर फण्ड से पेयजल की व्यवस्था करने की मंत्री महोदय कृपा करें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, इसके खर्च में सरकार का सीधे रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह कम्पनियों को स्वयं करना है। शेड्यूल-7 के अंतर्गत वे सारे कार्य दिये हुए हैं, जहाँ पर पैसे खर्च किये जा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा पैसा महाराष्ट्र में खर्च किया गया है, जो लगभग 14 प्रतिशत है।

जहाँ माननीय सदस्य के किसी स्पेसिफिक केस की बात है, तो कम्पनियों को यह भी कहा गया है कि सीएसआर के तहत जो भी पैसे खर्च करने हैं, वे अपने कार्य-क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में ही किए जाएँ।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ, जिनकी सरकार में मानकों को पूरा किया जा रहा है।

कोई भी कम्पनी किसी क्षेत्र में स्थापित होती है, तो वहाँ की जमीन जाती है, वहाँ के पानी का दोहन होता है, वहाँ का रॉ-मटिरियल लिया जाता है, वहाँ के लोगों को पॉलूशन झेलना पड़ता है। पिछले चार-पाँच वर्षों में सीएसआर से काम बहुत ही विस्तृत पैमाने पर हुआ है। लेकिन कई कम्पनियाँ ऐसी हैं, जो किसी संस्थान या एनजीओ को पैसे ट्रांसफर कर देती हैं।

जो कम्पनियाँ किसी संस्थान या एनजीओ को पैसा ट्रांसफर कर देती हैं, जिसके कारण जिस क्षेत्र में पैसा लगने चाहिए, वहाँ नहीं लग पाता है। पूरे देश भर में और मेरे संसदीय क्षेत्र में भी कुछ

फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं, जिनका केमिकल पानी में मिल जाता है और उस पानी को पीने के कारण पशुधन जीवित नहीं रह पाते हैं।

ऐसे टीएसपी क्षेत्रों, जैसे जावर माइंस से दरिबा का क्षेत्र है, में ऐसी कोई इंडस्ट्री है, जो कम से कम वहाँ के लोगों को पीने के पानी के लिए, चूकि जलस्तर बहुत कम हुआ है, तो वहाँ पर आरओ प्लांट लगाने की कोई व्यवस्था हो सके, ताकि आने वाले समय में, जहाँ पैसा एनजीओ के माध्यम से खर्च हो रहा है, वहाँ पीने के पानी को प्रायरिटी में रखा जाए, क्या सरकार ने इसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार किया है?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। पीने के पानी की कमी और पानी का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। जहां तक कंपनियों की बात है, उन सबका प्रयास भी यही रहना चाहिए कि उसी क्षेत्र में ज़्यादा काम किया जाए, जहां उनका कार्य क्षेत्र है।

माननीय सांसद महोदय अगर उन कंपनियों के अधिकारियों से बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इस समस्या का हल होगा। अगर कोई उस पैसे को खर्च नहीं करता है, तो इसमें बड़ा सीधा क्लॉज़ है। किसी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो, इमिडिएट प्रिसीडिंग इयर का प्रॉफिट पांच करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से ज़्यादा हो या कंपनी की नेट वर्थ एक हज़ार करोड़ रुपये हो, इस तरह से उसके मापदंड तय कर रखे हैं। इनको जितना पैसा मिलता है, उसमें से इनको हर साल दो परसेंट पैसा खर्च करना है। मैंने शेड्यूल-7 में पैसे के पूरे नियम पहले बताये हैं। इसको एक लार्जर पिक्चर के रूप में देखा जाता है कि उस क्षेत्र में क्या-क्या पैसा खर्च किया जा सकता है। अगर माननीय सदस्य का कोई स्पेसेफिक कार्य है, अगर वह उसे लिखित रूप में हमें देंगे, तो उस पर जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह हम करेंगे।

SHRI T. N. PRATHAPAN : Hon. Speaker, Sir, there is a lot of corruption in the way Corporate Social Responsibility funds are being spent by many corporate institutions; especially some private non-banking financial institutions are cheating the public and the Government by channelling their CSR funds to their own charity initiatives. What they actually do is transfer the CSR funds to line their own pockets. My question is whether the Government will get this issue investigated by a Central agency to curb such corporate institutions who cheat with CSR funds.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, हर कंपनी को अपने एक साल की एनुअल रिटर्न में यह फाइल करना होता है कि उसने किस क्षेत्र में वह पैसा खर्च किया है। सैक्शन-8 के तहत कंपनी हो, उसको भी पैसा दे सकते हैं, ट्रस्ट हो, उसको भी पैसा दे सकते हैं और सोसायटी हो, उसको भी पैसा दे सकते हैं। राज्य, केन्द्र के कानून के अनुसार कोई ऐसा प्रावधान हो, तो उसके अनुसार भी पैसा खर्च कर सकते हैं। कहीं पर कोई गलत पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है।

अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले कहा वर्ष 2014-15 के 366 केसों में प्रॉसिक्यूशन सैंक्शन करने के निर्देश जारी किए गए। 5382 केसेज़ में 'कॉल फॉर इंफॉर्मेशन' के नोटिस दिए गए हैं। इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई होती है। जो अधिकारी इसमें शामिल है, उसको तीन साल तक की सजा हो सकती है, 50 हज़ार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का फाइन उस अधिकारी पर लग सकता है और कंपनी को 50 हज़ार रुपये से लेकर 25 लाख रुपये तक का फाइन किया जा सकता है। इसके बहुत कड़े मापदंड हैं। माननीय सदस्य का यदि कोई स्पेसेफिक केस हो, तो वे हमें उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Hon. Speaker, Sir, the CSR was created under the leadership of Dr. Manmohan Singh during the UPA. The whole intention of this exercise was to make sure that the poor people get some deserving help. In my own State, I will give an example of Raigarh district where Rashtriya Chemical Fertilizers is there. They give money everywhere but in Alibag and Raigarh. The hon. Minister in his reply said that the whole idea of starting the CSR was to ensure that the local people get help. Can the hon. Minister make some intervention in this? We are not against them giving money to any backward district. But at the same time, can we have focused programmes which will also help in encouraging local talent?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, शेड्यूल-7 में क्षेत्र बताए गए हैं। स्थानीय स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा खर्च हो सकता है, वह भी तय है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं खर्च हुआ है, तो वह महाराष्ट्र में 14 प्रतिशत खर्च हुआ है। जबकि बाकी पहाड़ी राज्य और नॉर्थ-ईस्ट के राज्य कहते हैं कि उनको पैसा नहीं मिल पाता है। यूपी, बिहार को उतना पैसा नहीं मिल पाता है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है।

अध्यक्ष जी, हैल्थ, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। हैल्थ के क्षेत्र में लगभग 25-35 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ, एजुकेशन के क्षेत्र में 29-35 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 10-11 प्रतिशत पैसा खर्च हुआ है। हाल ही में एनवायर्नमेंट और एनिमल के क्षेत्र में भी ज़्यादा पैसा खर्च होना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि अपने-अपने क्षेत्रों में पैसा खर्च हो रहा है। इसमें और सुधार के लिए सेक्रेट्री की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है।

इस कमेटी में 10-11 सदस्य हैं। मैं आपको उसकी सूची भी दे सकता हूं। इसमें और क्या गुणात्मक सुधार किये जा सकते हैं, अलग-अलग स्टैंडिंग कमेटीज़ ने इस पर अपने सुझाव पहले भी दिए हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए वर्ष 2017 में इसमें बदलाव किया गया था। यदि इसमें आगे और सुधार करने होंगे, तो वे सुधार करने के लिए भी हम तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर - 123, श्री विष्णु दयाल राम।

(Q.123)

श्री विष्णु दयाल राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत द्वारा आई.ए.आई.एस. के एम.एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने से देश को, यहां के बीमा ग्राहकों और बीमा कंपनियों को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुए हैं?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, International Association of Insurance Supervisors, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो वर्ष 1994 में बनी थी। यह कोई सरकारी संस्था नहीं है, यह स्विटजरलैण्ड बेस्ड संस्था है, जिसको मूल रूप से mutual co-operation and information exchange के लिए बनाया गया था। इसके इस्टैब्लिश करने के पीछे कारण यह था कि to promote effective and globally consistent supervision of the insurance industry and ensuring policyholders' protection and contributing to the global financial stability.. इसमें मल्टीलेट्रल एम.ओ.यू. साइन भी किया गया, वह उसमें जानकारी आदान-प्रदान करने के लिए है, ग्लोबल सिस्टम सेट करने के लिए है कि किस तरह से पॉलिसीज बनाई जाएं। बाकी देशों में क्या उसकी जानकारी आपको मिली है? भारत भी इसका सदस्य बना। जब एक्सेशन के लिए जो भी बदलाव करने थे, वे भारत सरकार की ओर से किए गए। उसके बाद हम इसके सदस्य बने। 140 देशों के लगभग 200 ज्यूरिस्डिक्शन के सदस्य इसके हैं और भारत भी इसका एक सदस्य है। आई.आर.डी.ए. हमारे यहां की संस्था रेग्यूलेटरी अथॉरिटी है, वे इसके सदस्य हैं। समय-समय पर हमें जो जानकारियां वहां से चाहिए होती हैं, वे भी हमें आई.ए.आई.एस. से मिलती हैं। हमारे यहां पर जो उनकी ओर से ऑडिट होता है, जब वर्ष 2011 में लास्ट हुआ था, वह भी हमने करके दिया है।

श्री विष्णु दयाल राम : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या सरकार द्वारा उठाए गए कदम से वित्तीय बाजारों के एकीकरण को बढ़ाने में भारत सरकार की कोशिशों को सहायता मिलेगी?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप देखें तो कुल मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ है। मोदी जी की सरकार आने के बाद गरीब व्यक्ति को कभी इंश्योरेंस की सुविधा नहीं मिल पाती थी, उसको भी मात्र 12 रुपये में प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सुरक्षा बीमा मिला है और करोड़ों लोग इसके अंतर्गत आए हैं। जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत भी बहुत लाभ मिल पाया है। अगर आप पेनिट्रेशन के हिसाब से देखें, परसेंटेज के हिसाब से देखें तो जहां दुनिया भर में टोटल 6.13 परसेंट है, वहीं भारत में 3.69 परसेंट पेनिट्रेशन है । अगर यू.एस. डॉलर की दृष्टि से देखें तो हम लोग, 73 डॉलर यू.एस. डॉलर है तो दुनिया भर में 650 हैं। लेकिन भारत के कुल आंकड़े मिलाकर देखें, तो मुझे लगता है कि दो योजनाएं प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से गरीबों को भरपूर लाभ मिला है और इन्हें हजारों करोड़ रुपए के क्लेम्स भी मिले हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न 124 और 125 एक ही नेचर के हैं, तो हम इनको क्लब कर रहे हैं।

(Q. 124 and 125)

ADV. ADOOR PRAKASH : The official data confirms that unemployment in the country is at the highest level in 45 years. Unemployment doubled in the last two years but the Government cannot blame Nehru for this. The previous Government promised 10 million jobs a year but the achievement was zero. The young age group constitutes 40 per cent of the country's workforce. You have an unemployment rate of 32 per cent. According to the World Bank report, India needs to create 8.1 million jobs a year to maintain its employment rate but this declining situation is very worse. My question is whether the Government has prepared any masterplan for each sector of the economy for creation of more jobs and put in deadlines to achieve the goals.

श्री संतोष कुमार गंगवार : सर, माननीय सदस्य अभी जो कह रहे थे, जहां तक देश में रोजगार की स्थिति का प्रश्न है, कुछ ऐसी संस्थाएं समाचार देती हैं, जो पूरी तरह से सत्य नहीं होती हैं।…(व्यवधान) मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो प्रचार हुआ है, पिछले चुनाव में साबित हो गया है कि वह प्रचार पूरा सही नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि सीएमआई के हवाले से कहा गया है…(व्यवधान) कुछ ऐसी संस्थाएं …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज़ सिट डाउन।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके माननीय साथी को सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। Please sit down.

…(व्यवधान)

SHRI M. K. RAGHAVAN : He is misleading the House. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : इनकी कोई बात अंकित नहीं होगी।

… (व्यवधान)*

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। किंतु मैं इतना ही कह सकता हूं कि पिछले चुनावों ने इसको भ्रामक बताया और भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी के पक्ष में देश की महिलाओं और नौजवानों ने साथ दिया, वह इस बात का प्रमाण है कि हर क्षेत्र …(व्यवधान) इसमें एक तथ्य की ओर ध्यान…(व्यवधान) दिलाना चाहता हूं कि आईएलओ ने वर्ष 2018 में रोजगार संबंधी आंकड़े प्रकाशित किए थे। इसमें इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.5 परसेंट था, चीन में 4.7 था और एशिया पेसिफिक में 4.2 परसेंट था। वैश्विक बेरोजगारी दर 5.6 परसेंट रहने का अनुमान है। मैं समझता हूं कि विश्व में भारत की स्थिति सबसे बेहतर है। …(व्यवधान) हमारी सरकार इसके हिसाब से काम कर रही है और इसका प्रमाण दे रही है।…(व्यवधान) मैं एक तथ्य की ओर माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले 70 वर्षों से जो आंकड़े आ रहे थे, उन आंकड़ों में हमने बदलाव करने का फैसला लिया …(व्यवधान) कैसे अधिकतम स्थानों पर

---
* Not recorded.

जाकर हम जानकारी लें…(व्यवधान) सर, मैं यह बताना चाहता हूं कि जो सरकारी आंकड़े हैं। …(व्यवधान) सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ईएसआई में दस और प्रोविडेंट फण्ड में 20 से ऊपर के कर्मचारियों का रिकॉर्ड रहता है।…(व्यवधान) इस कारण ये भ्रामक बातें आती हैं। लेकिन, अब हम इसकी सत्यता में जाकर जांच करवा रहे हैं और जांच की रिपोर्ट की जानकारी हम सदन को देने का काम करेंगे।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको समय नहीं दिया है। आपके माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनको बता दीजिए।

ADV. ADOOR PRAKASH : The most worrying fact is the unemployment among the educated youth. The State of Kerala tops the list of unemployment among the educated young group. I would like to know whether the Government has any plan to assist the States with higher unemployment rate among the educated youth.

श्री संतोष कुमार गंगवार : राज्यों में भी श्रम मंत्रालय काम करता है। आपने सुझाव दिया है तो हम केरल सरकार से बात करेंगे और इस बारे में क्या कर सकते हैं, उसमें सहयोग करने का काम करेंगे।

SHRI PINAKI MISRA : I am grateful to you, hon. Speaker, Sir. I agree with Shri Adoor Prakash that unemployment today has really become a cancer for our society. मैं आज सुबह टीवी पर देख रहा था कि एक महिला को जिस तरह से लाठी से पीट रहे हैं…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री पिनाकी मिश्रा : यह सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आज डिग्री लेकर बच्चे घूम रहे हैं। उनके पास नौकरियां नहीं हैं। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, सिर्फ हजारों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, यह साफ है। बात करोड़ों के अनएम्प्लॉयमेंट की हो रही है और हजारों में जॉब क्रिएट हो रही है। मेरा मेन मुद्दा मंत्री जी से पूछने का है कि जब तक आप देश में प्राइवेट इनवेस्टमेंट नहीं करेंगे, पब्लिक इनवेस्टमेंट कभी भी उस तरह की नौकरियां नहीं दे पाएगा, सिर्फ मिनिईल लेबर की नौकरी मनरेगा में या दीनदयाल उपाध्याय स्कीम्स में लोगों को दे रहा है। इसलिए प्राइवेट इनवेस्टमेंट्स के जो रोड ब्लॉक्स हैं, प्रधान मंत्री जी इसकी कोशिश कर रहे हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में, स्टील, एल्यूमीनियम और जितने कोर सेक्टर्स हैं, जहां 20-20, 30-30 और 40-40 हजार लोग एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं, उसके लिए लैण्ड एक्वीजिशन प्रॉब्लम्स और लेबर रिफार्म्स पर सरकार क्या करने जा रही है, मेरा मेन सवाल यह है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि देश की 70 वर्षों की जो व्यवस्था थी और स्थायी नौकरी का जो हिसाब-किताब था, हम यह बोलते थे कि संगठित क्षेत्र में इस देश में स्थायी नौकरी 5 से 6 करोड़ के बीच में है। जब हम लोगों ने काम किया तो संगठित क्षेत्र में नौकरियों की संख्या पिछले तीन वर्षों में ईएसआाई और पीएफ दोनों में एक-एक करोड़ से अधिक बढ़ी है, ये इसके प्रमाण हैं।जहां तक असंगठित क्षेत्रों का काम है, वहां पर हम उसके हिसाब से काम करे रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जिस प्रकार से काम हो रहा है, रोड सेक्टर में इतना अधिक काम हो रहा है और वह सबको दिखाई भी दे रहा है कि वास्तव में एनएचआई के द्वारा पिछले पांच वर्षों 2014 से 2019 के बीच में रोड प्रोजेक्ट्स में हमने 40,000 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। इसमें 4,00,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, यह असंगठित क्षेत्र के काम हैं।

आपने अभी ध्यान दिया होगा कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स पूरे हुए हैं। इसमें 50,00,000 से अधिक मेनडेट सृजित हुए हैं। मैं इसके

अलावा यह भी बताना चाहूंगा कि 'मुद्रा योजना' के अंतर्गत करीब पौने नौ लाख करोड़ रुपयों को अट्ठारह करोड़ से अधिक खातों में दिया गया है। इसमें जिन लोगों ने काम किया है, उनकी संख्या नौ से कम थी। इसलिए उनका रिकार्ड हमारे पास नहीं है। हम इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कैसे इसकी एक विस्तृत जानकारी मिले और अगर एक से लेकर बीस तक भी कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट यहां पर आए। आपने जो सुझाव दिया है, हम उस सुझाव को संबंधित मंत्रालय को भेजने का काम करेंगे।

श्री पिनाकी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि दरअसल यह इनके मंत्रालय का मूल प्रश्न नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम भेजेंगे, इसलिए उनकी गलती नहीं है। मैं आपसे एक संरक्षण चाहता हूं कि सारी पार्टियां इसमें एकमत हैं। आप हाउस के अंदर रूल 193 पर स्पेशल डिस्कशन कराइए। एक लंबा डिस्कशन हो, ताकि इस पर सबके सुझाव आ सकें। मेरे ख्याल से सरकार को उससे बेनिफिट मिलेगा। मेरा यही एक सुझाव है।

माननीय अध्यक्ष : आप नोटिस दे दीजिएगा।

…(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया है कि बेरोजगारी की समस्या है। अगर आप रूल 193 पर अलाउ करेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है।…(व्यवधान)

(Q.126)

श्री राजकुमार चाहर : माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद की बटेश्वर नगरी की ओर दिलाना चाहता हूं। जो पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली है। जहां पर यमुना जी बहती हैं और शिव जी के 108 मंदिर हैं। वहां पर बृह्मलाल महाराज, भगवान शिव जी का विशाल मंदिर है, जिसकी पहचान ज्योर्तिलिंग की तरह है और जो तीर्थों के भांजे भी माने जाते हैं।

माननीय अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए।

श्री राजकुमार चाहर : अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, जैन धर्म के 22वें तीर्थांकर भगवान नैमीनाथ जी की जन्मस्थली भी है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि क्या बटेश्वर क्षेत्र के विकास और उसे पर्यटन नगरी बनाने के लिए सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है ? अगर नहीं बनाई है, तो मेरी यह मांग है कि उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए वहां कोई विशेष पैकेज दिया जाए।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न था, वह फतेहपुर सीकरी को लेकर था। उन्होंने मूल प्रश्न नहीं पूछा है, बल्कि एक नई बात श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली की कही है। यह स्वाभाविक है कि हम सबके लिए भी वह श्रद्धा और आस्था का केन्द्र है। जो बातें उन्होंने कही हैं, अगर उस पर एक बार राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया होगा, तो उस पर विचार किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहते हैं?

श्री राजकुमार चाहर : माननीय अध्यक्ष जी, फतेहपुर सीकरी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और वहां पानी की बहुत कमी है। वहां पर बहुत पहले तेरहमोरी बांध के नाम से एक जलाशय बनाया गया था,

जो अब बेकार हो चुका है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि उक्त स्थल पर पानी की कमी को दूर करने के लिए, वहां पर देश-विदेश का पर्यटक आकर ठहर सकें, उसके लिए एक तेरहमोरी के नाम से जलाशय बन जाए, एक बांध बन जाए, झील बन जाए, जिस प्रकार से उदयपुर और नैनीताल में है। इससे देश और दुनिया के पर्यटक वहां पर आएंगे और उनको एक मनमोहक स्थान मिलेगा, क्योंकि ताजमहल के बाद फतेहपुर सीकरी में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। अतः मेरी आपसे यही मांग है कि तेरहमोरी बांध पर एक बड़ा जलाशय बना दिया जाए।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, यह स्वाभाविक है कि माननीय सदस्य उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनकी जानकारी भी अच्छी और मजबूत होगी। मैं आपके माध्यम से उनको जानकारी देना चाहता हूं कि जिन 17 स्थलों का चयन आईकॉनिक साइट्स के रूप में हुआ है, उसमें फतेहपुर सीकरी है। पर्यटन मंत्रालय, प्रतिष्ठित पर्यटक स्थलों के विकास के लिए मास्टर प्लान/चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, अगर डीपीआर में उसका उल्लेख होगा, तो मंत्रालय उस पर बिल्कुल सकारात्मक तरीके से काम करेगा।

(Q.127)

श्री अनिल फिरोजिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि लौह इस्पात के मूल्य में वर्ष भर में दो बार वृद्धि होती है। गर्मी एवं बारिश में डिफरेंस आता है, जिससे जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके लिए माननीय मंत्री जी क्या कदम उठाने वाले हैं?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य का मूल प्रश्न स्क्रैप के ऊपर था। वह मूल्य तक पहुँच गए हैं, लेकिन दोनों विषयों पर मैं आपके माध्यम से सभा को अवगत कराना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, स्टील एक फ्री कमोडिटी है। एक बाजार आधारित बिक्री की वस्तु है। सरकार उसकी नीति तय नहीं करती है। बाजार की डिमांड एंड सप्लाई पर उसका मूल्य तय होता है। इम्पोर्ट भी होता है, दुनिया भर में स्टील एक इंटरनेशनल कमोडिटी भी है। विश्व की राजनीति स्टील के मूल्यों को लेकर, अभी चाइना और अमेरिका का जिस प्रकार का विवाद है, उससे भी प्रभावित होती है। लेकिन सरकार की यह निगरानी है कि देश में एक अत्यावश्यक चीज के नाते जैसे सामान्य लोगों को घर वगैरह बनाने की आवश्यकता रहती है, उस पर एक मोनोपॉली न हो, इस पर सरकार की दृष्टि है, लेकिन यह एक फ्री कमोडिटी है।

श्री अनिल फिरोजिया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि सरकार पूरे देश में इस्पात स्क्रैप स्वतंत्र इकाई है। इस पर नियंत्रण नहीं है। माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि इसमें नियंत्रण किसका है ? दूसरा, इस्पात में पिछले पाँच वर्षों में 10 किलो प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है। प्रधान मंत्री मोदी जी द्वारा भारत सरकार के बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर प्रतिबद्धता, मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटी अभियान से इस्पात की खपत प्रभावशाली रूप से बढ़ी है। इससे प्रतीत होता है कि प्रधान मंत्री

आवास, मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटी में वृद्धि हुई है और प्रभावशील काम चल रहे हैं। लेकिन इसमें नियंत्रण नहीं होने के कारण 10 किलो प्रति व्यक्ति खपत बढ़ी है, तो माननीय मंत्री जी यह बताएँगे कि इसमें नियंत्रण किसका रहेगा और इसके लिए भारत सरकार क्या-क्या कदम उठाने वाली है? कृपया मंत्री जी बताए?

श्री धर्मेन्द्र प्रधान : अध्यक्ष महोदय, स्क्रैप की एक नई पॉलिसी लाने के लिए, भारत में लोहा आयरन-ओर से बनता है, नहीं तो पुराने लोहे को फिर दोबारा मैल्ट करके, प्रोसेस करके बनाया जाता है। देश में कई प्रकार की सूरत में स्क्रैप मिलता है, विदेशों से भी इम्पोर्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं विनम्रता के साथ माननीय सदस्य को कहूँगा कि यह बाजार आधारित व्यवस्था है। सामान्य लोग ही उसको नियंत्रित करते हैं। ज़्यादा खरीद करेंगे तो उसकी आवश्यकता बढ़ेगी और उसके हिसाब से मूल्य तय होगा। हमारा रोल है कि मोनोपॉली न हो जाए, एकाधिकार न हो जाए, यह बढ़ न जाए, इसके ऊपर सरकार की निगरानी है, लेकिन नियंत्रण बाजार का है।

(Q.128)

SHRI M. K. RAGHAVAN : Hon. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

Sir, according to the 103rd Constitution Amendment 10 per cent reservation has been provided for the Economically Weaker Sections in educational institutions. It is clubbed with the RTE Act 2009 and all children should get free education. However, some of the provisions made in the EWS Bill are against the interest of the students from EWS in Kerala.

I would like to mention that the minimum area of residential plot should not be more than 109 yards which is around 2 cents of land. In Kerala, according to the Government policy, a minimum of 3 cents is required for construction of a house which usually measures around 1500 square feet built up area. Therefore, none of the EWS in Kerala is eligible under this Scheme.

So, I would like to know from the hon. Minister whether the Government would amend the provision made in the definition of EWS so that the children of Kerala and other similarly placed children could avail of this benefit.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न है, वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नहीं है। मूल प्रश्न है कि जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 है, शायद माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि जो अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार है, 2009 के एक्ट में गरीबों के लिए प्रावधान है कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों को 25 प्रतिशत

सीटें उस क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को देनी हैं। अनिवार्य शिक्षा के 2009 के अधिनियम के तहत उन्हें उस क्षेत्र के गरीब बच्चों को आरक्षण देना पड़ेगा, प्रवेश देना पड़ेगा।

श्रीमन्, इस अधिनियम के तहत लगातार ये प्रवेश दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ, वैसे तो इस एक्ट के अंदर यह प्रावधान वर्ष 2010 से ही था कि वे 25 प्रतिशत आरक्षण देंगे और उसकी प्रतिपूर्ति में केन्द्र भी राज्यों को मदद करेगा। मुझे यह बात कहते हुए खुशी होती है कि वर्ष 2010 से तो यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया। वर्ष 2012-13 से भी यह प्रावधान लागू नहीं हो पाया। जब माननीय मोदी जी की सरकार आई तो वर्ष 2014-15 से 16 राज्यों में 18 लाख बच्चों को इसका लाभ दिया गया। वर्ष 2014-15 में इसमें 18 लाख 10 हजार बच्चों का नामांकन हुआ। 250 करोड़ 65 हजार रुपये की इसको स्वीकृति दी। वर्ष 2015-16 में बच्चों की संख्या बढ़कर 24 लाख 22 हजार हो गई और सरकार ने 492.69 करोड़ रुपये इसके लिए स्वीकृत किए। वर्ष 2016-17 में बच्चों की संख्या बढ़कर 29 लाख 25 हजार हो गई और इसके लिए हमारी तत्कालीन मोदी जी की सरकार ने 510.05 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। अब वर्ष 2017-18 में बच्चों की संख्या बढ़कर 34.84 लाख हो गई और इसके लिए 1,398.27 करोड़ रुपये सरकार ने स्वीकृत किए।

श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि ये जो एक्ट लाए थे, उसका इतना अच्छा रिजल्ट निकला कि पिछले वर्ष 2018-19 में 41 लाख से भी अधिक बच्चों का इसमें नामांकन हुआ है। इसलिए यह एक्ट अपनी भावना को पूरे तरीके से प्रदर्शित करता है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं।

SHRI M.K. RAGHAVAN : Hon. Speaker, Sir, I would like to have a proper answer from the hon. Minister. What I raised here is that some of the provisions made in the EWS Bill are against the interest of the students under the EWS category from

the State of Kerala. I would like know the attitude of the Government about amending the provisions, particularly in the definition of EWS, to help the students of Kerala.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, इस अधिनियम के अनुसार ईडब्ल्यूएस की जो परिभाषा है, यह राज्यों को ही अपने यहाँ सुनिश्चित करनी होती है। यह राज्यों का विषय है।

SHRI M.K. RAGHAVAN : Sir, this is not the correct answer. How will the State Government decide about it?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बारे में जो भी संबंधित राज्य सुनिश्चित करेगा, वही होगा। यह एक्ट में प्रावधान है।…(व्यवधान)

SHRI M.K. RAGHAVAN : Sir, my second supplementary is this.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका सप्लीमेन्टरी प्रश्न हो गया है। अब आप बैठिए।

SUSHRI S. JOTHIMANI : Hon. Speaker Sir, thank you very much for allowing me to ask a supplementary question. The Government of Tamil Nadu has brought a conditional clause in the RTE which stipulates that students residing only within one-kilometre distance from the school will get admission in the school. Most of best schools are distant from the residential areas of the poor people. This conditional clause has made this important Act almost ineffective in the State of Tamil Nadu. I would like to know from the hon. Minister if there will be any intervention from the Ministry to remove this atrocious distance condition clause.

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, इस एक्ट में बहुत स्पष्ट उल्लेख है कि 1 किलोमीटर की परिधि में प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा और 3 किलोमीटर की परिधि में जूनियर हाई स्कूल खोला जाएगा। यदि वह 1 किलोमीटर से और अधिक दूर है तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकार को विद्यालय खोलने के लिए यह अधिनियम इजाजत देता है। 1 किलोमीटर के आगे जो विद्यालय होगा, राज्य सरकार उसे खोलेगी।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Hon. Speaker Sir, this is a very important question because Right to Free and Compulsory Education is an Act passed in 2010.

My learned friend, Shri M.K. Raghavan, has just rightly pointed out that most of the private schools, especially the CBSE schools in the country, are not implementing the policy of 25 per cent of reservation for Economically Weaker Sections of the society. I absolutely agree with what the hon. Minister has said that this is a State subject. It is in the Concurrent List also. Since the legislation was passed by the Parliament, I think, the Government of India or the Parliament has a role in this matter. Will the Government take a review of the entire situation prevailing in our country so as to make appropriate amendments to make it mandatory and compulsory and ensure that this Act is implemented in a proper way?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, जहां तक सी.बी.एस.ई. बोर्ड का सवाल है, इस देश में दो करोड़ छात्र सी.बी.एस. ई. बोर्ड के तहत पढ़ते हैं। जब तक स्कूंल्स उन कानूनों का परिपालन नहीं करते, तब तक कोई भी राज्य उसे सी.बी.एस.ई. बोर्ड का अनुमोदन नहीं करते और जब तक कोई भी

राज्य इसका अनुमोदन नहीं करेगा, तब तक सी.बी.एस.ई. बोर्ड उसे अपने से सम्बद्ध नहीं करता है। इसलिए यह अनिवार्य रूप में है कि यदि उस राज्य में सी.बी.एस.ई. बोर्ड का कोई स्कूल चल रहा होगा, तो यह जो वर्ष 2009 का अधिनियम है, उसे भी उस स्कूल को प्राथमिकता के आधार पर लागू करना और स्वीकार करना होगा, तभी राज्य सरकार उसे यहां भेजेगी।

श्रीमन्, जैसा कि प्रेमचन्द्रन जी ने कहा है, हमने यहां से बोर्ड से भी, आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को पूरा करने के सन्दर्भ में बोर्ड के सम्बद्ध उप-नियमों के अनुपालन के लिए दिनांक 31.05.2018 को एक प्रपत्र फिर से जारी किया है कि सभी सी.बी.एस.ई. बोर्ड के स्कूल्स इसे लागू करें।

(Q. 129)

श्रीमती रमा देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी से मैं निजी क्षेत्र में बैंक द्वारा ऋण की गैर कानूनी रूप से वसूली के सम्बन्ध में पूछना चाहती हूं, जो अपना स्तर गिरा चुका है, जो पहले से ही इस तरह का काम कर रहा था, उसमें हमारे बहुत सारे काम रुके हुए हैं। लोग बैंकों के द्वारा ऋण लेते हैं, जैसे हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा हमारे जो बेरोजगार छात्र हैं, जो रोजगार करना चाहते हैं, उन्हें रोजगार करने के लिए जो सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, वे सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं और उसमें दिक्कतें आती हैं। जितने समय में लोन देना चाहिए, उसमें समय की बर्बादी होती है। मैं यह जानना चाहती हूं कि इसमें कैसे सुधार किया जाए?

हालांकि, इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब दिया है। इन्होंने सारे नियम-कानून बताए हैं, लेकिन इन नियम-कानूनों का पालन करने के लिए क्या आपने इसकी ऑडिट कराई है? अगर कराई है तो इसकी ऑडिट में इसकी कितनी गलतियाँ निकली हैं क्योंकि इस कार्य को करने में आपको सुविधा मिलती है या नहीं, यह तो ऑडिट कराने के बाद ही पता चलता है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्या बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, जमीन से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने जनता से जुड़ी समस्या को उठाया भी है। आर.बी.आई. की जो गाइडलाइन है, वह साफ तौर पर कहती है कि प्री-इम्प्लॉयमेंट जो पुलिस वेरिफिकेशन है, वह वेरिफिकेशन भी रिकवरी एजेंट्स की होनी चाहिए। इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस के द्वारा जो 100 घंटे का मॉड्यूल बनाया गया है, उसके थ्रू उन्हें जाना पड़ता है और उसकी जो परीक्षा है, उसे पास करना उनके लिए अनिवार्य है। उसके बाद जब इनकी नियुक्ति रिकवरी एजेंट्स के रूप में की जाती है, तब वह गलत तरीका न अपनाए, इसके लिए भी आर.बी.आई. ने स्पष्ट तौर पर कहा है –

"The said circular also advises banks to ensure that their contracts with the recovery agents do not induce adoption of uncivilised, unlawful and questionable behaviour in the recovery process."

इसमें स्पष्ट है कि इस तरह का उसमें कोई क्लॉज न हो, लेकिन क्या प्रैक्टिकल तौर पर यह दिक्कत आती है? कहीं न कहीं दिक्कत होगी, तभी माननीय सदस्य ने उठाया है। जब ऐसी कम्प्लेन्ट्स आती हैं, on the non-observation of the RBI guidelines by the engagement of the recovery agents, इस बारे में, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि रिकवरी एजेन्ट्स के द्वारा आरबीआई की गाइडलाइन की कुल मिलाकर 255 कम्प्लेन्ट्स नॉन आब्ज़र्वैशन पाई गई, यह सन् 2018-19 की बात है। इनमें से 31 कम्प्लेन्ट्स को सैटल कर दिया गया है। उसमें कम्प्लेनेन्ट ने इसके बारे में माना भी है। इसके अलावा, जो 58 कम्प्लेन्ट्स हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। जो 165 कम्प्लेन्ट्स हैं, उनको स्कीम के क्लॉज 93 के अंतर्गत नॉन मैन्टेनेब्ल पाया गया है। इसके बारे में मैंने पूरी जानकारी रमा देवी जी को दे दी है।

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहती हूं कि जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट विजिलेन्स कमेटी की बैठक बुलाते हैं, उसमें अधिकतर बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, उनको आना चाहिए, लेकिन वे ऐब्सेन्ट रहते हैं। जनता की जो तकलीफ होती है, उसको हम लोग वहां तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: अध्यक्ष जी, फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया। मैं स्वयं चौथी बार का सांसद हूं। जो समस्या रमा देवी जी ने झेली है, उसे मैंने कई वर्षों तक स्वयं देखा है। अगर इस तरह की कोई दिक्कत किसी भी माननीय सदस्य के सामने आती है, क्योंकि अब आप अपनी मीटिंग लेना शुरू करेंगे, कहीं पर भी इस प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे भी संपर्क करें और हम भी

बैंकों को निर्देश देंगे, ताकि आपकी कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहें, कोई वहां से न जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री गिरिधारी यादव – अनुपस्थित।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ।

…(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : पिछले आठ वर्षों से 'दिशा' कमेटी की मीटिंग मेरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुई। मैं उसका चेयरमैन हूं। आप तो बैंक ऑफिशियल को भेजेंगे, लेकिन अगर मीटिंग ही नहीं होगी, तो क्या करेंगे?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बंगाल के हालात पर बोला है। बंगाल में जो हालात हैं, उसके बारे में बताया है। सारे देश को पता है कि बंगाल में क्या-क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि इसके बारे में वहां के राज्य सरकार बताएगी।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY : Sir, recovery of loans, whether in Government Sector or Private Sector, is a huge problem. What is being found is that the bouncers are deployed for the recovery of loans. These bouncers and musclemen normally rush to the small loan takers and not to the big people. Big people leave the country.

So, I would like to know whether the deployment of bouncers is approved by the Government of India. Has the Minister approved of the deployment of bouncers?

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत वरिष्ठ भी हैं और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। क्या यह बाउंसर की स्थिति केवल बंगाल में है ? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज एक मिनट, कोई भी माननीय सदस्य इस प्रकार से बैठे-बैठे टिप्पणी नहीं करेगा।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: कोई भी माननीय सदस्य किसी भी सदस्य के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करेगा।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: यह समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश भर में है। आपने जो बात उठाई कि क्या मस्लमैन का उपयोग किया जाता है, क्या बाउंसर्स का उपयोग किया जाता है? अगर आपने मेरे पहले उत्तर को ध्यान से सुना होगा तो उसमें बड़ा स्पष्ट कहा गया है। आरबीआई के गाइडलाइन्स के अंतर्गत प्री पुलिस वैरिफिकेशन जरूरी है, सौ घंटे का मॉड्यूल जो इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैंस ने तैयार किया, उसको पास करके रिकवरी एजेन्ट्स नियुक्त किए जाते हैं और नियुक्त करने के बाद भी उनको ड्यू नोटिस देने के बाद रिकवरी करनी होती है। हर बैंक ने ओम्बुड्समैन अपने राज्य में लगाया है और उसको चार तरह के, सबसे पहला है कि अगर किसी को कोई कम्प्लेन करनी है, किसी ने पैसा नहीं दिया, बैंक सुनवाई नहीं करता है तो स्थानीय बैंक को उसे पहले अपनी एक कम्प्लेंट देनी है। अगर स्थानीय बैंक उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है, तब वह वहां पर जा सकता है। स्थानीय बैंक उसको रिजेक्ट कर देता है, तब भी वह ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है। उसके खिलाफ निर्णय करता है, तब भी वह ओम्बुड्समैन के पास जा सकता है।

ओम्बुड्समैन के पास इतनी पॉवर है कि वह बीस लाख रुपये तक का फाइन बैंक के ऊपर लगा सकता है। यह पूरा बड़ा क्लियर गाइडलाइंस में दे रखा है। किसी मसलमैन को नियुक्त करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है।

(Q. 130)

श्री जगदम्बिका पाल : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभारी हूं कि बहुत दिनों बाद आज हम सदन में दसवां क्वैश्चन पूछ रहे हैं। निश्चित तौर से इस सदन में हम आपके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। समय बहुत कम है, यह बहुत महत्वूपर्ण क्वैश्चन है।

देश के तमाम राज्यों में, जो बौद्ध परिपथ हैं या बौद्ध सर्किट है, जो हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है और प्रधान मंत्री जी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से बौद्ध दर्शन को, आज पूरी दुनिया उसको स्वीकार कर रही है, अंगीकार कर रही है, उसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बौद्ध परिपथ का विस्तार क्या देश के अन्य राज्यों में किया जाएगा? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बौद्ध परिपथ, बौद्ध धम्म या बौद्ध दर्शन से जुड़े हुए 4 महत्वपूर्ण स्थान हैं, वाराणसी में सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु उनका जन्म स्थान, सिद्धार्थ नगर और श्रावस्ती, जहां पर वे बसंत ऋतु मास में रहा करते थे।...(व्यवधान) बोधगया तो महत्वपूर्ण है ही, इन पांचों को मिला कर हम लोगों की मांग इसके पहले भी थी कि जब एक तरफ बौद्ध परिपथ का विकास कर रहे हैं, तो दुनिया के तमाम मुल्क जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, चाहे वह श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, बैंकाक हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, जापान हो, कोरिया हो, इनके पर्यटक यहां आते हैं। इनके आने के लिए एक कनेक्टिविटी, बौद्ध परिपथ के निर्माण की बात है। क्या बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ, कपिलवस्तु और श्रावस्ती को लखनऊ से फोर लेन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है? इनकी शुरू से मांग रही है कि बौद्ध धर्म के जो आने वाले लोग हैं, उनको एयर कनेक्टिविटी हो या पवन हंस की सुविधा हो। कुशीनगर में एक एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। सारनाथ में है, श्रावस्ती में छोटा है, बोधगया में बड़ा है, तो क्या आप एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे? प्रश्न के उत्तर में आया है कि हमारी सरकार ने 33-33 करोड़ रुपये उन स्थलों के विकास के लिए दिए हैं।

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने मोदी सरकार का धन्यवाद किया है और करना भी चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं कि कपिलवस्तु उसमें शामिल है। जो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है, उसमें मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में बौद्ध परिपथ है – सांची, सतना, रीवा, मंदसौर और धार का विकास। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ है, इसमें श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु हैं। बिहार में बोधगया, बिहार मायासरोवर का पश्चिमी तट, गुजरात में स्वदेश दर्शन स्कीम है। …(व्यवधान) मुझे लगता है कि गुजरात में है, आंध्र में है। बौद्ध सर्किट इन 5 राज्यों में है।

विकास की जो बात आपने पूछी है, जहां कनेक्टिविटी का सवाल है, मैंने पहले भी उत्तर में कहा था कि वाराणसी-गया, वाराणसी-गोरखपुर-कुशीनगर, कुशीनगर-गया और गया-कुशीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसको अपडेट कर रहा है। आपने इसे लखनऊ से जोड़ने की जो बात कही है, उसे मैं एनएचएआई के मंत्रालय को पहुंचाउंगा।

दूसरी बात, आपने हवाई सेवाओं की बात कही है। उड़ान योजना के तहत एक योजना बनी हुई है, जिस पर क्रियान्वयन चल रहा है। जैसे ही वह होगा, मैं आपको जानकारी दूंगा।

श्री जगदम्बिका पाल : कपिलवस्तु में एक राष्ट्रीय संग्रहालय बना हुआ है। यहां बहुत से पर्यटक आते हैं। जो बुद्ध का अस्थि कलश है, कास्केड है, वह दिल्ली में रखा हुआ है और ये 2 हैं। इसका बहुत दिनों से प्रस्ताव है कि कपिलवस्तु जो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, उस राष्ट्रीय संग्रहालय में, जो भारत सरकार का है, उसमें अगर रखा जाए, तो निश्चित तौर से उस परिपथ पर आने वाले लोगों को वहीं पर दर्शन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी? क्या माननीय मंत्री जी इस पर आश्वासन देंगे?

श्री प्रह्लाद सिंह पटेल: अध्यक्ष जी, इसमें आश्वासन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी योजना के लिए राज्य सरकार की भी मंशा होगी, तो उस पर मंत्रालय विचार करेगा।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न काल में एक क्वैश्चन और पूछ सकते हैं। आप संक्षिप्त में पूछें।

श्री जी. एम. सिद्देश्वरा - उपस्थित नहीं।

माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल समाप्त।

12.00 hrs

REFERENCE BY THE SPEAKER

National Doctors Day

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): अध्यक्ष महोदय, आज हम सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। बंगाल के मुख्य मंत्री डॉ. बिधान चन्द्र रॉय जिनका जन्म 1 जुलाई, 1882 और मृत्यु 1 जुलाई, 1962 को हुई थी, यानी उनका जन्म और मृत्यु का दिन 1 जुलाई था, उनको 1961 में भारत रत्न से नवाजा गया था। लिजेनडरी डॉक्टर बिधान चन्द्र रॉय के सम्मान में आज सारे देश में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जा रहा है। इनका नारा ये है "the presence of the doctor is the beginning of the cure." मैं यह मुद्दा इसलिए उठाना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में डॉक्टर्स के साथ मरीजों का जिस तरह का संपर्क होना चाहिए, उसमें कई खामियां दिख रही हैं। आईए, हम सब मिलकर हिन्दुस्तान के डॉक्टर्स के साथ मरीजों का संपर्क एक रिश्तेदार की तरह बनाएं, इसके लिए कोशिश करें। डॉ. बिधान चन्द्र राय के नाम पर हिन्दुस्तान में एक सेंट्रल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो और दिल्ली में एक रोड को उनके नाम पर नामित किया जाए, यही मेरी दरख्वास्त है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जुलाई 01 को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टरों की भूमिकाओं, महत्व और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महान चिकित्सक डॉ. बिधान चन्द्र रॉय को सम्मानित करने, पूरे चिकित्सा पेशे को सम्मान देने और हमारे जीवन में डॉक्टरों का महत्व उजागर करने के लिए मनाया जाता है।

मैं इस मौके पर सदन की ओर से सभी को बधाई देता हूं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। यद्यपि ये मामले महत्वपूर्ण हैं, तथापि इनके लिए आज की कार्यवाही में व्यवधान डालना आवश्यक नहीं है । इन मामलों को अन्य अवसरों पर उठाया जा सकता है । इसलिए मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है ।

12.02hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STEEL (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

1. Memorandum of Understanding between the Indian Oil Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 54/17/19]

2. Memorandum of Understanding between the Balmer Lawrie and Company Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 55/17/19]

3. Memorandum of Understanding between the GAIL (India) Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 56/17/19]

4. Memorandum of Understanding between the Bharat Petroleum Corporation Limited and the Ministry of Petroleum and Natural Gas for the year 2019-2020.

[Placed in Library, See No. LT 57/17/19]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board, New Delhi, for the year 2017-2018.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 58/17/19]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 29 of the Petroleum Act, 1934:-

1. The Petroleum (Amendment) Rules, 2018 published in Notification No. G.S.R.762(E) in Gazette of India dated 10th August, 2018.

2. The Petroleum (Amendment) Rules, 2019 published in Notification No. G.S.R.384(E) in Gazette of India dated 29th May, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 59/17/19]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006:-

1. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Natural Gas Pipeline Tariff) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. PNGRB/COM/2-NGPL Tariff (3)/2019 in Gazette of India dated 27th May, 2019.
2. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Determination of Petroleum and Petroleum Products Pipeline Transportation Tariff) Amendment Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. PNGRB/M(C)/62/2019 in Gazette of India dated 24th April, 2019.
3. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for LPG Storage, Handling and Bottling Facilities) Regulations, 2019 published in Notification No. F. No. PNGRB/Tech/6-T4SLPG/(1)/2019 in Gazette of India dated 21st February, 2019.

[Placed in Library, See No. LT 60/17/19]

(6) A copy of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.395(E) in Gazette of India dated 31st May, 2019 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 61/17/19]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीटयूट, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीटयूट, नोएडा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 62/17/19]

(3) एम्पलाईज प्रोविडेंट फंड आरगेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 63/17/19]

(5) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):--

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 2019 जो 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 284(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी पेंशन (संशोधन) स्कीम, 2019 जो 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 285(अ) में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) एम्पलाईज डिपोजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (अमेंडमेंट) स्कीम, 2019 जो 4 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 286(अ) में प्रकाशित हुई थी।

[Placed in Library, See No. LT 64/17/19]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइब्ज, धर्मशाला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइब्ज, धर्मशाला के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एण्ड आर्काइब्ज, धर्मशाला के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 65/17/19]

(3) (एक) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 66/17/19]

(5) (एक) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्टस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्टस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्टस, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6)उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 67/17/19]

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते): अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 68/17/19]

(2) मीकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 69/17/19]

(3) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 70/17/19]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI SANJAY SHAMRAO DHOTRE): I beg to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the School of Planning and Architecture, New Delhi, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the School of Planning and Architecture, New Delhi, for the year 2017-2018.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 71/17/19]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Dr. B. R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar, for the year 2017-2018, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Dr. B. R. Ambedkar National Institute of Technology, Jalandhar, for the year 2017-2018.

(4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 72/17/19]

(5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Sarva Shiksha Abhiyan Madhya Pradesh, Bhopal, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Sarva Shiksha Abhiyan Madhya Pradesh, Bhopal, for the year 2016-2017.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 73/17/19]

(7) A copy of the Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) (Amendment) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. CA/12/2019/Regulations in Gazette of India dated 13th February, 2019 under sub-section (3) of Section 45 of the Architects Act, 1972.

[Placed in Library, See No. LT 74/17/19]

(8) A copy of the University Grants Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 14-4/2012 (CPP-II) published in Gazette of India dated 6th May, 2019 under Section 28 of the University Grants Commission Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 75/17/19]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:**

(1) सिक्योरिटी प्रिंटिंग एण्ड मिंटिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वित्त मंत्रालय के बीच वर्ष 2019-2020 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 76/17/19]

(2) (एक) पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवेलपमेन्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पेंशन फंड रेगुलेटरी एण्ड डेवेलपमेन्ट अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 77/17/19]

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक- संघ सरकार (2019 का संख्यांक 4) डिपार्टमेन्ट ऑफ रेवन्यू (इनडायरेक्ट टेक्सेस-सेंट्रल एक्साइज एण्ड सर्विस टैक्स) के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 78/17/19]

(4) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सिक्कों का निर्माण (जलियावांला बाग नरसंहार की शताब्दी के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2019 जो 9 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 293(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) श्रीमती विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित एक सौ रुपये के सिक्के का निर्माण नियम, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 405(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सिक्कों का निर्माण (पैका विद्रोह की द्विशती के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2018 जो 4 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 1165(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सिक्कों का निर्माण (परमहंस योगानंद के 125वीं जन्म वर्षगांठ के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2019 जो 26 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 150(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) एक रूपए, दो रूपए, पांच रूपए, दस रूपए, बीस रूपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2019 जो 6 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 184(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) सिक्कों का निर्माण (पोर्ट ब्लेयर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगा फहराए जाने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2018 जो 13 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 1107(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित एक सौ रूपए के सिक्के का निर्माण नियम, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 406(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सिक्कों का निर्माण (श्री गुरुनानक देवजी के 550वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 407(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) श्री सतगुरु राम सिंह जी के दूसरी जन्म शताब्दी के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित दो सौ रुपये और दस रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2019 जो 3 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 401(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सिक्कों का निर्माण (स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर स्मरण हेतु निर्मित सिक्का जारी करना) नियम, 2018 जो 13 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 1194(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 79/17/19]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 21 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबीएलएडी/-एनआरओ/जीएन/2019/02 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पेमेंट ऑफ फीस) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 22 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबीएलएडी/-एनआरओ/जीएन/2019/03 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (कस्टोडियन) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 22 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबीएलएडी/-एनआरओ/जीएन/2019/04 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपोजिटरीज एण्ड पार्टिसिपेन्टस) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबीएलएडी/-एनआरओ/जीएन/2019/20 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेगुलेशन्स)(स्टॉक एक्सचेंजेस एण्ड क्लियरिंग कारपोरेशंस) (संशोधन) विनियम, 2019 जो 4 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबीएलएडी/-एनआरओ/जीएन/2019/21 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 80/17/19]

(6) धन-शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो 28 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 381(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) धन-शोधन निवारण (अभिलेख रखना) संशोधन नियम, 2019 जो 13 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 108(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 81/17/19]

(7) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.नि.का. 432(अ) जो 18 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय 'जूट सैकिंग बैग्स' पर वर्तमान एंटी-डंपिंग ड्यूटी की प्रवंचना को रोकने के लिए बांग्लादेश में उदभूत और वहां से निर्यातित 'जूट सैकिंग बैग्स' पर वर्तमान एंटी डंपिंग का विस्तार करना है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 82/17/19]

(8) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.नि.का. 72(अ) जो 29 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 32/2017-इंटीग्रेटेड टैक्स (रेट) को रद्द करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 83/17/19

(9) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) का.आ. 563(अ) जो 31 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) दिनांक 31 मई, 2019 की अधिसूचना सं. 39/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 882(अ) जो 15 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) दिनांक 6 जून, 2019 की अधिसूचना सं. 40/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) दिनांक 16 मई, 2019 की अधिसूचना सं. 37/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ. 1066(अ) जो 28 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) दिनांक 2 मई, 2019 की अधिसूचना सं. 35/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का.आ. 1385(अ) जो 15 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) दिनांक 4 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं. 30/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का.आ. 1482(अ) जो 29 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) दिनांक 20 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 24/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का.आ. 1594(अ) जो 15 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) दिनांक 21 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 13/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का.आ. 1668(अ) जो 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) दिनांक 7 मार्च, 2019 की अधिसूचना सं. 21/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का.आ. 1741(अ) जो 15 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) दिनांक 15 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 11/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) का.आ. 1893(अ) जो 31 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) दिनांक 7 फरवरी, 2019 की अधिसूचना सं. 9/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) दिनांक 18 अप्रैल, 2019 की अधिसूचना सं. 32/2019-सी.शु. (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का.आ. 1965(अ) जो 14 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो खाद्य तेलों, ब्रास स्क्रेप, सोना, चांदी और एरीका नट्स के टैरिफ मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.नि.का. 236(अ) जो 25 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित पांच अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.नि.का. 238(अ) जो 25 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 84/17/19]

(10) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.नि.का. 122(अ) जो 16 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 6 दिसम्बर, 2018 की अधिसूचना संख्या 95/2018-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.नि.का. 294(अ) जो 9 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा घरेलू खरीद पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लिए जाने के लिए पेपरलैस मर्चेन्डाइस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम और सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स के उपयोग करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT 85/17/19]

(11) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) दूसरा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 1218(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) कंपनी (सम्मिलन) चौथा संशोधन नियम, 2018 जो दिनांक 19 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 1219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (संशोधन) नियम, 2019 जो दिनांक 15 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 29(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 22 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 42(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 22 जनवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 43(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) कंपनी (महत्वपूर्ण फायदाप्रद स्वामी) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 8 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 100(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 20 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 130(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 20 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 131(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) कंपनी (सम्मिलन) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 22 फरवरी, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 144(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) कंपनी (सम्मिलन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 6 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 180(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) कंपनी (सम्मिलन) तीसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 1 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 275(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 273(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 मार्च, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 274(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पंद्रह) कंपनी (सम्मिलन) चौथा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 26 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 332(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 25 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 329(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्रह) कंपनी (निदेशकें की नियुक्ति और अर्हता) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 339(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) तीसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 340(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) कंपनी (निक्षेपों की स्वीकृति) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 341(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) कंपनी (प्रभारों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 30 अप्रैल, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 342(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) कंपनी (कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाया जाना) संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 8 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 350(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 जो दिनांक 8 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 351(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) कंपनी (सम्मिलन) पांचवां संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 11 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 357(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) कंपनी (निदेशकें की नियुक्ति और अर्हता) दूसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 16 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 368(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) तीसरा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 23 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 376(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (कारबार संव्यवहार के लिए बैठक) नियम, 2019 जो दिनांक 23 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 377(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) कंपनी (सम्मिलन) छठा संशोधन नियम, 2019 जो दिनांक 7 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.नि.का. 411(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(12) उपर्युक्त (11) की मद संख्या (एक) से (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 86/17/19]

(13) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.आ.का. 6225(अ) जो 20 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो क्षेत्रीय निदेशकों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 87/17/19]

12.03 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Message from the Hon. President

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति जी का दिनांक 26 जून, 2019 का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"मुझे 20 जून, 2019 को संसद की एक साथ समवेत दोनों सभाओं के समक्ष मेरे द्वारा दिए गए अभिभाषण के लिए लोक सभा के सदस्यों की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।"

12.03 ½ hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th June, 2019 agreed without any amendment to the Special Economic Zones (Amendment) Bill, 2019 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 26th June, 2019."

12.04 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 58th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance*

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STEEL (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): On behalf of my colleague Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 58th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Department of Revenue, Ministry of Finance.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 88/17/19.

12.05 hrs

SUBMISSION BY MEMBER

Re : Adverse effect on agricultural land and livelihood of farming community due to reported permission given to ONGC to dig 341 wells in the Cauvery delta

HON. SPEAKER: Hon. Members, the House will now take up *Zero Hour.*

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Hon. Speaker, Sir, I would like to raise a very important and painful issue of farmers living in the delta areas of Cauvery basin in Tamil Nadu. The delta farmers are suffering for the past three years. For the past three years, the villagers of Kathira Mangalam and Neduvasal areas are up in arms and are fighting in hot Sun and rain against GOI. Most of the leaders including my leader, Dr. M.K. Stalin went to support.

Sir, I would like to ask the Petroleum Minister, while envisaging the project, whether the Government went into the details of financial rate of return or socio-economic rate of return. I think, nothing of this sort was taken into consideration.

Actually, for the past 50 to 60 years, in the delta areas of Cauvery basin, they have been exploring the possibility extracting crude oil. But only 0.6 per cent out of 32 million tonnes of total production in India is extracted there. So, in that case, where is the possibility of economic rate of return?

Sir, 0.6 per cent is the total output from the Cauvery basin whereas in the whole of India, it is 32 million tonnes. The output is two million tonnes against a total of 320 lakh tonnes in India. We cannot understand why the Government is taking up these projects without any application of mind. There is no socio-economic rate of return and there is no financial rate of return. It is nothing. Then, how can they go on indulging in this activity of extraction?

Sir, in 341 areas, drilling is going. We are all agriculturists. All the members, who came from Tamil Nadu there, are almost agriculturists. How can we allow this sort of an unruly and unlawful act of the Government of India?

Sir, along with our leader, Dr. M.K. Stalin, definitely, the whole of Tamil Nadu will gather and fight with the Government of India to stop all these activities, which is against the interests of our people.

माननीय अध्यक्ष : डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद को श्री टी.आर.बालू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भगवंत मान।

…(व्यवधान)

SHRI S. S. PALANIMANICKAM (THANJAVUR): Sir, the Minister should respond …(*Interruptions*) It is a question of life and death.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलिए ।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री भगवंत मान, आप बोलिए ।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान (संगरूर): माननीय अध्यक्ष, हाउस आर्डर में नहीं है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपको अलाऊ किया है ।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री भगवंत मान ।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: माननीय अध्यक्ष, हाउस आर्डर में नहीं है ।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

…(व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष: भगवंत मान जी, आप बोलिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। मैंने आपको मौका दिया।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: मैं बोलने को तैयार हूं, लेकिन हाउस आर्डर में नहीं है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप विषय पर नोटिस दे दें फिर बात करेंगे।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जीरो आवर में यह आवश्यक नहीं है।

…(व्यवधान)

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, the hon. Petroleum Minister is present here. He should respond …(*Interruptions*)

---

* Not recorded.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF STEEL (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Mr. Speaker, Sir, Shri T.R. Baalu is a senior leader of this country and he was a Union Cabinet Minister in Shri Atalji's Cabinet and also in Dr. Manmohan Singh's Cabinet.

It is not like that. All these drillings are being organised in these days only. It is an ongoing process. There are certain concerns and apprehensions by a section of farmers of Tamil Nadu. I appreciate that. …(*Interruptions*) Do you want an argument or an answer? …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं, तो माननीय सदस्य, आप बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

… (*Interruptions*)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: If you want an answer, I would like to answer that. …(*Interruptions*) I am answering that. …(*Interruptions*) I am only answering that. You are a senior Member. …(*Interruptions*) Why are you so impatient? …(*Interruptions*) I am also a farmer. I belong to a farmer's family. …(*Interruptions*) Mr. Palanimanickam, you are a very senior Member. …(*Interruptions*) My sister Kanimozhi, when she was in Rajya Sabha, came to see me with a delegation of farmers. This is an ongoing concern of Tamil Nadu. I

am inviting all the senior leaders of Tamil Nadu. We will discuss that. The Government of Tamil Nadu is also of the same opinion. You are also of the same opinion. These are national issues. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप लोग माननीय मंत्री जी से मिल लीजिएगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सबसे बात करेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI DHARMENDRA PRADHAN: The Government of India is not going to do anything forcefully. …(*Interruptions*) I would like to invite all of you. Please have a transparent and an open discussion. We can find out some way.

____

श्री भगवंत मान (संगरूर): बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं जीरो आवर में जिस विषय पर बोलने वाला हूं, वह गरीबों से जुड़ा हुआ है। जो नरेगा है, जिसको हम मनरेगा भी बोलते हैं। इसकी दिहाड़ी 240 रुपये है। पिछले दिनों पंजाब सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने उनकी दिहाड़ी एक रुपया बढ़ाकर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने वाली बात की । इसे एक रुपया बढ़ाकर 241 रुपये कर दिया गया। बहुत-से लोग जो नरेगा के मजदूर हैं, वे कह रहे हैं- कैप्टन साहब जो राजा हैं, अगर वे चाहें ते पांच रुपये हम उनको भी वापस दे सकते हैं। लेकिन, उनकी दिहाड़ी जो 240 रुपये है, उनकी वह दिहाड़ी भी उसी दिन नहीं मिलती है। They are hand to mouth. वे उसी दिन कमाते हैं, उसी दिन खाते हैं। डेढ़-डेढ़ साल के पैसे का भुगतान …(व्यवधान) सर, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है।

माननीय अध्यक्ष: हां, तो अब आप बंद करिए।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: पहले जब स्कूल की बैल बजती थी तो हम खुश होते थे। आपकी बैल बजती हैं तो हम डरते हैं। प्लीज बोलने तो दीजिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाइए। आपको जवाब देने के लिए खड़ा नहीं किया है कि आप बोलें।

…(व्यवधान)

श्री भगवंत मान: हमारे बेल्ट में निकला है। उनके लिए कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। 500 रुपये कम से कम उनकी दिहाड़ी होनी चाहिए और उसी दिन मजदूर की मजदूरी उसका पैसा पसीना सूखने से पहले मिलनी चाहिए। कहीं 25 दिन काम हो रहा है, कहीं 15 दिन काम हो रहा है। 100 दिन के काम की जो गारंटी है वह पूरी नहीं हो रही है। यह बिल्कुल गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में भगवान की कृपा से बहुत बड़ी समुद्र की देन हमें मिली हुई है और जहां-जहां समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहां लाखों की संख्या में मछुआरे मछली मारने के काम में निर्भर रहते हैं और लाखों की संख्या में मछुआरे मछली मारने का काम करते हैं। लेकिन, दुर्भाग्य से वैस्ट कोस्ट समुद्र तटीय क्षेत्र जो गुजरात से कन्याकुमारी तक जाता है, इसके ऊपर अलग-अलग राज्य निर्भर हैं। लेकिन, आज हर एक राज्य की फिशिंग पॉलिसीज़ में बहुत बड़ा फर्क है। गोवा में जब फिशिंग बंद होती है तो महाराष्ट्र में चालू होती है। गोवा में जब चालू होती है तो महाराष्ट्र में बद होती है। गुजरात में जब फिशिंग बंद होती है तो महाराष्ट्र में चालू हो जाती है। कन्याकुमारी में जब जाते हैं तो वहां की फिशिंग पॉलिसी में जितनी सहूलियतें हैं, उतनी सहूलियतें महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में भी नहीं है। मेरी यह प्रार्थना आपके मध्यम से केंद्र सरकार है कि देश में एक ऐसी फिशिंग पॉलिसी बनाई जाए ताकि उसका फायदा अच्छी तरह से मछुआरों को मिल सके। सम्पत्ति का भी रक्षण हो सकता है और जो समान पॉलिसी के फायदे भी हैं, जो केन्द्र सरकार की मछुआरों के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं, उनके भी फायदे उन्हें मिल सकते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि जल्दी से जल्दी एक समान फिशिंग पॉलिसी बनाने का काम केन्द्र सरकार के माध्यम से हो जाए ताकि मछुआरों को उसका फायदा हो और समुद्र सम्पत्ति में भी वृद्धि हो। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री टी. एन. प्रथापन को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

एसोसिएट करने के लिए आप लिखकर दे दीजिए, खड़े होने की जरूरत नहीं है सभी माननीय सदस्य समझ लें कि किसी विषय पर किसी माननीय सदस्य को एसोसिएट करना है तो वह लिखकर टेबल ऑफिस में दे दे। किसी को भी खड़े होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, यह सरकार बार-बार दावा करती है कि मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत लेकर यह सत्ता में आई है। हिन्दुस्तान के आम लोगों का भरोसा इन लोगों ने हासिल किया है, ठीक है, लेकिन यह भरोसा हासिल करने की बाद इस सरकार ने हिन्दुस्तान के आम लोगों के ऊपर हथौड़ा मारना शुरू कर दिया है। सर, मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हिन्दुस्तान में मध्यम वर्ग, रिटायर्ड पर्सन, छोटे-छोटे दुकानदार जो स्मॉल स्केल सेविंग्स पर इन्टरेस्ट के जरिए अपनी जिंदगी गुजारते हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका एम.बी.बी.एस का विषय है, उस पर बोलें।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, स्मॉल स्केल सेविंग्स पर जो इन्टरेस्ट है उस पर जोर-शोर से कटौती हो रही है। कौन सी सरकार करती है? जो लोग आम लोगों की सरकार बोलकर अपने को जाहिर करते हैं, उन्हीं लोगों के जमाने में आज सारे स्मॉल स्केल सेविंग्स पर जोर शोर से कटौती हो रही है। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका शून्य काल का विषय एम.बी.बी.एस. उसमें आर्थिक रूप से कमजोर वाला विषय है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, देखिए साल 2014 में जो डिपोजिट स्कीम्स थी, उस पर कांग्रेस की सरकार ने 8.4 परसेंट इन्टरेस्ट दिया था जो आज घटकर 6.9 परसेंट पर आ गया। 5 साल के डिपोजिट पर 8.5 प्रतिशत इन्टरेस्ट दिया जाता था जो आज 7.7 प्रतिशत पर आ गया है। सीनियर सिटिजन सेविंग्ज़ स्कीम पर 9.2 प्रतिशत इन्टरेस्ट दिया जाता था, जो आज 8.9 प्रतिशत पर आ गया है। सर, नेशनल सेविंग्ज़ सर्टिफिकेट पर 8.5 प्रतिशत इन्टरेस्ट हम देते थे जो आज 7.9 प्रतिशत ये देते हैं। एक के बाद एक अब यह पूरा चार्ट मैं आपको दे रहा हूँ। पी.पी.एफ. से लेकर जो स्मॉल स्केल सेविंग्स हैं, सभी में कटौती के चलते आम लोगों को आज बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

इसके साथ-साथ यह सरकार इकोनोमिक वीकर सैक्शन के लिए जो संरक्षण की बात करते हैं। आज देखिए मेडिकल कॉलेज में पहले राउंड की सारी लिस्ट निकल चुकी है, उसमें इकोनोमिकल वीकर सैक्शन के एक भी बच्चे का नाम एनलिस्ट नहीं है। यह आम लोगों की सरकार है। यह मैं जरूर कह सकता हूँ। सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए और स्मॉल स्केल सेविंग्स वालों को बचाने की कांग्रेस की तरफ से दरख्वास्त करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्याम सिंह यादव - उपस्थित नहीं।

श्री रामदास तडस (वर्धा): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। सदन के माध्यम से मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र वर्धा के केन्द्रीय बारूद गोला बारूद भण्डार पुलगांव में विगत 31 मई, 2016 को हुए विस्फोट की ओर दिलाना चाहता हूँ, जिसमें 19 जवान शहीद हुए थें, जिसमें 13 फायरमैन थे और 6 फौजी थे। यह एक दर्दनाक घटना थी। इस घटना में शहीद हुए 19 जवानों को शहीद का दर्जा देने के साथ-साथ उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में लेना था जो अभी तक नहीं हुआ, जबकि फायरमैन को राष्ट्रपति फायर अवार्ड दिया गया है। अत: मेरा रक्षा मंत्री जी से आग्रह है कि पुलगांव गोला बारूद भण्डार में शहीद हुए 19 जवानों के परिवार को सभी तरह की सरकारी व्यवस्था कराने की कृपा करें, जिससे उनका परिवार आई इस विपत्ति का सामना कर सके और राष्ट्रपति फायर अवार्ड भी दिलाने की कृपा करें।

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Sir, I would like to highlight some of the key issues of my Constituency. In Rayagada, we need a new inter-city train from Jeypore to Bhubaneswar. This is the demand of the people for a very long time.

Secondly, the new railway project from Gunupur to Therubali via Bissam Cuttack is not in place. No accommodation has been done in budget. This is one more key issue for the people of Rayagada.

The third thing is that the doubling of Koraput to Singapuram Road line is also lying in the back-burners and no progress has been made. All these three things are quite important.

In addition to this, we have multiple issues in the Koraput Constituency like road connections. There are no road connections at least in thousand villages of Rayagada district and 800 villages in Koraput district. This is so, even after the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is in place for a long time. Water is not provided to the villages. There are multiple issues which need to be highlighted in this House so as to make the development of Rayagada.

Lastly, I would like to say that the bypass road in NH-36 is the key demand for the people of Rayagada. The trucks and the heavy vehicles which are plying

on the roads are leading to very many accidents in Rayagada. The bypass needs to be constructed with immediate attention.

श्री अशोक कुमार यादव (मधुबनी): अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ हूं। आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

महोदय, जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूं – मधुबनी लोक सभा क्षेत्र में रोजगार का कोई साधन नहीं है। वहां रोजगार का एक ही साधन है – कृषि, और लोग कृषि पर आधारित हैं। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी वहां कोई औद्योगिक संस्थान नहीं हैं। वहां जो भी चीनी मिलें थीं – रैय्याम, लोहट, सकरी आदि सभी बन्द हैं। पंडोल में एक सूती मिल थी, वह भी बन्द पड़ी है। दरभंगा में अशोक पेपर मिल थी, वह भी बन्द पड़ी है। वहां के नौजवानों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। वहां पर व्यापार एवं उद्योग की अपार संभावनाएं हैं।

महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वहां पर विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर आम, मखाना और चीनी पर आधारित औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थान खोले जाएं।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अशोक कुमार यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं इस देश के उन निवेशकों के बारे में बात करना चाहता हूं जो अपनी जीवनभर की कमाई को सहेजकर, एक-एक पैसा इकट्ठा करते हैं। वह आम आदमी सोचता है कि इससे मैं अपने जीवन में कभी मकान बनाऊंगा, अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, अपने बच्चों की शादी कराऊंगा, लेकिन वह आकर्षक योजनाओं के आकर्षण में आकर कंपनियों में अपना पैसा इनवेस्ट कर देता है। जब उसको जरूरत पड़ती है तो उन कंपनियों में या तो ताले लगे मिलते हैं

या फिर उस कंपनी ने अपना पैसा किसी अन्य जगह पर इन्वेस्ट कर दिया होता है या किसी घोटाले में लिप्त हो चुकी होती है।

चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में लगभग एक लाख ऐसे निवेशक होंगे, उन लोगों ने लगभग 100 करोड़ रुपये का निवेश पीएसीएल नाम की एक कंपनी में कर दिया। आज वे लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। लोढा कमेटी द्वारा अपना निर्णय दिए हुए कई महीने हो चुके हैं, लेकिन उस कंपनी ने अभी तक उन लोगों का पैसा नहीं लौटाया है। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में लाखों लोगों ने अपने खाते खुलवा लिए, पैसे निवेश कर दिए। उस कंपनी ने अपने पैसे का निवेश दूसरी कंपनी में, शैल कंपनी में कर दिया। आज लोग जब पैसा मांगने जाते हैं तो उस कंपनी के ऑफिस में या तो ताला लगा होता है या कंपनी किसी अन्य जगह पर घोटाले में फंस गई होती है।

आपके माध्यम से, सरकार से मेरी मांग है कि ऐसी कंपनियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। कई लोगों ने अपनी पेंशन का पैसा, अपने जीवन भर की कमाई उन कंपनियों में निवेश कर दी। ऐसी कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और उन निवेशकों को तुरंत पैसा लौटाने की कार्रवाई करें। यही मेरी, आपके माध्यम से, सरकार से मांग है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राहुल कस्वां, श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, श्री सुमेधानन्द सरस्वती, श्री अजय कुमार,श्री अर्जुन लाल मीणा एवं श्री उदय प्रताप सिंह को श्री सी.पी. जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I would like to bring to the attention of this august House an important Railway development project in Kerala which is going on from 1997 onwards. The name of the project is Sabari Rail Project.

Sir, Sabarimala is one of the most important places of worship in South India. Every year, a very huge number of devotees from various parts of India and abroad, cutting across religions, throng to this Holy Shrine, which is surrounded by thick forests. Sir, at present, Sabarimala is connected only by road. Devotees coming from faraway places, especially outside the State of Kerala, find it extremely difficult to visit the shrine due to the absence of direct railway connectivity.

In the year 1997, a proposal was approved at an estimated project cost of Rs.550 crore for laying direct railway line from Angamaly, which is in the Ernakulam district, up to Erumeli in the Pathanamthitta district which is closer to Sabarimala. Though the budgetary provisions keep getting allocated for this project year after year, very little progress in work has been reported. Up to 2018-19, a budget provision of sum of Rs.726 crore was allotted. But unfortunately, a sum of Rs.253 crore was the actual amount spent on the project. At present, a distance of eight kilometres from Angamaly to Kalady has been completed.

Sir, Rs.208 crore was sanctioned for the initial stage of work between Angamaly and Perumbavoor *via* Kalady, the birthplace of Adi Shankar. The work completed up to Kalady includes the construction of a major bridge over the river Periyar. The construction of a railway station in Kalady is also completed. However, the work from Kalady to Perumbavoor is still pending. Even though all formalities, including land acquisition, were completed between Kalady and

Perumbavoor, the work is pending. Please direct the officials to initiate immediate steps for the completion of work from Kalady to Perumbavoor.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य संक्षिप्त में लिख कर लाया करें।

SHRI BENNY BEHANAN :I am going to conclude.

The project cost is said to have risen to Rs.2,600 crore as on 14.9.2017 from Rs.550 crore over the years, due to increase in the cost of labour, material and land acquisition. The total distance of the project is 115 km. The other formalities like demarcation and putting stones have been completed up to Ramapuram, a distance of 69 km. The acquisition process from Ramapuram to Erumeli is stopped because of agitation from landowners.

I would also request the Government of India to write to the State Government to contribute their share of project cost without delay. The Minister may be pleased to direct the Railway Board to approve the estimated project cost without any further delay and allocate funds in the ensuing Central Budget.

Sir, in the end, I wish to point out that this project, once completed, will be a prestigious one for the Railways because it is going to benefit millions of people, thereby winning their hearts, besides increase in revenues for the Railways. Thank you.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): I may be allowed to associate with this issue. …(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: श्री टी. एन. प्रथापन, एडवोकेट अदूर प्रकाश और एडवोकेट ए.एम. आरिफ को श्री बैन्नी बेहनन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी एसोसिएशन के लिए लिख कर दे दें।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश में तृणमुल कांग्रेस जैसी पार्टी के कारण बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो आतंक बढ़ रहा है, उसके बारे में मुद्दा उठाना चाहता हूं।

स्पीकर सर, इस पार्लियामेंट में कुछ लोग सेलेक्टिव एमनिसिया के शिकार हैं, रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री में विश्वास करते हैं और वे गॉसपेल के बच्चे हो गए हैं क्योंकि वे पहलू खान और सोहराबुद्दीन जैसे जो क्रिमिनल्स हैं, अभी राजस्थान सरकार ने भी जिनके ऊपर कहा है कि वे सभी गाय के तस्कर थे।…(व्यवधान) उस तरह के लोगों को ये लोग प्रश्रय दे कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ा रहे हैं।…(व्यवधान) जिन्ना के ये लोग वारिस, जो जिन्ना को सपोर्ट करते हैं।…(व्यवधान) जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी में नॉर्थ ईस्ट, असम और बंगाल के बाद कश्मीर को अपने साथ पाकिस्तान मिलाने के लिए, जिसकी रूप-रेखा कांग्रेस ने तैयार की।…(व्यवधान) वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने समझौता करके, इस देश को दो नेशंस में बदल दिया।…(व्यवधान) वर्ष 1940 और वर्ष 1946 इसका इतिहास है।…(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरह से इन्होंने यह किया है, बंगाल और झारखंड की पूरी की पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है।…(व्यवधान) वह साइबर

क्राइम का अड्डा हो गया है।...(व्यवधान) साइबर क्राइम का अड्डा होने के कारण डिजिटल इकोनॉमी खत्म हो रही है।...(व्यवधान) सिमी का एक सेंटर बन रहा है।......(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि पूरे देश में एनआरसी लागू किया जाए। ...(व्यवधान) जो कांग्रेस और तृणमूल के लोग उनके नेताओं को सपोर्ट करते हैं, उन्हें जेल भेजा जाए तथा एनआईए का सैंटर हमारे यहां खोला जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री एस.सी.उदासि, श्री राजेन्द्र अग्रवाल, डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री गणेश सिंह और श्री दुष्यंत सिंह को डॉ. निशिकांत दुबे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने क अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री के**.** सुधाकरन – उपस्थित नहीं।

श्री के**.** नवसकनी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण**,** यदि कोई भी असंसदीय बात होगी**,** तो मैं उसे देखूंगा।

...(व्यवधान)

SHRI K. NAVASKANI(RAMANATHAPURAM) : Thank you, hon. Speaker, Sir. ...(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप सभी नए माननीय सदस्य को बोलने दें। मैंने व्यवस्था दे दी है। आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

SHRI K. NAVASKANI: Sir, in the morning of 26th June, 2019, four poor fishermen, namely, Selvaraj, Nambuvel, Selvarasu and Balakrishnan who set out for fishing from Rameswaram fishing jetty, which falls under my parliamentary constituency, were reportedly arrested by the Lankan Navy after they allegedly crossed the International Maritime Boundary Line (IMBL). The Navy also seized their boat. A sense of vulnerability and insecurity prevails in the minds of families of the arrested fishermen.

Such incidents of arrest, detention and harassment of Rameswaram fishermen by Sri Lankan Navy are continued unabated since long. Their boats, trawlers, nets, etc. are seized and destroyed, putting the livelihood of fishermen at stake. It is because of the declining amount of catch near the shores that the fishermen have to go further deep inside the high seas, which leads to such arrests.

The International Maritime Boundary Line between India and Sri Lanka and the issue of Kachchatheevu are not settled. I urge the Government to first retrieve Kachchatheevu. The Government should restore the traditional fishing rights of fishermen in Palk Bay by annulling the 1974 Indo-Sri Lankan Agreement following which Katchatheevu was ceded to the island nation by India. This island was originally owned by the Ramnad Kingdom of Ramanathapuram district in Tamil Nadu before Independence. Thus, it belonged to India till 1974. As per the Indian Constitution, these agreements have to be ratified by the Parliament through a

constitutional amendment. But this was not done so far. If this happens, the major problem of fishermen would be resolved by itself.

Keeping this in view, I request the Minister of External Affairs to take up this issue on top priority with Sri Lankan authority and bring an immediate halt to these apprehensions. The Government should find a permanent solution to the recurring mid-sea arrests and secure immediate release of four fishermen along with their motorized fishing boat seized recently.

I also urge upon the Centre to help in skilling these fishermen so that they can explore other opportunities and also modernize their fishing equipment.

Thank you, Sir.

SHRI H. VASANTHAKUMAR (KANYAKUMARI): Sir, in Kanyakumari constituency 20 per cent community is of fishermen. They need a bridge between Erayumanthurai and Thengapattinam so that they can escape from that place in case of sea erosion or any calamity. Everyday they are living in a fear of being trapped if any calamity happens.

Sir, the people of this community are working throughout the world. I urge upon the Government to take necessary action to construct this small bridge, which is nearly about 1000 feet only. I also urge upon the Government to construct a road between Arockiyapuram to Erayumanthurai and Neerodi to provide safety as well as a source of livelihood to the people of my constituency.

Sir, through you, I request the Government to take immediate steps in this regard and help the poor people. Thank you.

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के नौतनवा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत बनरसिया कलां और देवदह को भारतीय पुरातत्त्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। पुरातत्त्व विभाग एवं वहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यहाँ भगवान बुद्ध का ननिहाल है। विभाग द्वारा वहाँ पर कुछ कार्य कराए गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर कोई कार्य विकसित नहीं हो पाया है। कुछ बाउंड्री वाल और कुछ भवनों के निर्माण कराए गए हैं। भगवान बुद्ध के ननिहाल स्थल को देखने के लिए विदेशों से हजारों पर्यटक आते हैं। यहाँ पर कोई सुविधा न होने के कारण पर्यटकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बनसिया कलां एवं देवदह का सम्पूर्ण विकास कराया जाए। माननीय प्रधान मंत्री जी की जो बुद्धिस्ट सर्किट योजना है, उसमें इसको सम्मिलित किया जाए क्योंकि यह भगवान बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी और समाधि स्थल कुशीनगर के मध्य में स्थित है। इस मार्ग से जितने पर्यटक आते-जाते हैं, इससे उनको लाभ मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री पंकज चौधरी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*__DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):__ Hon. Speaker Sir, Vanakkam. I wish to bring to the notice of this august House an important issue. It is a national shame. Honour killings take place throughout the country every now and then. Honour killing is an offence that everyone should be worried and

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

ashamed of. Recently in Tamil Nadu near Mettuppalayam of Coimbatore district young girl named Varshini Priya and Kanagaraj, the person who married her, were brutally murdered by her brothers and parents in the name of honour killing. These killings have taken place in the name of caste pride and honour killing.

In Andhra Pradesh at the Pazhamaneri Village near Usurupenda of Chittoor District, Keshav and Hemavathi, belonging to different castes married and after two years of their marriage when the lady was returning home along with her 10 day baby, that lady was brutally murdered by her brothers and parents in the name of honour killing. This is a crime that takes place in the country on a daily basis. I will conclude by reading the Judgement of the Hon. Supreme Court in this regard.

In the year 2018, the Hon. Supreme Court in a historical verdict on honour killing said:

> “ It can be stated without any fear or contradiction that any kind of torture or torment or ill-treatment in the name of honour that tantamount to atrophy of choice of an individual relating to love and marriage by any assembly, whatsoever nomenclature it assumes, is illegal and cannot be allowed a moment of existence.”

It has issued some guidelines to both Centre and States. On the direction of Hon. Supreme Court, the Law Commission of India already submitted a Bill named Prohibition of Unlawful Assembly (Interference with the Freedom of Matrimonial

Alliances) Bill, This Bill is pending with the Union Government. I request the Union Government to pass the Bill submitted by Law Commission of India. Thank you Sir.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मेरा आप सभी से आग्रह है कि जब सदन की कार्यवाही चल रही हो, पुरानी परम्परा रही होगी, तो कृपया आसन पर न आएँ। जो भी सूचना देनी हो, टेबल पर दें या साइड में दें।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र हमीरपुर है, जो बुंदेलखण्ड के अंतर्गत आता है। यहाँ दिल्ली आने-जाने के लिए केवल उत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन है, जो यहाँ से माणिकपुर जाती है। उसी में 12248 एक लिंक एक्सप्रेस है, जो महोबा रेलवे स्टेशन से अलग होकर ख़जुराहो जाती है। ख़जुराहो एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र है। वहाँ बहुत-से पर्यटक आते हैं, जिनको सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। लिंक एक्सप्रेस में केवल नौ बोगियाँ लगती हैं, चाहे वह एसी हो या जनरल कंपार्टमेंट हो।

महोदय, हमारे यहाँ पानी का बहुत संकट है। किसान परेशान हैं। बहुत-से लोग पलायन कर गये हैं, वे बाहर काम करते हैं। प्रतिदिन ट्रेन में बहुत से लोग दिल्ली आते हैं। मैं हर क्लास में ट्रैवल करता हूं। मैं कई बार जनरल कंपार्टमेंट में ट्रैवल करता हूं, कई बार एसी-3 में भी करता हूं और कई बार सैकेंड क्लास में भी ट्रैवल करता हूं। मैंने वहां दिक्कतें देखी हैं, लोग अपने परिवार के साथ हर त्यौहार पर - चाहे रक्षा बंधन हो, दशहरा हो या दीपावली हो - जब मेरे क्षेत्र से यहां आते हैं, तो हर प्लेटफॉर्म पर 300-400 यात्री छूट जाते हैं। जब वे लोग प्लेटफॉर्म पर छूट जाते हैं, तो उनका पूरा परिवार गांव से आकर प्लेटफॉर्म पर पड़ा रहता है। वे नेक्स्ट-डे की ट्रेन का इंतज़ार करते हैं।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि लिंक एक्सप्रेस को अलग-अलग चलाया जाए। पूरी 26 बोगी की एक ट्रेन मानिकपुर से हज़रत निज़ामुद्दीन के लिये चलाई जाये। एक ट्रेन खजुराहो से चलाई जाये। वहां स्टॉपेज की भी समस्या है। इससे मतोंड, बेलाताल और कबरई - इन रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन का स्टॉपेज हो जाएगा, जिससे मेरे क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे शून्य काल के अंतर्गत अति लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करती हूं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की महत्वकांक्षी स्मार्ट सिटी योजना में मेरा संसदीय क्षेत्र गुवाहाटी चुना गया है। गुवाहाटी की जनता इस घोषणा से काफी गौरान्वित भी है, लेकिन गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पिछले तीन वर्षों में स्मार्ट सिटी परियाजना के अंतर्गत आबंटित राशि में से केवल 16 करोड़ रुपये की ही राशि खर्च की है।

गुवाहाटी को स्मार्ट सिटी में बदलने के लिए गुवाहाटी स्मार्ट सिटी लिमिटेड का गठन किया गया था। इसका काम परियोजनाएं तैयार करने से लेकर उन्हें ज़मीन पर उतारने और इसकी निगरानी करना है। यह भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनी है, जिसमें असम सरकार भागीदार है। गुवाहाटी स्मार्ट सिटी परियोजना की कुल प्रस्तावित लागत 2,296 करोड़ रुपये है। क्षेत्र आधारित विकास के लिए 1,579 करोड़ रुपये तय किए गए हैं और शहर के सर्वांगीण विकास के लिए 622 करोड़ तय किए गए हैं।

अत: मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री, भारत सरकार से निवेदन है कि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे ब्रह्मपुत्र तट के सौंदर्यीकरण, दीपर बील जलाशय में वॉच टावर बनाना एवं गुवाहाटी की सड़कों पर एलईडी लाइट की व्यवस्था की जाए। जीएससीएल द्वारा इस वर्ष गांधी मंडप पहाड़ी को विकसित करने का काम जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. शशि थरूर - उपस्थित नहीं।

श्री रमेशभाई एल . धडुक (पोरबंदर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से पोरबंदर का नाम सारे विश्व में प्रसिद्ध हुआ है। हम सब जानते हैं कि गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। उनका जन्म पोरबंदर में हुआ था। कस्तूरबा गांधी ने महात्मा गांधी जी की आजादी की लड़ाई में और देश सेवा में सदैव गांधी जी का साथ निभाया और पूरा सहयोग देकर पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया।

वर्ष 1913 में दक्षिण अफ्रीका में कानून बना, जिसके अनुसार मुसलमान, पारसी और अनेक लोगों का विवाह गैरकानूनी ठहराया, जो हिन्दुस्तान की जनता के लिए घोर अन्याय था। इस वक्त कस्तूरबा ने गांधी जी के साथ मिलकर इस कानून के खिलाफ महिलाओं के सम्मान के लिए अफ्रीका सरकार के सामने बहुत बड़ा सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार को वह कानून हटाना पड़ा। वर्ष 1922 में पूज्य बापू को गिरफ्तार किया गया और उन्हें छ: साल की सज़ा हुई। इस समय कस्तूरबा वीरांगना के स्वरूप में उन्हें जाना जाता है। वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में भी उनका अमूल्य योगदान रहा है। बहुत सारे किस्से हैं, जहां पर कस्तूरबा का राष्ट्रपिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी में महिलाओं के सम्मान, सशक्तीकरण और शिक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। अपने स्वास्थ की चिंता किए बिना अपने जीवन को देश को समर्पित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह मानना है कि गांधी जी को महात्मा बनाने में कस्तूरबा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस बहुमूल्य व्यक्ति को देश कभी भूल नहीं पायेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करता हूं कि पोरबन्दर हवाई अड्डे के नाम को कस्तूरबा गांधी

हवाई अड्डा का नाम दिया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों में इस मातृ स्वरूप कस्तूरबा गांधी की अमर स्मृति कायम रहे।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री उदय प्रताप सिंह, श्री नारणभाई काछड़िया, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गोपाल शेट्टी को श्री रमेशभाई लवजीभाई धडुक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवि किशन (गोरखपुर): धन्यवाद महोदय। आपने मुझे लोक महत्व के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे को सदन में उठाने की अनुमति दी। ये मुद्दा भोजपुरी का है। पच्चीस करोड़ लोग इस देश में भोजपुरी बोलते हैं और समझते हैं। मॉरीशस में इसे दूसरी राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान भी मिला है। गुयाना, टोबैगो, कैरीबियन जितनी भी कंट्रीज हैं, वहां पर भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन यह 8वीं अनुसूची में नहीं है। यह पूरा समाज इतना पगला गया, इतना बौरा गया जब प्रधान मंत्री जी बोले कि 'का हालबा काशी, गोड छूके प्रणाम करत हई और नमस्कार करत हई बिहार के', पूरा बम बम हो गया था। वहां पूरे समाज की उम्मीद जाग गई कि हमारे श्रद्धेय यशस्वी, हमारे तेजस्वी प्रधान मंत्री अब इसे 8वीं अनुसूची में ले आयेंगे। अब हमारी सरकार इसे 8वीं अनुसूची में ले आएगी।

"हे गंगा मैया तोहे पियरी चढईबो, सैंया से करदे मिलनवा"।

माननीय अध्यक्ष: गाने की गाथा बाद में कर लेंगे।

श्री रवि किशन : महोदय, यह इस भाषा की मिठास है। मैं हाथ जोड़कर अपनी सरकार से विनती करता हूं और निवेदन है कि इसे 8वीं अनुसूची में लाया जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. किरिट पी. सोलंकी, श्री नारणभाई काछड़िया, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री उदय प्रताप सिंह, डॉ. संजय जायसवाल, श्री कमलेश पासवान को श्री रवि किशन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI V.K. SREEKANDAN (PALAKKAD): Thank you Mr. Speaker for giving me a chance.

Respected Sir, almost 40 per cent demand of rice of Kerala is met by the district of Palakkad as this district is having more than 65,000 hectares of agricultural land cultivating mainly rice. Thus, this is known as rice bowl of Kerala. 80 per cent of cultivators are small holding farmers and there are more than three lakh people who depend upon this farming activity in Palakkad.

However, due to the floods of last year, many thousand hectares of agricultural land have been damaged and became uncultivable. Therefore, the cultivation has come down drastically. The farmers who took loans were not able to repay it. The agricultural labourers have become jobless, creating social imbalance there.

Therefore, I urge upon the Government to provide a special agricultural package for the farmers of Palakkad district urgently. Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: सुश्री राम्या हरिदास को श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

*SHRI S. VENKATESAN (MADURAI): Hon. Speaker Sir, Vanakkam. I urge upon the Union Government to declare Madurai as a World Heritage City of historical importance. Madurai is not only a city, it is the Capital of Tamil culture and the motherland of Dravidian civilization. Madurai is a living City which existed even before 2000 years ago. The recent excavation work carried out in Keezhadi of Tamil Nadu by the Archeological Survey of India and the State Archeological Department of Tamil Nadu stand as a testimony to the prosperity and progress of Madurai city. As many as 15000 particles found during excavation of Keezhadi is again a testimony to the existence of a great civilization. Nowhere in the world, except the one and only Madurai city, inscriptions dating back to 2000 years have been found in 12 places at the excavation site. within a radius of 20 kilometers, Madurai city retains a special place in the cultural history of India by extending an extraordinary contribution to human development. I therefore request the Union Government to declare Madurai as the World Heritage City. Thank you.

* English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

श्री राजू बिष्ट (दार्जिलिंग): धन्यवाद स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पहली बार संसद पहुंचा हूं और आपने मुझे पहली बार बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

सर, मैं बहुत ही पॉप्युलर जगह से आता हूं। उसका नाम दार्जिलिंग है। हम सब लोग रोज सुबह उठकर दार्जिलिंग चाय सबसे पहले पीते हैं। मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा पूरा क्षेत्र आज आपातकाल जैसी स्थिति में रह रहा है। क्योंकि यह क्षेत्र बड़ा ही सेंसिटिव है, चार इंटरनेशनल बॉर्डर्स से घिरा हुआ है। इसके बावजूद भी वहां की जो सरकार है, टीएमसी की जो सरकार है, हमेशा आशांति फैलाती रहती है। वहां की अहंकारी सरकार के कारण, यह क्षेत्र लगातार राजनीतिक हिंसा का शिकार होता रहा है। दार्जिलिंग में वर्ष 2017 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद से टीएमसी की सरकार और पुलिस का गुंडाराज लगातार चल रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज भी दार्जिलिंग के पांच हजार युवा घर छोड़कर जंगल में रहने को मजबूर हैं। पुलिस किसी भी युवा को पकड़ लेती है, उस पर फेक केस लगा देती है, सुओमोटो बेसिस पर उनको जेल में ठूंसा जाता है। अभी हाल ही में एक वाकया हुआ था। 80 साल के बुजुर्ग जो फौजी थे, उनको थाने में ले जाया गया और पीटा गया। इस तरह के अत्याचार वहां लगातार हो रहे हैं। अभी टीएमसी की एक सांसद हमें फासिज्म के बारे में ज्ञान दे रही थी। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब 11 गोरखा भाई को बीच सड़क पर मार दिया गया तब वह चुप क्यों थी? जो गोरखा देश को सुरक्षित रखने में बहुत बड़ा योगदान देता है, आज वही गोरखा अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जाए और पूरे बंगाल में हो रहे अत्याचार, खास तौर से नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग में जो अत्याचार और पुलिस की एट्रोसिटीज़ हो रही है, उसके ऊपर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाकर लोगों को न्याय दिलाया जाए और वहां लोकतंत्र की बहाली की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राजू बिष्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री इंद्रा हांग सुब्बा (सिक्किम): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं देश के इस सर्वोच्च सदन को बताना चाहूंगा और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2007 में सिक्किम सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। लेकिन उस समय की सरकार ने लैण्ड देने में देरी कर दी, जिसकी वजह से आज तक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का कैम्पस नहीं बन पाया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह रिक्वैस्ट करना चाहूंगा कि अभी जो लैण्ड दी गयी है, उसमें सिक्किम सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का कैम्पस इस्टाब्लिश करने के लिए वन टाइम ग्रांट दी जाए, क्योंकि सिक्किम एक सेंसिटिव स्टेट है। यह बॉर्डर स्टेट है और यहां के युवाओं का हायर स्टेडीज़ में एजुकेटिड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आपके माध्यम से मेरा रिक्वैस्ट है कि पहले की सरकार ने जो गलती की, उस गलती की सजा हम युवाओं को भुगतनी न पड़े इसके लिए उस सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी के कैम्पस को जल्दी से जल्दी से एस्टेब्लिश करने के लिए आपके माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से रिक्वैस्ट करना चाहूंगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री इंद्रा हांग सुब्बा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak something in this House for the first time. I have been elected for the first time to this House. Earlier, I was involved in the profession of teaching in a University. So, as you know, I am in the habit of giving big lectures. Hence, please provide me more time to speak.

Today, I would like to raise one issue, which is related to a River called Atreyee.Not only my city, that is Balurghat, but also the whole district is situated on the bank of this river. So, *Mata* Atreyee is sacred to us, and as important as the Ganga for Varanasi.

In the last few years, we are observing that this river is drying. Local environmental activists started searching for the reasons behind it. They found that rivers actually originate from the northern part of Bengal, then enters into Bangladesh, and it come back to my district in India. They found that a rubber dam was established in Bangladesh, and the same is visible in the satellite picture. This is obstructing the river water flow to our side. That is why, I would like to urge the Minister for External Affairs to take up the matter with Bangladesh for a lasting solution.

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ**.** सुकान्त मजूमदार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

DR. A. CHELLAKUMAR (KRISHNAGIRI): Sir, I would like to draw the attention of the august House to the acute water scarcity in Tamil Nadu, in general, and in my constituency, Krishnagiri, in particular. Nature was kind enough in 2015 with heavy rainfail in almost 15 revenue districts in Tamil Nadu. Due of lack of vision of the State administration, they had not properly stored and harvested rainwater resulting in hardship to the people.

Desalination project alone is not a permanent solution. I would like to strongly suggest and recommend a longstanding solution to this problem of my constituency. First is the inter-linking of 33 lakes with Badathala lake by formation of canals. Second is diversion of water from Kelavarapalli Dam to the nearby lakes, particularly to Durai lake in Shoolagiri, then to Chinnar Dam. Third is diversion of water of Aliyalam Dam to Rayakottai *via* Uttanapalli. Fourth is the implementation of *Vaani Odu* scheme.

There is long pending delay in the implementation of these schemes, though the State Government have in principle announced the projects. Hence, I request the Central Government, through you, Sir, to expedite the schemes by providing Central funds, if required, like the then UPA Government had sanctioned Rs.1,000 crore to the then State Government for desalination projects.

कुमारी शोभा कारान्दलाजे (उदुपी चिकमगलूर) : अध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में प्रधान मंत्री 'आयुष्मान योजना' के अंतर्गत 371 प्राईवेट हास्पिटलों को पैनलबद्ध किया है। इसके साथ ही 405 गवर्नमेंट हास्पिटलों को भी पैनलबद्ध किया गया है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन में एक बाधा खड़ी कर दी है। उसके तहत मरीजों को पहले तालुकों और जिलों के गवर्नमेंट हास्पिटलों में जाना अनिवार्य है। उसमें एवं अन्य प्रक्रियाओं में तीन-चार दिन का समय लिया जाता है। उसके उपरांत ही कोई मरीज प्राईवेट हास्पिटल में जाकर इलाज करा सकता है। इस प्रक्रिया के कारण गंभीर रूप से पीड़ित मरीज जिनको तत्काल इलाज की आवश्यकता है, वे परेशान हो रहे हैं। कई बार मरीज इलाज के अभाव के कारण दम तोड़ देते हैं। मैं सरकार से मांग करती हूं कि

कर्नाटक सरकार को निर्देशित करे कि कर्नाटक सरकार के 'आरोग्य कर्नाटक योजना' को 'आयुष्मान योजना' से बाहर रखा जाए, ताकि मरीज सीधे पैनलबद्ध प्राईवेट हास्पिटलों में जाकर अपना इलाज करवा सकें।

.... I would like to draw the attention of the Union Government that while implementing the Ayushman Bharath program, the Government of Karnataka is not doing justice to the people of the state. The Government of Karnataka merged the Ayushman Bharath program with state sponsored Arogya Karnataka scheme. As per the rules of the State Government patients are required to take permission from government hospital to avail medical treatment in the empanelled private hospital. As per the State Government orders, the doctors at the government hospitals can refer patient to empanelled private hospitals, only if the required medical treatment is not available with them. The Union Government has made a provision of up to Rs. 5 lakh to a family of poor people of the country to avail medical treatment at the better hospitals other than government hospitals.

I urge upon the Union Government to take immediate steps to separate central government's Ayushman Bharath healthcare program and the Arogya Karnataka scheme of the state government. And also ensure that the provision of Rs. 5 lakh for medical treatment of the poor reaches the families of poor people in the country.

माननीय अध्यक्ष : श्री एस. मुनिस्वामी, श्री एस. सी. उदासी, श्री जी. एम. सिद्देश्वरा और श्री बी. वाई. राघवेन्द्र को कुमारी शोभा कारान्दलाजे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मेरी बात असम के गोरखा समाज से है। 26 जून को एक एडिशनल एक्स्क्लूज़न लिस्ट एनआरसी में निकली थी, जिसमें आज 1.2 लाख लोग एक्स्क्लूज़न एनआरसी लिस्ट में हैं। इसमें ऐसे बहुत-से प्रॉमिनेंट समाज के नागरिक हैं, जो आज एक्स्क्लूज़न लिस्ट में हैं। उदाहरणस्वरूप मंजू देवी जो स्वतंत्रता संग्रामी श्री छविलाल उपाध्याय जी की ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं। साहित्य अकादमी की अवॉर्ड विनर दुर्गा खटिवाला आज वह एनआरसी में शामिल नहीं हैं। आज बहुत-से हिन्दी भाषी लोग एनआरसी शामिल नहीं हैं।

<u>13.00 hrs</u>

मेरी एम.एच.ए. से दरखास्त है कि यह जो एन.आर.सी. की प्रक्रिया है, उसको वह संज्ञान में लें। जो गोरखा बंगाली हिन्दू, हिन्दी भाषी लोग नहीं है, मुस्लिम लोग नहीं हैं, उनको शामिल किया जाए। धन्यवाद।

SHRI DAYANIDHI MARAN (CHENNAI CENTRAL): I would like to talk about the burning issue in our country. Sir, the Muslim youths are being lynched in our country. This happened on 23rd June in Jharkhand. A Muslim man was accused of stealing a motorbike. People took the law in their hands, forced him to say “*Jai*

Shri Ram", whacked him and killed him. Similarly, just four-five days back, in West Bengal, a Muslim man was asked to take a motorbike and was accused of stealing a motorbike…(*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned for launch till Fourteen of the Clock.

14.02 hrs

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

MATTERS UNDER RULE 377 *

HON. CHAIRPERSON: The Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text of the matter at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

---

* Treated as laid on the Table.

(i) Need to abolish GST on pulses and rice

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद):हमारे देश में लगभग 80 प्रतिशत से भी अधिक लोग शाकाहारी भोजन करते हैं और शाकाहारी भोजन में जो सबसे अधिक वस्तु का उपयोग होता है वह है दाल और चावल। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि हमारे देश में अधिसंख्यक लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं और उनका मुख्य भोजन दाल और चावल होता है। यदि दाल और चावल का मूल्य उसकी कृय क्षमता से बढ़ जाता है तो उनको अविश्वसनीय खराब क्वालिटी की दाल और चावल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है तथा हमारी सरकार द्वारा दाल और चावल पर 5 प्रतिशत जी.एस.टी. थोपने के कारण दाल और चावल काफी मंहगे हो गए हैं। फलस्वरूप आम आदमी अपने रूचि का दाल चावल नहीं खरीद पा रहे हैं। जी.एस.टी. कौंसिल ने निर्णय लेकर मांस, हीरे, चीनी, डेरी उत्पाद, आदि पर जी0एस0टी0 कम कर दिया है। वह खुशी की बात है किन्तु इसका। लाभ अमीरों को होता है, न की गरीब आम जनता को होता है। 5 प्रतिशत जीएसटी ब्रांडेड का लाभ अमीरों को ही मिलता है। वही ब्रांडेड खरीद पाते हैं। अच्छी क्वालिटी की दाल और चावल गरीब लोग खरीद नहीं पा रहे हैं।

अतः मैं माननीया वित्त मंत्री से मांग करता हूं कि आम आदमी और किसानों के हितों को ध्यान में रखकर दाल और चावल से जी.एस.टी. अविलम्ब समाप्त करने का कष्ट करें ताकि देश की आम जनता और किसानों का भला हो सके।

(ii) Need to accord approval to the proposed Anandnagar - Maharajganj - Ghughli railway line in Uttar Pradesh

श्री पंकज चौधरी (महाराजगंज): पूर्वोत्तर रेलवे में आनन्द नगर-महराजगंज घुघुली (50 कि0मी0) नई रेल लाइन परियोजना का 2013-14 के बजट में शामिल किया गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक दबाव के कारण गाड़ियाँ घंटों लेट हो जाती हैं। इस रेल मार्ग के निर्माण से एक पैरलल मार्ग मिलेगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ-साथ पूर्वोत्तर रेलवे से विस्तृत अनुमान प्राप्त हो गया है। डी.पी.आर. के मुताबिक परियोजना की लागत 1 339.09 करोड़ रु0 है। यह परियोजना नीति आयोग से स्वीकृत होकर केबिनेट की स्वीकृति हेतु आ गयी है।

इस रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान करने का कष्ट करें।

(iii) Regarding payment of money to beneficiaries of Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin in Chhattisgarh

श्री संतोष पाण्डेय (राजनंदगाँव): अंत्योदय की चिंता की भावना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने फैसलों में किया है, किन्तु विगत कुछ माह से "प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनांतर्गत हितग्राहियों को भुगतान में देरी हो रही है जिससे आवासों के निर्माण में कठिनाई हो रही है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास में हितग्राहियों को चार किस्तों में कुल 1,30,000/- रु0 की राशि सीधा उनके खाते में दिये जाने का प्रावधान है परंतु छत्तीसगढ़ के विभिन्न आदेशों के उपरांत हितग्राहियों को उनके किस्तों को प्राप्त करने हेतु बैंक एवं जनपद पंचायत कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है क्योंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कार्यालय (हुर्दखदान) का आदेश दिनांक 2/5/19 क्रमांक 994 के अनुसार हितग्राही अपना स्वयं का पैसा नगद आहरण नहीं कर सकते। चूंकि उक्त आदेशानुसार मटीरियल सप्लायर को भुगतान किये जाने का आदेश सभी बैंकों को दिया गया है जो विधि विपरीत है एवं इससे हितग्राहियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए बताना चाहता हूं कि "प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हेतु प्राप्त राशि को सीधे हितग्राहियों के खाते से स्वयं आहरण की सुविधा प्रदान किये जाने का आदेश जारी करने हेतु संबंधित को आदेशित करें।

(iv) Need to expedite setting up of railway wagon repair workshop in Dalmianagar, Rohtas district, Bihar

श्री छेदी पासवान (सासाराम): मेरे द्वारा बिहार के रोहतास जिला अंतर्गत डालमिया नगर उद्योग परिसर का स्थल निरीक्षण के क्रम में आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि रेल मंत्रालय द्वारा डालमिया नगर उद्योग परिसर में आवधिक वैगन मरम्मत कारखाना स्थापित करने का कार्य वर्कशाप प्रोजेक्ट ऑर्गनाइजेशन राइट्स (RITES) को सौंपा गया है, किन्तु इच्छाशक्ति के अभाव के कारण उक्त संस्था द्वारा कारखाना स्थापित करने में अनावश्यक विलंब किया जा रहा है जिसकी सूचना मैं पूर्व में भी रेल मंत्रालय को दे चुका हूँ। उल्लेखनीय है कि उक्त परिसर में कबाड़ा हटाने के बाद कार्य शुरू करने की दलील दी जा रही है, जबकि कबाड़ों की मात्रा में नीलामी की प्रत्याशा में भारी गिरावट आई है और कबाड़ा का काफी नुकसान एवं क्षरण हुआ है। वहां स्टील बाउण्ड्री एवं बम्बू यार्ड को साफ करके कार्य शुरू किया जा सकता है। जिससे आवश्यक 1 0 0 एकड़ भूमि की आसान उपलब्धता है। संबंधित रेल अधिकारियों द्वारा कारखाना शुरू करने में विलंब का कारण युक्ति युक्त एवं तर्कसंगत नहीं है तथा केवल इच्छाशक्ति के अभाव में अकारण विलंब किया जा रहा है।

अतः मेरा विशेष अनुरोध है कि कृपया संबंधित मंत्रालय को निर्देशित किया जाए ताकि स्वयं लेकर लोकहित के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को स्पष्ट दिशा-निर्देश से कालबद्ध रूप से संपादित करायी जाये।

(v) Need to establish a Government Women College at Sahjanwa in Gorakhpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री रवि किशन (गोरखपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र गोरखपुर के सहजनवां में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु महिला महाविद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2014 में सत्ता संभालते ही देश की बालिकाओं को संरक्षण प्रदान करने हेतु उनकी शिक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने के महत्व को समझते हुए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था तथा उनकी प्रगति और उन्नति हेतु अनेक योजनाएँ प्रारंभ की थी। सहजनवां में महिला महाविद्यालय की स्थापना श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के महान लक्ष्य प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि केन्द्रीय सहायता से सहजनवां में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाय ताकि वहां के आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं की उच्च शिक्षा का सपना साकार हो सके।

(vi) Need to provide adequate medical facilities in AIIMS, Patna, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): देश में उच्च स्तरीय चिकित्सा के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,नई दिल्ली सर्वोच्च चिकित्सीय संस्थान है । इसी संस्थान के प्रतिष्ठा और चिकित्सीय विशेषज्ञता के समान जनता को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के अलग-अलग हिस्सों में कई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है जिसमें एक पटना एम्स भी है ।अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना की स्थापना के बाद से यहाँ पर मरीजों का इलाज/उपचार तो चल रहा है, लेकिन नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के समान मरीजों को इलाज के रूप में जो सभी सम्पूर्ण सुविधायें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है । मरीजों को जांच इत्यादि कराने के लिए अस्पताल से बाहर जाना पड़ता है । अधिकांश दवाईयां भी अस्पताल के बाहर से मरीजों को लेनी पड़ती है । मरीजों को अस्पताल में भरती होने के बाद जो न्यूट्रिशियन भोजन उपलब्ध कराया जाता है, उसकी भी ठीक से व्यवस्था नहीं है । इसलिए यहां पर इलाज कराने में मरीजों को आर्थिक कठिनाईयों के साथ-साथ कई अन्य प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से मेरा अनुरोध है कि पटना एम्स में नई दिल्ली एम्स के समान सभी प्रकार की सुविधाएं मरीजों को दिलाए जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्यवाही किया जाए ।

(vii) Need to take stringent action to stop increasing incidents of rape and murder of minor girls in Bhopal, Madhya Pradesh

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): भोपाल, मध्यप्रदेश राज्य में छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर हत्या की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। हाल ही में एक के बाद एक ऐसे कई मामले संज्ञान में आये हैं। ऐसे मामलों को दर्ज करने में देरी या आनाकानी किया जाना और अपराधियों का पता लगाने में पुलिस का गैर जिम्मेदारना रूख अपनाना, अपराधियों को निरंकुश कर रहा है। इन घटनाओं की रोकथाम के लियें थानों में अलग से बेटी बचाओ सेल बनाई जाए। पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2017 में फांसी की सजा का कानून बनाया था, जिसे लागू किया जाए। ऐसे मामलों में जिन अपराधियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है परन्तु अपराधियों द्वारा हाईकोर्ट उवं सुप्रीम कोर्ट जाते जाते काफी देर हो जाती है। अतः इन मामलों में अविलम्ब न्याय हेतु कानून बने ।

(viii) Need to run a new train between Farrukhabad and Hazrat Nizamuddin, Delhi

श्री मुकेश राजपूत (फर्रूखाबाद): मेरा संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद अति पिछड़े क्षेत्रों में से एक है यह देश की राजधानी से मात्र 300 किमी की दूरी पर स्थित है मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद से नई दिल्ली के लिए मात्र एक ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस 14723/14724 ही चलती है जबकि दिल्ली के नज़दीक होने के कारण मेरे क्षेत्र के किसानों व्यापारियों आदि को प्रतिदिन आना जाना पड़ता है। परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद से दिल्ली से वाया ढूंडला अलीगढ़ होते हुए जोड़ने वाली एक मात्र ट्रेन कालिंदी एक्सप्रेस ही है जिसमें आशातीत भीड़ रहती है जबकि एक अन्य रूट फर्रुखाबाद से नई दिल्ली वाया टूडला आगरा, मथुरा होते हुए हजरत निजामुद्दीन के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है। माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र फर्रुखाबाद से मैनपुरी टुंडला आगरा मथुरा होते हुए हजरत निजामुद्दीन तक एक नई एक्सप्रेस ट्रेन चलवाने का कष्ट करें जिससे कि मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल संकिसा, नीम करोरी और कपिल आने वाले पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों को आवागमन की सुविधा हो सके।

(ix) Regading reported violence in West Bengal

SHRIMATI LOCKET CHATTERJEE (HOOGHLY): I want to draw your attention to the burning topic of violence in West Bengal.

The condition of Bengal is getting worse day by day. The violence is tearing the very fabric of democracy in Bengal.

When a worker of a political party gave a slogan of 'Jai Shri Ram' in my constituency, Hooghly, the workers of another political party got into tussle with him. They attacked him and when the police arrived the matter got even worse. It felt like cadres of one particular party worked with the Police hand in gloves.

He was allegedly shot by Police which is not new in Bengal where the Police are losing the sense of responsibility of protecting their subjects.

I would like to urge the Hon'ble Home Minister, that a team of investigating agencies may be sent to the state of West Bengal and an adequate number of Central Forces may be deployed for containing the violence.

(x) Need to shut down slaughter houses in Unnao Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

डॉ. स्वामी साक्षीजी महाराज (उन्नाव): उन्नाव क्षेत्र में बूचड़खानों एवं टेनरियों की भयंकर समस्या है। मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों का जीना दूभर हो गया है। बूचड़खानों के कारण भारी मात्रा में पानी प्रदूषित हो रहा है। इसलिए इन्हें तुरंत बंद करवाने की आवश्यकता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में बूचड़खानों की समस्या का निदान करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

(xi) Need for conservation of 'Khejri' tree in Rajasthan

श्री देवजी पटेल (जालौर) : राजस्थान का गौरव व कल्प वृक्ष खेजड़ी दिनों दिन लुप्त हो रही है। मरूस्थल में खेजड़ी किसानों की सबसे बड़ी सहयोगी बनी हुई है। खेजड़ी की पत्तियों से जैविक खाद बनता है। खेजड़ी का वृक्ष जेठ के महीने में भी हरा रहता है। गर्मी में जब रेगिस्तान में जानवरों के लिए धूप से बचने का कोई सहारा नहीं होता तब यह पेड़ छाया देता है। वहीं इसका फल सांगरी सब्जी बनाने में उपयोग आता है और अकाल के समय खेजड़ी की कोमल पत्तियों को पशुओं के आहार के रूप में उपयोग लिया जाता है। संरक्षण के अभाव में खेजड़ी के पुराने पड़े धीरे-धीरे लुप्त होते जा रहे हैं वहीं नए पौधे भी नहीं पनप रहे हैं । ऐसे में खेजड़ी की प्रजाति पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। खेजड़ी अज्ञात बीमारी के कारण दिनों-दिन विलुप्त होती जा रही है।

(xii) Regarding challenges posed by climate change

श्री रमेश चन्द्र कौशिक (सोनीपत): वैशविक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और इसके विनाशकारी प्रभावों ने भारत की दहलीज पर भी दस्तक दे दी है। जलवायु परिवर्तन जनित वैश्विक तापमान में बढ़ोत्तरी (ग्लोबल वार्मिंग) के परिणामस्वरूप, इस साल भारत के तटीय इलाकों में एक के बाद एक आठ चक्रवाती तूफान देखने को मिले जिनकी वजह से। व्यापक पैमाने पर जान-माल का नुकसान हुआ। जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभाव और चुनौतियों से निपटने की कार्ययोजना बनाने पर सभी देशों ने साल के आखिर में पोलैंड में आयोजित "कोप 24 सम्मेलन' में गंभीर मंथन कर कुछ दिशा निर्देश बनाने में कामयाबी जरूर हासिल की तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए पेरिस समझौते में तय की गई कार्य योजना को लागू करने के दिशा निर्देश तय करने में भी कामयाबी हासिल की। विश्व मौसम संगठन के मुताबिक, 2018 बीते 138 सालों में अब तक का चौथा सबसे गरम साल रहा। जलवायु परिवर्तन जनित मौसम की चरम स्थितियों के कारण भारत सहित दुनिया के अधिकांश हिस्सों में तबाही का मंजर देखने को मिला। अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय पर्यावरण मंत्री जी से निवेदन है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन कायम करते हुए कुदरत के साथ कदमताल मिलाने की नसीहत देने वाली तमाम रिपोर्टों में "अभी नहीं तो कभी नहीं की चेतावनी देते हुए एक बात साफ तौर पर कही गई है कि धरती को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से बचाने के लिए माकूल वक्त मुट्ठी से रेत की तरह तेजी से फिसल रहा है

(xiii) Need to implement AMRUT scheme in Dausa Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): मेरे संसदीय क्षेत्र दौसा, राजस्थान में नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र में AMRUT योजना के तहत एक भी जगह का चयन नहीं किया गया है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र नल, बिजली, पानी, सड़क एवं मूलभूत सुविधा से वंचित है। नगर परिषद दौसा को अमृत योजना में चयन कर बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, जलापूर्ति, मलप्रवाह पद्धति, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संरक्षण, परिवहन, बच्चों एवं वृद्धजन हेतु पार्क, अच्छी सड़क और चहुं ओर हरियाली आदि विकसित की जावेगी। कस्बों का विकास करने वाली इस महत्वपूर्ण योजना में मेरे संसदीय क्षेत्र का चयन करने की अपील करती हूं। मेरे क्षेत्र मुख्यालय एवं बड़े कस्बों में जन सहभागिता का मैं आपको विश्वास दिलाती हूं।

(xiv) Need to construct pucca roads in tribal inhabited reserve forest areas in Bharuch Parliamentary Constituency, Gujarat

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत भरूच एवं नर्मदा जिलों में कई रिजर्व फोरेस्ट एरिया है, जहाँ पर आदिवासी आबादी बहुलता में निवास करती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत गांवों को जोड़ने वाली जो सड़कें इन रिजर्व एरिया में बन रही हैं, वे कच्ची सड़कें बन रही हैं जिसके कारण बरसात में यह सड़कें खराब हो जाती हैं एवं इन सड़कों की दशा दयनीय हो जाती है, जिस पर चला भी नहीं जाता और रिजर्व फोरेस्ट एरिया में रहने वाले आदिवासी लोगों को पक्की सड़कों से वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी सड़कों को बनाने का क्या फायदा जो एक साल में ही खराब हो जाए।

यहां पर यह उल्लेखनीय है कि इसी क्षेत्र में ऐतिहासिक भील राजा की राजधानी जुनाराज 20 कि0मी0 और झरवानी से माथासार, कणजी वादरी और डुमखल तक 25 कि0मी0 कच्ची सड़क है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में मेरा सरकार से आग्रह है कि आदिवासी लोगों की सुविधा और उनके सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाए, जिससे हमारे उक्त आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आवागमन की सुविधा को आसान और स्थायी बनाया जा सके।

(xv) Regarding improvement of airport terminal and operation of domestic and international Flight Services from Surat Airport, Gujarat

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश (सूरत): सूरत हवाई अड्डे के बुनियादी टर्मिनल को यात्रियों की मांग और जरूरत को देखते हुए तेजी से अपग्रेड करने की तुरन्त आवश्यकता है।

हमारे शहर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रदान की गई है, लेकिन आज तक एक साथ डोमेस्टिक और अंतराष्ट्रीय हवाई सेवाओं का परिचालन नहीं किया जा रहा है।

एयरपोर्ट ऑथोरिटी (AAI) को अपने बुनियादी टर्मिनल को अद्यतन करने की आवश्यकता है और इसके लिए कुछ व्यक्तिगत पदों को नियुक्त कर संभव बनाया जाना चाहिए।

लगातार रिमाइंडर्स के बाद भी 24 घंटे ऑपरेशन हवाई अड्डे पर लागू नहीं किए गए हैं और सुबह और शाम एयरलाइन परिचालन के लिए प्रमुख स्लॉट प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए सूरत-कोलकाता सुबह के स्लॉट को मंजूरी नहीं दी गई जबकि शाम को सूरत-चेन्नई स्लॉट को मंजूरी नहीं दी गई।

कई एयरलाइंस टर्मिनल का दौरा कर रही हैं और मांग कर रही हैं कि इसका विस्तार किया जाए ताकि वे अंतरराष्ट्रीय परिचालन शुरू कर सकें। उदाहरण के लिए इंडिगां दुबई और सिंगापुर में परिचालन शुरू करना चाहता है, लेकिन टर्मिनल के कारण नहीं कर सका।

नए टर्मिनल के लिए भी जल्द से जल्द विस्तार करने की जरूरत है।

(xvi) Regarding unethical medical practices by drug manufacturing companies

श्री पी. पी. चौधरी (पाली) : मैं लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी ज्वलंत समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहता हूँ कि बहुत सी दवा बेचने वाली कम्पनियां अपनी दवाइयों को बाजार में तेजी से बेचने के लिए सभी हदें पार करती जा रही हैं। अभी हाल ही में जब मैंने अपने रिश्तेदार के ब्लड शुगर की जांच करवाई तो मेरी जानकारी में अलग-अलग डॉक्टरों के माध्यम से लाया गया कि शुगर लेवल के मानक की मान्यताएं अलग-अलग होती जा रही हैं। डॉक्टरों व दवा कम्पनियों द्वारा तय किये गए मानक ही बाजार में प्रचलित भी हो रहे हैं। लोग भय के कारण इन दवाइयों का तेजी से इस्तेमाल करने लगेंगे और दवा कम्पनियों को करोड़ों रूपये का लाभ होगा। इसी के साथ-साथ तय मानकों को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचारित भी किया जाना चाहिए ताकि दवा कम्पनियां अपनी मनमानी करके अनावश्यक रूप से अपनी दवाइयों को न बेच सकें।

(xvii) Need to establish a Sainik School/Military School in Jabalpur parliamentary constituency, Madhya Pradesh

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): जबलपुर पूर्वी मध्यप्रदेश का मुख्यालय है। जबलपुर में रक्षा मंत्रालय की पाँच बड़ी इकाईयाँ कार्यरत हैं और इसके साथ ही जबलपुर में भारतीय सेना की तीन बड़े प्रशिक्षण केन्द्र एवं अभिलेख कार्यालय है । जबलपुर भी भारतीय सेना की दृष्टि से मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओड़िसा एवं बिहार का मुख्यालय है।

जबलपुर में भारतीय सेना एवं रक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान होने के कारण सैनिकों की संख्या भी यहाँ सबसे अधिक है, मध्यप्रदेश में मात्र एक रीवा में सैनिक स्कूल है । जबलपुर में सैनिक/मिलिट्री स्कूल खोले जाने से अधिक से अधिक सैनिकों एवं अन्य लोगों के बच्चों को प्रवेश मिलेगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर एक अनुशासित एवं देश के विभिन्न हिस्सों में कार्य कर युवा अपना उच्च कौशल दिखा सकेंगे।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर में सैनिक/ मिलिट्री स्कूल खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(xviii) Regarding problems faced by students in availing education loan from banks

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): The students from financially weaker sections are not able to avail the education loan from the banks. These loans have no uniformity and the banks are following different procedures for issuing loans. The Nationalized banks are following one procedure. The scheduled banks and private sector banks have their own laws and procedures. Every bank is taking collateral security from the applicants and using SARFAESI Act if they fail to repay on time. The aim is, therefore, not fulfilled and poor students have no access to loan.

I request the Government to consider it very seriously and give direction to the banks to follow uniform procedure which will not harm the applicants. The loan was introduced to help the financially weaker sections and without collateral security, the government has to take necessary steps to reduce the interest rate and if repayment is delayed, the banks should not use the SARFAESI Act.

(xix) Regarding Central Assistance to KBK Region of Odisha

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): The KBK comprising Koraput, Nabarangpur, Malkangiri, Rayagada, Sonepur, Balangir, Kalahandi and Naupada districts, is one of the poorest and most backward regions of the country. Despite years of focused development, intervention by both Central and State Governments, large proportion of rural poor and tribals in KBK region continue to face chronic hunger and reportedly starvation deaths. Reduced forest cover, farmer distress, no visible employment opportunity — people are forced to migrate to other States in search of jobs.

As per one National Family Health Survey, only 47.38% women in the KBK region are literate against the State average of 67.4%, while the literacy level among men in the region is 72.93% against the State's 84.3%. In case of institutional delivery, the region with 76.48% lags behind the State's average of 85.4%.

Central assistance for Area Development Programmes like Special Plan for KBK, Backward Region Grant Fund (BRGF) and Integrated Action Plan have been discontinued. The Central Government has discontinued ST/SC scholarship scheme thus depriving beneficiaries in the tribal region. Schemes delinked from support of the Centre during the budget 2015/16 include: National e-Governance Plan, Backward Regions Grant Funds, Modernization of Police Forces, Rajiv

Gandhi Panchayat Sashaktikaran Abhiyaan (RGPSA), Scheme for Central Assistance to the States for developing export infrastructure, Scheme for setting up of 6000 Model Schools, National Mission on Food processing & Tourist Infrastructure. Though the State Government has launched its own Biju KBK Plan, it is not sufficient. Justice Puncchi Commission on Centre-State relation has recommended for higher Central transfers to backward states for improving the physical and human infrastructure.

Will the Government of India provide a special package to the KBK region outside the framework of “Aspirational Districts” for continuation of some of the previous programmes from the budget provision available with NITI Ayog?

(xx) Need to increase wages of Anganwadi and ASHA workers and helpers

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): The Integrated Child Development Service Scheme is a government initiative for allround development of children under 6 to improve nutrition and health status. The services are offered at Anganwadi Centres through Anganwadi workers and helpers and ASHA workers who work at grassroot level.

I urge the Minister of Women and Child Development to increase the wages of Anganwadi workers and helpers as well as Asha workers.

(xxi) Need to take measures to provide better and safe environment to women and girls in the society

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Women and girls from across the globe believe India is unsafe for them so this is certainly a shame to every citizen of our country. Police Patrolling or Mobile apps are just a partial help as we don't have enough police to guard every girl and not all girls or women carry smart phones. To face the world with pride Indian Government should consider the following:

1. Make Good Touch and Bad Touch awareness subject as mandatory for both boys and girls studying in Primary Schools

2. Make Self Defense Training Mandatory for Girls studying in Schools, Colleges and Universities. This subject can be taken up as Jhansi Rani

3. Government should pass an order stating every employer employing female employee should provide Free Self Defence Training programme for their female employees. Female employees face abuses at work, while commuting to work and even at their home.

By considering the above 3 steps India can ensure that the children, girls and women of our country will be able to confront any odd situations leading to reduction in crime rate against Women, Girls and Children.

(xxii) Need to provide funds for rejuvenation of river Valdhuni in Maharashtra

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : मेरे लोक सभा क्षेत्र अंबरनाथ से निकलने वाली वालधुनि नदी 9.5 कि.मी. लम्बी एक उप नदी है। मल एवं औद्योगिक उपशिष्ट निर्वहन की वजह से अब यह एक नाले का स्वरूप ले चुकी है, परन्तु बारिश के मौसम में हर वर्ष फिर से एक नदी का रूप ले लेती है जिससे जल भराव और भू जल स्तर के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है। 2005 से अब तक इसके कायाकल्प की कई कोशिशें हुई पर कोई कारगर परिवर्तन न हो सका। जब कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए केन्द्र सरकार ने बजट परिव्यय में 20,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

मैं यह मांग करूंगा कि वालधुनि नदी के जीर्णोद्धार के लिए भी केन्द्र सरकार केन्द्रीय निधि दे क्योंकि ऐसे काम के लिए इसके तट पर बसे छोटे-छोटे महानगरपालिका/पालिकाओं के पास इतना बजट नहीं है कि वह इसकी सम्पूर्ण सफाई करवा सकें।

(xxiii) Need to provide financial assistance to Odisha to set up cyclone resistant power distribution network

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The severe cyclone 'FANI' hit Odisha coast on 3 May, 2019 with a wind speed of 200 km per hour and extensively damaged power infrastructure consisting of Extra High Tension, High Tension and Low Tension Networks in various Districts of Odisha. Besides large scale damage to 11 KV lines, distribution transformers and LT network, extensive damage has also been caused to 220 KV/132 KV towers and transmission lines; Grid Sub-Stations and power transformers; 33 KV poles, lines and primary Sub-Stations in various parts of the coastal districts in Odisha. The transmission and distribution companies are not in a position to finance restoration work of such power infrastructure. As electricity is a basic necessity, the State Government has undertaken restoration of power infrastructure from its own resources. However, the scale of damage to the power infrastructure is far too extensive to be taken care of by the State Government alone. Under the IPDS Project for Odisha, a proposal for underground cabling of 381.51 km with an estimated cost of Rs. 161.76 crore was submitted, but the Government has sanctioned only 58.71 km with an estimated cost of Rs. 27.48 crore. Since, severe cyclones hit coastal areas of the State frequently due to global warming and restoration work involves huge expenditure, the request of the State Government for underground cabling seems justified. I, therefore, urge upon the Government to provide Rs. 10000

Crore for setting up a cyclone resilient distribution network having its headquarters at Bhubaneswar for coastal districts of Odisha such as Cuttack, Purl, Berhampur, Chhatrapur, Jagatsinghpur, Kendrapara, Jajpur, Bhadrak and Balasore.

(xxiv) Regarding plastic waste management

SHRI RITESH PANDEY (AMBEDKAR NAGAR): According to the Central Pollution Control Board, India generates 26,000 tonnes of plastic waste every day. Plastic bans haven't worked because of lax implementation, and the government's target of phasing out single-use plastic by 2022 seems to be a mirage.

The need of the hour is to speed towards becoming a circular economy, an economic system that treats waste as a material resource for further production. Through sustainable public-private partnerships, we need to promote growth, investment, and job-creation in the circular economy:

India has enterprises that can turn plastic packaging into fabrics, shoes, roads, toys, and even houses, and we have R&D underway for much more in the interest of our future generations. I would like to urge Government Ministries and Departments to work together to adopt and implement solutions that treat the plastic waste management not as a problem but as a solution to boosting jobs, growth, and innovation.

(xxv) Need to develop and improve telecommunications connectivity in Lakshadweep

SHRI MOHAMMED FAIZAL P.P. (LAKSHADWEEP): Lakshadweep Islands home to about 70,000/- people are currently connected by satellite, which restricts the bandwidth and increases the cost of connectivity. Due to this, the people in certain areas of Lakshadweep are not able to connect with the people in other parts of the country and other countries. Reliable telecommunications to the islands from the Indian mainland are vital as they safeguard the country's seaboards and are strategically vital from the point of security as they are closer to foreign countries like Maldives etc. than the Indian mainland. A proposal to connect Lakshadweep with fibre was mooted as early as 2014, but plans have never been finalized. Therefore, I request the Government to make efforts in implementing the project for developing and improving connectivity in Lakshadweep.

(xxvi) Regarding plight of fishermen of Ramanathapuram Parliamentary Constituency of Tamil Nadu

SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): My constituency Ramanathapuram is a coastal area and has a long coastal line. The main occupation apart from agriculture is fishing. A considerable portion of the population is engaged in fishing. But the fishermen face a lot of difficulties. While fishing they get lost into territorial waters of Sri Lanka because of non-availability of any scientific equipment regarding navigation, and are often captured, harassed and even killed by Sri Lankan defence forces. During natural calamities like storm, high tides, tsunami etc. the fishermen lose their way and get stuck in the storm and are unable to return to the sea shore. It is very difficult to locate them and bring them to sea shore for want of GPS facilities. There is no Coast Guard in my constituency, who could help in this matter. During off season of fishing they get a paltry sum as subsistence allowance. I demand that subsistence allowance should be given by the Central Government also and the insurance cover should be increased. They should be given fishing nets, boats etc. at very subsidized rates. Government should chalk out a scheme for the health facilities and also for an old age pension scheme for fishermen. They should be given adequate quantity of diesel also. I, therefore, request the Government to take necessary action for the welfare of fishermen.

(xxvii) Regading TikTok and its affiliates posing a threat to the country

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Bytedance (which runs Helo, and TikTok) is the world's richest startup with 300 million users in India. Its applications collect 45% more permissions than other Apps granting them intrusive access on their users. In fact, the US government has imposed a fine of 5.7 million dollar on Bytedance for violating children's privacy. Studies show that its data is shared with China Telecom, a Chinese government-owned entity.

Bytedance also runs a network of paid influencers who receive 1 lakh per month and can impact our democratic process. In 2019, Facebook had to remove 11,000 fake morphed election-related media shared by Hello.

The Foreign Policy magazine also supports this view by stating that the Chinese government can tweak Bytedance's algorithms and make Cambridge analytical seem like child's play. Under the garb of a lighthearted application, TikTok and its affiliates pose a serious threat to India. It is high time we take serious action against such threats.

14.03 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN TEACHERS' CADRE) ORDINANCE, 2019
AND
CENTRAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (RESERVATION IN TEACHERS' CADRE) BILL, 2019

HON. CHAIRPERSON : Hon. Members, Items Nos. 11 and 12 will be taken up together now. Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move:

> "That this House disapproves of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No. 13 of 2019) promulgated by the President on 7th March, 2019."

HON. CHAIRPERSON: Mr. Minister.

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्रीमन्, यू.जी.सी. के वर्ष 2006 के जो दिशानिर्देश थे, उसी के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में संकाय के पदों पर नियुक्ति होने का प्रावधान था। यू.जी.सी. के निर्देश भी थे कि आरक्षण में जो रोस्टर है, उसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को एक ईकाई मानकर नियुक्तियां की जाए। लेकिन, इसी बीच इस प्रावधान के खिलाफ एक विज्ञप्ति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में 16 जुलाई, 2016 को जारी हुई। इस विज्ञप्ति के खिलाफ कुछ लोग इलाहाबाद उच्च न्यायालय चले गए और 12.09.2016 को उच्च न्यायालय में जो रिट याचिका दायर की। उसमें उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2017 को यू.जी.सी. के जो दिशानिर्देश थे, जिसमें ईकाई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय था, उसे अमान्य घोषित कर दिया, जिससे असहज स्थिति पैदा हो गई।

श्रीमन्, इस बीच जब उच्च न्यायालय का यह आदेश आया तो यू.जी.सी. ने और मंत्रालय ने इस दिशा में चिंता व्यक्त की कि जो व्यवस्था के तहत अब करना पड़ेगा, उससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जो संविधान की मंशा है। इसलिए यू.जी.सी. ने इसे देखते हुए 21 विश्वविद्यालयों का एक अध्ययन किया और अध्ययन यह आँकड़ा प्राप्त करने के लिए किया कि यदि विश्वविद्यालय को ईकाई न मानते हुए, विषय और सब्जेक्ट को ईकाई मानते हैं, तो इन दोनों में क्या अन्तर है। 21 विश्वविद्यालयों के आँकड़ों के विश्लेषण के पश्चात् हमें जो प्राप्त हुआ, उसमें यदि हम विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो जैसे प्रोफेसर के 133 पद हैं, तो अनुसूचित जाति के लोगों को 133 पद मिलते हैं जबकि यदि विभाग को ईकाई मानते हैं तो उन्हें केवल 4 पद मिलते हैं। ऐसे ही यदि हम विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर के 262 पद मिलते हैं जबकि यदि विभाग को ईकाई मानते हैं तो केवल 47 पद मिलते हैं। ऐसे ही सहायक प्रोफेसर में यदि हम विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो 19 पद मिलते हैं और यदि सब्जेक्ट को ईकाई मानते हैं तो 249 पद मिलते हैं। यह अनुसूचित जाति के लिए है और इसी प्रकार हमने अनुसूचित जनजाति का भी विश्लेषण किया। उसमें भी यदि हम विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो

प्रोफेसर के 58 पद मिलते हैं, जबकि यदि ईकाई विभाग को मानते हैं तो शून्य पद मिलते हैं। ऐसे ही सहायक प्रोफेसर में यदि विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो 309 पद होते हैं जबकि विभाग को ईकाई मानते हैं तो मात्र 66 पद होते हैं। इस तरह -100 प्रतिशत, -59 प्रतिशत, -78 प्रतिशत का घाटा उस दिशा में हो रहा था।

इसी तरह, हम लोगों ने पिछड़े वर्गों के लिए भी विश्लेषण किया था। विश्लेषण में यह पाया कि यदि विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो प्रोफेसर के 11 पद मिलते हैं जबकि यदि विभाग को ईकाई मानते हैं तो शून्य पद मिलते हैं। अगर सहायक प्रोफेसर में विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो 1,112 पद मिलते हैं और यदि ईकाई विभाग को मानते हैं तो केवल 855 पद मिलते हैं। इस तरीके से, जब हमने यह देखा है कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जिनके तहत एस.सीज़., एस.टीज़. और ओ.बी.सीज़. को न्याय देने की जो बात की गयी थी, वह हमारी मंशा इसमें पूरी नहीं हो रही है। इसलिए इसका सम्पूर्ण विश्लेषण करने के बाद सरकार इस बिन्दु पर पहुंची कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर की जाए। हमारी सरकार और यू.जी.सी. ने 16 अप्रैल, 2018 को सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी. दायर की है। यह 13 तारीख को मंत्रालय गया और 12 अप्रैल को यू.जी.सी. गया। श्रीमन्, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी, 2019 को इन विशेष याचिकाओं को फिर से खारिज कर दिया। खारिज होने के पश्चात हमने पुन: 12 जनवरी, 2019 को फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दाखिल की। 13 फरवरी, 2019 को मंत्रालय ने किया और 12 फरवरी, 2019 को यूजीसी ने रिट याचिका दायर की। ये दोनों जो याचिकाएं थी, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2019 को रद्द कर दिया।

श्रीमन्, ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ा था कि आखिर जो संविधान की मंशा है, वह पूरी नहीं हो पा रही है। विश्लेषण के बाद हम इस आधार पर पहुंचे और

सरकार ने अध्यादेश का एक मसौदा लाना सुनिश्चित किया। इस अध्यादेश का मसौदा था कि आरक्षण रोस्टर तथा संकाय भर्ती की जो इकाई होगी, वह विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होगा।

श्रीमन्, इस ध्येय का एक अध्यादेश लाया गया। राष्ट्रपति जी ने 7 मार्च, 2019 को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित अथवा सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं के काडर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने हेतु केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 को अपनी स्वीकृति दे दी थी। उसी दिन मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी कर दी और 8 मार्च को फिर यूजीसी ने तत्काल प्रभाव से इन पदों पर भर्ती करने के लिए सुनिश्चित आदेश कर दिया, निर्देश दे दिया। उच्च शिक्षा में लगभग सात हजार पद रिक्त थे और उससे हमारी पूरी शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थीं। आज हम लोग उस अध्यादेश को बिल के रूप में लाए हैं।

श्रीमन्, एक दूसरी बात है कि संविधान में जो 103वां संशोधन हुआ था, उस संशोधन के तहत अनुच्छेद 16(6) में प्रावधान किया गया था। उन प्रावधानों को भी इसमें जोड़ा गया कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, उनको प्रवेश और संकाय की नियुक्तियों में आरक्षण की दृष्टि से लाभ मिले। इसको भी आज हम यहां पर लाए हैं। इन दोनों विषयों को जोड़कर आज हम यह बिल लाए हैं। अधीर रंजन जी से मेरा निवेदन जरूर होगा, क्योंकि देश की ये शैक्षणिक संस्थाएं हैं और पता नहीं क्यों आपने विरोध करने के लिए कहा होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन यह तो सभी का विषय है। ये नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से हों। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : पहले इनको सुन लीजिए, उसके बाद आप निवेदन रखेंगे।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनको **10** प्रतिशत के आरक्षण की दृष्टि से संकाय की नियुक्ति के लिए गवर्नमेंट ने 717.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दे दी, ताकि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण हो सके।

श्रीमन्, मैं यही आशा कर रहा हूं कि इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, सरकार यह कह सकती है कि अध्यादेश की क्यों जरूरत पड़ी। मैंने बिंदुवार, तिथिवार, परिस्थितिवार इन सबका वर्णन दिया है और मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर चर्चा भी हो, लेकिन सर्वसम्मति से इस बिल को पारित किया जाए।

HON. CHAIRPERSON: Motions moved:

> "That this House disapproves of the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 (No. 13 of 2019) promulgated by the President on 7 March, 2019"."
>
> "That the Bill to provide for the reservation of posts in appointments by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the socially and educationally backward classes and the economically weaker sections, to teachers' cadre in certain Central Educational Institutions established, maintained or aided by the Central Government, and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर**,** आज मैंने जो स्टेच्युटरी रेज़ोलूशन दिया था और साथ**-**साथ जो बिल**,** both have been clubbed together for discussion. माननीय पोखरियाल साहब, आप शुरू में ही गलतफ़हमी कर रहे हैं कि हम इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं। अगर आपको पहले से ही इतना मालूम हो जाए तो हमारे लिए उतना ही मुश्किल होगा। आप ज्ञानी आदमी है, इसके बहुत सारे प्रमाण आप पहले भी दे चुके हैं। आपने यह कहा था कि 1 लाख साल पहले हिंदुस्तान में महर्षि कणाद ने न्युक्लियर टेस्ट किया था। आपने यह भी कहा है कि एस्ट्रोलॉजी साइंस के ऊपर है। आप बड़े ज्ञानी हैं। आपकी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि लॉर्ड राम ने एरोप्लेन चलाया था, गणेश बाबा जी की प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। आपका शिक्षा में ज्ञान हमसे कहीं अधिक है। इसलिए आप यह न कहें कि हम विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं तो शुरुआती तौर पर एक बात आपको जरूर कहूंगा कि यह विषय बड़ा कठिन है, नटखट चीज है। आपको मंत्री पद संभाले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। यह जो विषय है, इसका जो कोर इश्यू है, I am not opposing the core concept and the contents of the legislative document; rather, I will oppose the invocation of Ordinance. That is my contention; and along with it, I would propose to the Government and to the Minister himself that the entire legislative document should be sent to the Standing Committee for thorough scrutiny. There is a habit being developed by this Government. You would be astonished to note that this Government is already ranked first in the invocation of Ordinances since Independence. For every ten Bills introduced by this Government during its tenure, four have been introduced in the form of Ordinances. This means 4:10 is the ratio for Ordinances to Bills. This is the record set by this Government.

We are opposing this kind of arbitrary invocation of Ordinances. It certainly will not augur well for the vibrant democracy for which you are also pleading. There lies our contention. Ordinances certainly may be invoked but there must be some sort of extraordinary circumstances which warrant extraordinary legislation or Ordinances, or whatever they may be called.

The Constituent Assembly had extensive deliberations on whether the Executive should have the power to promulgate Ordinances that would have the force of law. The question was whether the Executive should have the power to make legislative changes without the approval of the Legislature, that is the Parliament. Some argued that Ordinances should be used only in the case of emergencies. I am reiterating that Ordinances should be used only in the case of emergencies; for example, in the event of break-down of State machinery. Others argued that law-making powers should vest only with the Legislature, not the Executive.

Ordinances bring legislative changes to address certain gaps in the legal framework. Therefore, there is a need to create a space for wider deliberation and expert inputs on such changes. However, since Ordinances have to be passed within a specific time frame, they are often passed by Parliament without detailed scrutiny. That is why I am proposing for a detailed scrutiny, which can only be made possible through a Standing Committee because a Standing Committee is

considered a mini-Parliament. Detailed scrutiny and rigour are typically seen when other Bills are passed by Parliament.

The Ordinance-making power of the Executive contradicts the fundamental concept of separation of powers between the Executive and the Legislature allowing the Executive to make legislative changes, though temporary in nature, without the approval of Parliament, undermining the role of Parliament as a legislative institution.

हम लोग यह नहीं कहते कि अध्यादेश नहीं लाया जाए, लेकिन विशेष स्थिति में अध्यादेश लाना चाहिए। आप अध्यादेश लाए थे। चुनाव सामने हैं, वोट लेना है, आम लोगों को खुश करना है, लाओ, अध्यादेश लाओ। लेकिन अध्यादेश, यह भी एक आर्डनेंस है। जैसे कि आर्डनेंस फैक्ट्री में आप आर्टिलरी खरीदते हैं, दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए गोला-बारूद खरीदते हैं। उसका मतलब होता है आर्डनेंस । आप पार्लियामेंटरी सिस्टम को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑर्डिनेंस लाते हैं इसलिए इस विषय पर धीर और सोच-समझ कर चलने के लिए कहता हूं।

HON. CHAIRPERSON: The letter 'i' is missing.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : I would say it again that principally we do not have any objection to the contents of this legislation because democracy supports the concept of equality. The Members of the Constituent Assembly also acknowledged that India is fundamentally an unequal nation. So, our founding fathers said that due to some aberrations if any of these institutions act contrary to the basic principle of social justice, enshrined in the preamble to the Constitution,

the Government of the day, the Parliament and the judiciary should take coercive steps and ensure that the right to equality and provisions for reservation are implemented.

महोदय, हमारे देश में रिजर्वेशन आज से नहीं है, हमारे देश में दो हजार वर्ष पुराना रिजर्वेशन का चलन है। जब हमने कांस्टीट्यूशन बनाया, उस समय शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन का ऑप्शन रखा। फिर नब्बे के दशक में ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन के लिए दस प्रतिशत रिजर्वेशन देकर संरक्षण के दायरे में लाया जा रहा है। संरक्षण इसलिए हो रहा है कि अब भी हम यह सोचते हैं कि हमारे देश में असमानता है। हमारे देश में इनइक्यूटिलटी बरकरार है इसलिए हम इस तरह की कानून-व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं।

The Constitution of India provides for reservation of seats in educational institutions, public employment and legislatures. Reservation is prescribed for four categories of persons: Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Socially and Educationally Backward Classes and Economically Backward Classes. There is 7.5 per cent reservation for Scheduled Tribes, 15 per cent for Scheduled Castes, 27 per cent for OBCs and 10 per cent reservation for EWS.

Sir, in the year 1997, the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension prescribed a roster system which may be applied to ensure hiring of persons through reservation. In 2006, the University Grants Commission issued guidelines on the application of this roster system for reservation of teaching and non-teaching positions in Central Educational Institutions. These guidelines

require universities to consider an educational institute as one unit for the purpose of reservation. That means, in the year 2006 रिजर्वेशन के लिए यूनिवर्सिटी को यूनिट की हैसियत से देखा गया था। हम लोगों ने निर्णय किया था।

In 1997, the Department of Personnel, Public Grievances and Pension prescribed the roster system which may be applied to ensure hiring of Scheduled Caste, Scheduled Tribe and OBC teachers in the Central Educational institutions.In the year 2006, the University Grants Commission, under the Ministry of Human Resource Development, provided guidelines for the implementation of the reservation policy using the roster system, which was established in the year 1997.

In 2017, the hon. High Court of Allahabad held that Department should be taken as a unit for the purpose of reservation. Following these, the UGC amended its guidelines to incorporate the rulings of the hon. High Court of Allahabad. There lies the bone of contention – whether 'University as a unit' or 'Department as a unit' should be considered for the purpose of reservation. There lies the bone of contention.

In 2019, the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadres) Ordinance, 2019 was promulgated. It overturned the judgement of the hon. High Court of Allahabad and states that central educational institutions will

be regarded as one unit for the purposes of reservation. Additionally, the Ordinance expunged the reservation of seats to include OBC candidates.

I am giving one example so that it could be understood easily. If the university is taken as a unit for reservation, then the total number of posts for reserved categories would be out of 99 – 30 for SCs, 15 for STs and 54 for OBCs, whereas, the number of unreserved seats would be 101. There are two types of reservation systems – one is the 13-point roster and another is the 200-point roster. If the different departments of a university are taken as separate units of reservation, then the total number of posts for the reserved categories would be 83 – 25 for SCs, 9 for STs and 49 for OBCs, whereas, the number of unreserved seats would be 117. What are you observing? The judgement of the hon. High Court of Allahabad may affect the reservation policy that has been prevailing in our country. इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद एपेक्स कोर्ट भी कह रहा है कि यह ठीक नहीं है। हम कहां जाएं? दोनों तरफ कह रहे हैं कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है, यह वाएलेटिड है, कांस्टीटुएशन के आर्टिकल 14, 16 में तरह-तरह की वाएलेशन होती है। हम किधर जाएं?

इसमें एक लीगल एस्पेक्ट है और एक रिजर्वेशन का एस्पेक्ट है। अगर हम दोनों में संतुलन कर पाएंगे तो बढ़िया होगा, नहीं तो फिर कोई कोर्ट में जाएगा, कोर्ट दोबारा निर्देश देगा, तब हम कहां जाएंगे? हम चाहते हैं कि आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजकर लीगल ल्युमेनिरीज़, यूजीसी और अलग-अलग एक्सपर्ट्स को बुलाएं और कॉम्प्रिहेंसिव लेजिसलेशन रिजर्वेशन पर लाएं। हमारे सामने किसी भी तरह की स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो क्योंकि कोर्ट कहता है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है और आप कहते हैं कि यह उचित है। इस तरह से नहीं होना चाहिए।

HON. CHAIRPERSON: They have a right to reply also.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, please give me two or three minutes more.

In so far as India is concerned, it is stated that there is a golden opportunity for our young generation in terms of demographic dividend. But I would raise some very pertinent issues in this regard. Insofar as enrolment is concerned, India is set to become home to the largest student population in the world by 2025. Yet, the higher education space is low on the capacity to absorb students. At present, India's Gross Enrolment Ratio is 25.8 per cent, significantly behind China's 51 per cent or most of Europe and North America where 80 per cent or more people are enrolled in higher education.

I would also like to draw the attention of our hon. Minister to one thing that this Ordinance does not mention the inclusion of education for Economically Weaker Sections (EWS). In the Teachers' Reservation Policy, EWS has not been mentioned. The DoPT has incorporated EWS in the roster system yet the Ordinance has not mentioned Economically Weaker Sections. There is a lack of clarity whether there is reservation for EWS in teaching and non-teaching posts in educational institutions. This must be replied to.

HON. CHAIRPERSON: Thank you. You have already taken 20 minutes.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, I am the initiator.

Sir, in terms of rankings, Indian universities have consistently ranked low in global university rankings. Not a single Indian university has ranked in the top 200 as per the Times Higher Education World University Rankings, 2009. Only five institutes made it to the top 500.

Expenditure on education is still far behind the target of 6 per cent of the GDP at 4.6 per cent of GDP.

HON. CHAIRPERSON: You can discuss all this when the Demands for Grants will be discussed.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : Sir, the lack of practical skills imparted through higher education in India creates a void inasmuch as there is an increasing number of people eligible to be employed but the employers are not inclined towards hiring them owing to their poor practical skills. Correcting this would require training support for institutes as an inclusive part of higher education.

You have also referred to it that at present there are 41 central universities under the purview of the Ministry of Human Resource Development. The total number of sanctioned teaching posts in 40 central universities is 17425 and out of this, 6141 teaching posts are lying vacant.

HON. CHAIRPERSON: He said 7000 posts.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Professors' posts are vacant to the tune of 6 per cent, Associate Professors – 47 per cent, Assistant Professors – 24 per cent.

HON. CHAIRPERSON: He has given the details.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, I am within the ambit of my time. If you think that my time is over, I will have to conclude my speech. However, it is an important topic and I would like to raise various issues.

HON. CHAIRPERSON: He has given the details of the vacancies. I am sorry to say this. The time that was allotted is two hours and out of that, the time allotted to you has already been over long back. Eleven minutes were allotted to your Party and you have taken more than 22 minutes.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Over the years, several Committees such as the National Knowledge Commission to advice on renovation and rejuvenation of higher education were appointed. Prof. Yashpal Committee had looked at the functioning and challenges of higher education in India.

As regards regulatory structure, please note that the Indian regulatory structure has been putting a stumbling block to the growth of education sector in our country. TSR Subramaniam Committee report on New Education Policy 2016 also recommended bringing of a National Higher Education Promotion and Management Act.

As regards fees structure, it has been observed that many private institutions of higher education charge exorbitant fees. In the absence of well-defined norms, fees charged by such universities have remained high. The UGC regulates fees for course offered in deemed universities to an extent. They stated that the fees charged shall be directly linked to the cost of running of the course and the institution shall ensure non-commercialisation of education. In 2002, the Supreme Court ruled that the fees charged by the private unaided educational institutes could be regulated also. While banning capitation fee, it allowed institutes to charge a reasonable surplus.

As regards teacher related issues, I have already mentioned that there is a serious gap between the sanctioned posts and the number of teachers. The Standing Committee on Human Resource Development stated that this could be due to two reasons. Firstly, young students do not find the teaching profession attractive and secondly, the recruitment process is long and involves too many procedural formalities.

As regards quality standards, there are two accrediting institutions, namely, the National Board of Accreditation established by AICTE and the National Assessment and Accreditation Council established by UGC. It has been noted that only 10 per cent of all institutions had been accredited in terms of quality of universities. Out of 323 universities accredited by NAT in the most recent cycle, only 23 universities have been given A+ grade.

The Standing Committee noted that the accreditation of higher education institutions needs to be at the core of regulatory arrangement. So far as the foreign educational institutions are concerned, it has been recognised that the top foreign universities should have an opportunity to come to India as this would enhance qualitative competition within the higher education sector.

Sir, my next point is about shortage of resources in State universities. This is most important. The bulk of enrolment in higher education is in the State universities and in their affiliated colleges. However, these State universities receive very small amounts of grants from the Union Budget. Nearly 65 per cent of the UGC grants is towards Central universities and their colleges, while the State universities and their affiliates get only the remaining 35 per cent of the grants.

The Standing Committee, in its report 2016, recommended that the mobilisation of funds in State Universities should be explored through other means, such as endowment, contribution from industry, alumni among others. With regard to private sector with profit motive in higher education, the UGC Report in 2012 noted that the distribution of public and private institution in India is skewed because enrolment in public universities is largely concentrated in conventional disciplines likes arts and sciences, whereas in private institutions more students are enrolled in market driven disciplines, like engineering and

management. Thus, with a rise in private universities, there is a mismatch of the demand and supply of subject disciplines in the private sector education.

Sir, therefore, all these relevant issues need to be addressed provided we want to be a developed country in the world. We are talking about development, but if India remains illiterate and furthermore if we fail to promote ourselves as a nation which nourishes higher education, we would then fail to achieve our desired destination.

With these words, I conclude my speech.

Thank you.

HON. CHAIRPERSON : Adhir Ranjan ji, you are very persuasive.

Shri Vishnu Dayal Ram.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति जी, धन्यवाद । मैं दी सैन्ट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन (रिजर्वेशन इन टीचर्स केडर) बिल, **2019** पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, इससे पहले कि मैं बिल के प्रोविजन्स पर बोलू, मैं अपनी ओर से तथा शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए समस्त लोगों की ओर से और इस विधेयक से जिन लोगों को लाभ होने वाला है, उन लोगों की ओर से आदरणीय प्रधान मंत्री जी का, आदरणीय मानव संसाधन मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल जी का और तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। इस विधेयक को लाने से एक बार पुन: यह साबित हो गया है कि हमारी सरकार देश के सामान्य मानवीय पिछड़ों और शोषित वंचित लोगों के साथ न केवल खड़ी है, बल्कि वे जो खुद की लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए इस आधुनिक युग में उनकी तलवार भी है और उनकी ढाल भी है । सभापति महोदय, हमारा एक संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है और जिसकी एक प्रति मैं अपने साथ लेकर आया हूँ।

सभापति जी, यह संविधान है तो आप हैं। यह संविधान है तो मैं हूं। यह संविधान है तो यह सदन है। यह संविधान है तो यह गौरवशाली न्यायपालिका है और ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इस संविधान से बाहर निकलकर किसी को कोई कार्य करने की इजाज़त नहीं है। यह संविधान कहता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण होगा। अगर आरक्षण आवश्यक है तो आरक्षण आवश्यक है और आरक्षण होना चाहिए।

सभापति जी, हमारे संविधान में यह व्यवस्था दी गई है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत, 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए और 7.5 प्रतिशत एस.टी. के लिए आरक्षण होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जान लगा देगी, लेकिन संविधान का मान कम नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी का एक

सिपाही होने के नाते, मैं इस सदन को बताता चलूं कि जब मैं पौने पांच लाख वोट्स से चुनाव जीतकर, दूसरी बार इस सदन में आया हूं तो किसी धर्म विशेष या जाति विशेष के वोट लेकर नहीं आया हूं, बल्कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी की बात – सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास – की आस्था, जो इन तबकों के लोगों ने उनमें व्यक्त की है, के चलते इस सदन में आया हूं और मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसद इस सदन में आए हैं। उक्त परिस्थिति में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, ओबीसी, अनुसूचित जाति तथा ट्राइबल वर्ग के लोगों की आस्था को यह सरकार टूटने नहीं देगी और यह विधेयक उसी कटिबद्धता का परिणाम है।

सभापति महोदय, देश को यह समझने और समझाने की जरूरत है कि इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। यह समझना होगा कि यह तूफान से किश्ती सही-सलामत लेकर आने जैसी बात है। विपक्ष के हमारे साथी आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने भाषण के क्रम में बहुत सारी बातें रखी हैं, मैं उन बातों का जवाब अपने भाषण के क्रम में दूंगा, अभी सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 7 अप्रैल, 2017 को, जिसका जिक्र आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी ने भी किया, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का एक जजमेंट आया था। उस जजमेंट की एक प्रति मैं लेकर आया हूं, जिसमें विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को यूनिट मानकर शिक्षक संवर्ग में सीधी भर्ती की बात को उचित नहीं ठहराया गया है। इसके बाद जब वह जजमेंट यूजीसी के पास आता है तो यूजीसी के द्वारा एक कमेटी गठित की जाती है और उस कमेटी की यह अनुशंसा होती है कि यूजीसी गाइडलाइंस, 2006 के क्लॉज 6(सी) और क्लॉज 8 (ए)(5) में संशोधन किया जाए। क्लॉज 6(सी) कहता है :

> "In case of reservation for SC/ST, all Universities, Deemed to be Universities, Colleges and other Grant-in-Aid Institutions and Centres shall prepare the roster system keeping the Department/Subject as a unit for all levels of teachers as applicable."

Claus 8(a)(V) says:

> "The roster, Department-wise, shall be applied to the total number of posts in each of the categories (e.g. Professor, Associate Professor, Assistant Professor) within the Department/Subject."

इसके बाद यूजीसी के द्वारा एक आदेश निकाला जाता है, जिसका जिक्र आदरणीय अधीर रंजन चौधरी जी कर रहे थे, कि 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम का अनुसरण करके उच्च शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, न कि 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के आधार पर। हम अब समझते हैं कि यह 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम क्या है। इस 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को यदि लागू किया जाए तो हमारे ट्राइबल भाई को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

यदि 14 पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम को लागू किया जाए तो पहली, दूसरी, तीसरी सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी को जाएगी, चौथी सीट ओबीसी को जाएगी। पांचवीं, छठी सीट अनरिजर्व्ड कैटेगरी को जाएगी, सातवीं सीट एससी को जाएगी, आठवीं सीट ओबीसी को जाएगी, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं सीट अनरिजर्व्ड होगी, बारहवीं सीट ओबीसी को जाएगी, तेरहवीं सीट अनरिजर्व्ड होगी और चौदहवीं सीट में शेड्यूल ट्राइब का उम्मीदवार होगा। आप इसे जोड़ेंगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नौ, ओबीसी कैटेगरी में तीन, एससी कैटेगरी में एक और एसटी कैटेगरी में एक सीट मिलनी चाहिए। यह सुनने में ठीक लगता है, पर देश के बुद्धिजीवियों और उच्च पदों पर बैठे लोगों ने यह सोचना छोड़ दिया कि देश भर में ऐसे कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, जहां पर 14 सीटें खाली होंगी या 14 सीटें उपलब्ध होंगी? उपरोक्त परिस्थिति में यदि इस 13 पॉइन्ट रोस्टर के तहत कार्रवाई की जाती है और 13 पॉइन्ट रहता है तो हमारे ट्राइबल भाई को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से यदि केवल छः सीटें रहती हैं तो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई को कभी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसी

प्रकार यदि केवल तीन सीटें हुईं तो ओबीसी भाई को आरक्षण का लाभ कभी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा।

यदि इसको दूसरे शब्दों में कहें तो डिपार्टमेंट को यूनिट मान कर 13 पॉइन्ट रोस्टर के आधार पर शिक्षक संवर्ग में सीधी नियुक्ति की जाए तो नतीजा यह होगा कि डिपार्टमेंट में तीन या उससे कम पोस्ट हुईं तो कॉलेज में कोई भी सीट रिजर्व्ड कैटैगरी के अभ्यर्थियों को कभी नहीं मिलेगी। मैं बीएचयू का एक आंकड़ा देना चाहूंगा। बीएचयू के आंकड़े के अनुसार यदि 13 पॉइन्ट रोस्टर के हिसाब से नियुक्ति होगी तो ओबीसी को 30 प्रतिशत सीटों का घाटा होगा, एससी को 50 प्रतिशत सीटों का घाटा होगा, एसटी को 80 प्रतिशत सीटों का घाटा होगा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बीस प्रतिशत सीटों का घाटा होगा। इसकी वजह से देश की नौ में से छ: यूनिवर्सिटीज में 90 प्रतिशत आरक्षित वैकेंसीज अनआरक्षित कैटेगरी में कंवर्ट हो जाएगी। यूजीसी का जो नया सर्कुलर 5 मार्च, 2018 को निर्गत हुआ, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब ने सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला। तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने 65 पोस्ट्स के लिए विज्ञापन निकाला। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 33 पोस्ट्स के लिए विज्ञापन निकाला और पंजाब यूनिवर्सटी ने सात सीटों के लिए विज्ञापन निकाला। इसमें सबसे आश्चर्यजनक बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें एससी और एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। यहां यदि पुराने 200 पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम के हिसाब से विज्ञापन निकाला जाता तो तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एससी के लिए 12 सीटें होतीं, एसटी के लिए आठ सीटें रहतीं, पंजाब यूनिवर्सिटी में एससी के लिए 13 सीटें होतीं, एसटी के लिए 10 सीटें होतीं और राजस्थान यूनिवर्सिटी में शून्य रहतीं। इसका कारण यही है, जो हमारे मंत्री जी और अधीर रंजन चौधरी जी ने बताया है कि दो सौ पॉइन्ट रोस्टर सिस्टम में कॉलेज और विश्वविद्यालय को एक यूनिट समझा जाता है। दो सौ पॉइन्ट रोस्टर

सिस्टम के लागू होने से आरक्षित श्रेणी के लोगों को निर्धारण आरक्षण संविधान के हिसाब से मिल जाता है।

इस सिस्टम के अनुसार 99 पोस्ट्स एससी, एसटी तथा ओबीसी के लिए आरक्षित होती हैं। इतना ही नहीं इस सिस्टम में यदि किसी डिपार्टमेंट में रिजर्व्ड सीट की कमी होती है, तो उस कमी को दूसरे डिपार्टमेंट से, जहां रिजर्व्ड कम्युनिटी के ज्यादा लोग हैं, इस कमी को दूर किया जा सकता है। अब 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम कौन लाया, कैसे इंट्रोड्यूज हुआ, इन सारे विषयों पर चर्चा करके मैं सदन का वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यह जरूर बताना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के उपरांत तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में, जहां 7 हजार से ज्यादा रिक्त पद पड़े हुए हैं, उन पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही कमजोर वर्ग के शिक्षकों को, जिनकी बहुत पुरानी लंबित मांग है कि विश्वविद्यालय कालेज को यूनिट मानकर बहाली की जाए, वह मांग भी पूरी हो जाएगी। इसके जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण भी सुनिश्चित हो जाएगा। इतना ही नहीं संविधान के अनुछेद 14, 16 और 21 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं, उनकी अनुपालना करना भी सुनिश्चित हो जाएगा। इसके अलावा सीधी भर्ती से सभी वर्गों का सामान्य प्रतिनिधित्व मिलेगा और शिक्षिकों के पढ़ाने के मानदण्डों में भी सुधार होगा।

सभापति महोदय, विधेयक के खंड-3 में यह उपबंध है कि पदों में आरक्षण का विस्तार और रीति केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी तथा पदों के प्रयोजन के लिए किसी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान को एकल ईकाई के रूप में समझा जाएगा। इस प्रावधान के कारण 200 रोस्टर पर आधारित पूर्ववर्ती आरक्षित प्रणाली को कायम रखते हुए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को एक यूनिट के रूप में माना जाएगा तथा अब से विभाग विषय को एक यूनिट के रूप में नहीं माना जाएगा। इस उपबंध के अलावा उपबंध-4 में उन संस्थाओं का जिक्र किया गया है, जहां पर यह नियम लागू नहीं होगा। उसका शेड्यूल में जिक्र है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ-साथ अल्पसंख्यक

शैक्षणिक संस्थान में भी ये बातें लागू नहीं होंगी। समय-समय पर आरक्षण के प्रावधानों पर कुठाराघात होता रहा है। कभी ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, एक्सेसिवनेस, रिवाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन और इन शब्दों के प्रयोग के साथ संविधान की जो मूल भावना है, उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जाता है?

सभापति महोदय, मैं बहुत ईमानदारीपूर्वक यह भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि आखिर आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई और आरक्षण की यदि व्यवस्था की गई, तो उस आरक्षण को लेटर और स्प्रिट में लागू होने देने में क्या कठिनाई है।

महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं, जिनमें देश के पिछड़े और शोषितों पर ध्यान दिया गया है। एससी, एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अमेंडमेंट एक्ट-2018 कौन लाया, बैकवर्ड कमीशन को कांस्टीट्यूशन स्टेटस का दर्जा किसने दिया, 10 प्रतिशत आरक्षण विधेयक आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए कौन लाया और कौन शिक्षक संवर्ग में आरक्षण और वह भी आर्डिनेंस के रास्ते से लेकर आ रहा है। जब इसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एसएलपी खारिज कर दी, रिव्यू पेटिशन खारिज कर दी। यह हमारी सरकार है, यह आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार है, जो कभी भी देशहित में, जनता के हित में कड़े-से-कड़ा कदम उठाने में कभी नहीं हिचकती है। चुनाव के दौरान, खासकर हमारे विपक्ष के साथियों द्वारा यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आएगी, तो आरक्षण समाप्त कर देगी, संविधान के स्वरूप को बदल देगी।

माननीय सभापति: श्री विष्णुदयाल जी, अब कंक्लूड कीजिए।

श्री विष्णु दयाल राम : यदि आप हमारी सरकार के कृत्यों पर नज़र दौड़ाएगें, तो पाएंगे कि हमारी सरकार ने न केवल संविधान को अक्षुण्ण रखने का कार्य किया है, बल्कि समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करने का भी कार्य किया है। यही कारण है कि जब बीजेपी के सांसद अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो कोई विशेष टोला-मोहल्ला नहीं ढूँढ़ते हैं, बल्कि क्षेत्र की सारी जनता को अपना परिवार मानकर वहाँ जाते हैं और यह कल्चर भी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ही देन है।

कुछ लोगों ने बहुत-से वायदे किए, लेकिन उन वायदों के साथ कौन चला, यह फैसला भी जनता को करना है। जनता ने वर्ष 2014 और वर्ष 2019 में यह फैसला किया और आगे भी इसी तरह का फैसला करेगी, यह मेरा दृढ़ विश्वास है।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और इस विधेयक के पक्ष में पुरज़ोर अनुशंसा करता हूँ।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Thank you Sir for allowing me to speak on this Bill. Partly I support the Bill in the sense that the attempt that has been made by the Government is supported by DMK regarding reservation for economically and educationally backward classes. At the same time, even the time is too late, since the appeals are pending before the Supreme Court and the Chennai High Court relating to 10 per cent reservation for economically weaker sections. We are opposing the Bill at least till the pendency of the appeals. The matter has to be either sent to a Select Committee or the Bill has to be divided in to two portions. In the first portion, the socially and economically backward classes should be given the reservation, as contemplated in the Bill. Why? I will explain the reason. We were not part of the last Lok Sabha, when the Bills were passed as 103rd and 104th Constitution Amendment Bills. It is too late. But I think, this Bill is based on the old Constitution Amendment which was passed in the last Lok Sabha. I think it is a little bit relevant to submit some points since the matter is pending before the Supreme Court and the High Court.

SHRI S.S. AHLUWALIA (BARDHAMAN-DURGAPUR): When you are party to it as a Member, you should declare the conflict of interest also.

HON. CHAIRPERSON: Mr. Raja, are you yielding to him?

SHRI A. RAJA: This is not conflict of interest. This is nothing secret. It is a constitutional interpretation. I will come to your question. I must be thankful to Mr.

Ahluwalia because I will give more information to this House in reply to Mr. Ahluwalia's questions. The Objects and Reasons of this Bill clearly state that reservation for 10 per cent of economically and weaker sections is going to be done on the basis of the Constitution Amendment which has been done in the last Lok Sabha. What is the Bill? It has two parts. The Statement of Objects of the Bill said: "At present, the economically weaker sections of citizens have largely remained excluded from attending the higher educational institutions and public employment on account of their financial incapacity"

<u>15.00 hrs</u>

Point No. 2 of the objects of that Bill is:

> "With a view to fulfil the mandate of article 46, and to ensure the economically weaker sections of citizens to get a fair chance of receiving higher education and participation in employment in the services of the State, it has been decided to amend the Constitution of India. "

There are two reasons. Number one, the economically poor people are not adequately represented in services and admissions. Number two, very clearly, they are saying that Article 46 is enabling to bring the law.

So, accordingly, they have brought the law and on the basis of the law, this law has been piloted before the Parliament.

Sir, reservation is not unknown to the Indians. Reservation had taken place some 2,500 years ago. One may be surprised to ask, how reservation could be given 2,500 years back? That reservation was something inhuman and undemocratic. How it was inhuman and undemocratic, I would explain. Four Varnas were divided. They were: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, and Shudras, the outcaste Scheduled Castes.

All the occupations or jobs were carried out by these four classes. So, that was also a reservation. That reservation was anti-human, inhuman and undemocratic.

Now, the Preamble of the Constitution of India says:

> "WE THE PEOPLE OF INDIA having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC…"

But after the Constitution was enacted, the reservation that has been provided, is human and democratic. Democracy is not merely form of the Government alone, it is essentially an article of respect and reverence towards the fellowmen.

So, in that sense, I am claiming that the reservation is not unknown to the Indians. But the only thing is that that reservation was inhuman and undemocratic, and this reservation is human and democratic.

Sir, as a Member of the DMK, I may apprise that our late leader, Dr. Kalaignar Karunanidhi and his mentor, Anna *allias* C.N. Annadurai and the Father of Tamil Nation, EVR Periyar Ramasamy, were the pioneer for the cause of the reservation, even before the enactment of the Constitution in 1951. The first amendment to the Constitution came into existence in 1951 because of the Dravidian Movement when the reservation was denied to the backward classes.

Even prior to that -- it may be unknown to this House -- in 1927 when our Dravidian Government was in power, we enacted the law for the socially and educationally backward classes, for the Scheduled Castes including Muslims. One could not even dream of it.

So, in that sense, I am very proud that we are entitled to say something whether it is an old Bill or a new Bill. With due respect, the Constitutional validity must be upheld. In that sense only, I may be permitted to be given five to 10 minutes more, to speak on it.

Sir, as I mentioned, there are two aspects to the Bill. One is that the economically weaker sections were not adequately represented. Second is, Article 46.

Firstly, I am coming to Article 46. Article 46, which says:

> "The State shall promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in

particular, of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. ”

The word, which was coined in the Section is ‘economic interests’ whereas the provisions 15 and 16 say that those who are socially and educationally backward classes are entitled for the recruitment and the educational institution admissions.

The Constitution says: ‘class’ whereas Article 46 under which the legislation was being brought here says is only ‘section’. There is a difference between the class and the section. Article 14 was clearly interpreted by the Supreme Court. According to the Article 14, reasonable classification can be made by the Court or by the Parliament by way of legislation. But Class Legislation to a specific Section cannot be made. That is a clear direction given by the Supreme Court in so many cases.

So, a reasonable classification is reservation for socially and educationally backward. What is the class legislation? They are inserting a new degree or a new value or a new term, which is ‘economically weaker sections’.

15.04 hrs (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

Madam, we are not against economically weaker sections. ‘Economic interests’ are the words, that have been inculcated in the Constitutional values or

Constitutional text. Then, they have to give more scholarships; they have to give more loans; and declare that the entire educational fee is completely widened for those economically weaker sections.

But by bringing this 10 per cent quota into the reservation quota, I think, somewhere some space is going to be trespassed by these people by getting the social justice for really oppressed and depressed classes both in the OBC, BC and SC/ST communities.

So, for that I am just telling a glancing angle of incidence. It is because the policy of reservation is not a matter of complete choice or charity, it is a right which was substantiated even before the British Government. The root and the origin or, if I may say, the genesis, mechanism and development of reservation was there from 1880. I can give you the details.

The first discussion about the reservation – it is available in the Galanter, Mare compilation – took place in1880. It used the term 'backward class' to describe groups which are illiterate or indigent. They are being entitled to allowances for study in elementary school. This was the first reservation where the word 'backward' was coined in 1880 to give scholarship. Then, on 5th January 1985, the Gazette no. 40 provided for grants-in-aid to schools for backward classes consisting mostly of untouchables. It was done by Madras Presidency.

In 1917 the Maharaja of Kolhapur expressed interest of Montagu-Chelmsford in uplifting the backward classes and especially the untouchable. There was no word of 'economically backward'. The word brought to the text by the British people either in Parliament or outside or in the regional Government was always backward, backward and backward. Of course, it includes untouchables.

In the year 1918, the Government of His Highness the Maharaja of Mysore appointed a committee to enquire into the means of encouraging members of backward classes in public services. In 1920, a Joint Select Committee of the British Parliament reviewed a report and emphasised the need of education advancement of depressed and backward classes. Then in 1921, the Institution Preferential Recruitment Board had defined in London: "All communities other than Brahmins, who are not adequately represented in public services, are backward community." In 1925, there was a Ministry Report on Reforms: "The Reforms Enquiry Commission regarding backward classes did not find an occasion to use the term, but the Ministry Report refers to its use as a synonym for the Depressed Classes (untouchables) and in contradistinction to non-Brahmins."

In 1928, the Hartog Committee defined backward classes as "Castes or classes which are educationally backward including the depressed classes, aboriginals, hill tribes, and criminal tribes." In 1929, the Indian Central Committee

distinguished the problem of backward classes among whom may be counted aboriginals, criminal tribes and others among the less advanced of the inhabitants of British India.

In 1930, the Starte Committee in Bombay described only aboriginals, hill tribes and others. In 1930, the Simon Commission referred only to the term 'intermediate castes' and the non-Brahmin movement without any reference to backward and depressed classes. Again in 1932, the Indian Franchise Committee said about backward, untouchables and *shudras*. In 1932, the United Provinces Hindi Backward Classes League submitted a memorandum and suggested that the 'Hindu backward' as a more suitable nomenclature to include socially and educationally backward people. In 1936, reports in the Times of India on the inflation of backward classes in the Madras Presidency by inclusion of several non-Brahmin communities. In 1937, again to include economically backward classes Adoption by Travancore of the term 'backward classes'. In 1947, a separate reservation was provided through G.O. 3437 Public Department on 21st November, 1947 by the Government. Separate reservations provided in Madras in the services for backward Hindus for about 145 communities.

After 1947, the Constituent Assembly debate started. What happened in the debates? Pandit Hirday Nath Kunzru from UP brought explanation nomenclature for backward classes: "Delegates from North assume that backward class was victim and was, hence, really a synonym for the Scheduled

Castes." Then, what happened to Shri T.T. Krishnamachari? He said: "We should not go for reservation on the basis of caste". Dr. Ambedkar replied the question of Shri T.T. Krishnamachari in the Constituent Assembly. He said that the Drafting Committee had to produce a formula which would reconsider your two points. Firstly, there shall be equality of opportunity and secondly, there shall be reasons in favour of certain communities which have not so far had representation in the administration.

This is the answer which was given by Dr. Ambedkar to Shri T.T. Krishnamachari. Why am I summarising all these things? It is because, the root lies in 1880. The first amendment took place in 1951. Till the last Lok Sabha, in the legislations of British era, everywhere, economically backward classes were not at all included either in the Constitution or in any Executive Order which was brought or which was meant for reservation for the depressed classes. Suddenly, you brought the legislation, a Constitutional amendment, by which you are giving 10 per cent reservation to economically weaker sections. That is why, let it be referred to the Select Committee. Appeals are pending before the court. Till then, 10 per cent reservation to economically weaker sections can be kept in abeyance. Even economically weaker sections category is liable to be substantiated before the Supreme Court scrutiny. …(*Interruptions*)

You have brought in 10 per cent reservation for economically weaker sections. What is the analysis? Is it standard? Is it static? Is it reasonable under

Article 14 of the Constitution? I would like to know whether it is abused or misused. The last Government, the UPA Government appointed a Commission under Major Gen (Retd.) S. R. Sinho for the specific purpose whether 10 per cent reservation can be given to the economically weaker sections under the Constitution. It was a very specific question. The reasons and objects were clearly given. That Report says that economically backward classes can be identified by States for extending welfare measures only. Reservation in Indian context is a form of affirmative action for socially and educationally backward classes alone. Economic backwardness cannot be the criteria for reservation in educational institutions and in jobs.

It was said by the Commission appointed by the UPA Government. The Government appointed a Commission. The Commission gave a very categorical report. You are setting aside the report. You are bringing it in a conspiratorial manner. I can tell that there is a conspiracy. It is because, even the copies were not circulated. …(*Interruptions*) Even it was not listed in the List of Business. Without listing it in the List of Business, bringing in a Constitutional amendment is a shame on the part of the Government. For the first time, without including it in the List of Business, a Constitutional amendment took place.

In the Sawhney case, in 1991, the former Prime Minister Shri P. V. Narasimha Rao wanted to bring in a symmetrical legislation; it was struck down

by the Supreme Court. …(*Interruptions*) Then, the Economic and Political Weekly made an analysis …(*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Are you challenging the power of the Parliament? …(*Interruptions*)

SHRI A. RAJA : I am not challenging the power of the Parliament. The way in which you brought the legislation is something fishy. …(*Interruptions*) That is why I am telling to send it to the Select Committee. …(*Interruptions*)

Madam, I must be very categorical and firm. …(*Interruptions*) I am not challenging the amendment made by the Parliament. I am telling the way in which they brought the amendment gives a lot of room for suspicion. …(*Interruptions*)

So, for all these reasons, I oppose giving 10 per cent reservation to the economically weaker sections. Do not think that we are Eklavyas any more. You do not tell that your mindset should be that of Drona. The mindset of being Drona should be changed. We will prove that we are no more Eklavyas.

Thank you, Madam.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Madam, India has emerged as the superpower which is alerting the hegemonic balance of power. But this largest democracy is still tainted with caste-based discrimination. There has been a 37 per cent increase in atrocities against Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the past decade which is very alarming. Not just prohibiting crimes, there is an urgent requirement for establishing level playing field so that the vulnerable group can be at par with the privileged.

Madam, the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill 2019 is yet another effort to bring equality and by reviving the 200 points roster as against 13 points system put forth by the High Court of Allahabad. The aim of the Bill is to consider a Central Educational Institution as a unit in place of departments to ensure proper functioning of the reservation system in direct recruitment of teaching faculty.

I take the opportunity to explain this as the public might be in dilemma as to how this is beneficial. They think that department-wise reservation will yield more employment. But this is false because the number of vacancies for recruitment in each department will not be enough to support reservation. Thus, I appreciate this Bill.

Through you, Madam, I would like to seek a clarification from the hon. Minister on the necessity of promulgating the Ordinance dated 7th March, 2019. Article 123 of the Indian Constitution as interpreted by Shri H.N. Kunzru is to deal with the situation where an emergency in the country necessitated urgent action. The Clauses of UGC Guidelines, 2006 were quashed by the High Court of Allahabad on 7th April, 2017. Why did not the Government introduce the Bill in the following Sessions? The Supreme Court also gave a similar verdict on 23rd January, 2019. The Parliament was in Session from 31st January to 13th February, 2019 in which a historic Bill was passed. Why did not the Government make an effort to legislate on the important national issue?

Madam, instead an Ordinance was promulgated on 7th March, 2019, that is just three days prior to the announcement of election. This cannot be a mere coincidence. It had a clear intention of attracting vote bank. Promulgating Ordinances time and again is going against the very nature of a Parliamentary form of Government. This House is constituted of eminent and learned representatives of people and by promulgating Ordinances on every matter, the Government is exhibiting an absolute authoritarian feature. It is discarding the views and inputs of the House and by doing so, it missed to include the Economically Weaker Sections in the Ordinance. The House legislates better laws to India by going beyond the purview of party politics. It should be given importance and respect as it deserves.

Now, coming to Section 4 of the Bill, the Clause ‘b’ of sub-section 1 is a valid point and in accordance with the Fundamental Rights of the minority community.

But sub-clause (a) provides for certain institutions which will be kept out of the provisions of this Bill. I would request the Minister to explain the basis of selection of the institutes. As much as I could interpret, all of them have one thing in common, that is ‘science’. All the institutes fall under the category of science and technology. By doing so, is the Government again repeating the mistake of doubting the capabilities of the concerned category? When these universities have reservation for the student community, then why not for the teachers as well?

Madam, I would like to put forth a couple of suggestions. Firstly, reservation should be allowed for the universities that are excluded. It is because if the criteria put forth by them are met, by any candidate of the concerned section, then, why not the opportunity be given to him or her? After all, it is our fundamental duty to promote scientific temper in the society and what could be a better way than promoting the people who have been neglected throughout.

Secondly, a regulatory board should be constituted to ensure proper functioning of the provisions of the Bill. And, in case of any dispute, it can give quick verdicts. This is necessary because even after the Ordinance, four

universities, namely Central University of Punjab, Karnataka University, Tamil Nadu University and Indira Gandhi National Tribal University, did not comply with the provisions. This would have gone unnoticed if it was not brought up by Shri Javed Ali Khan during 'Zero Hour' in the Rajya Sabha. Now the resolution of the matter, as asked upon to do so by the hon. Chairman of the Rajya Sabha, will take a lot of time, thereby either delaying the whole recruitment or else depriving the eligible. This is why, a responsible body to handle the affairs is necessary. This body should also be entrusted with the duty of looking into the redressal matter, if any, arising after employment. This is because every other day we come across cases involving hatred towards the vulnerable sections of the society mentioned in the Bill, namely Scheduled Caste, Scheduled Tribe, socially and educationally backward community and economically weaker sections and also doubting and questioning their capability …(*Interruptions*)

Madam, please allow me to speak two more minutes.

There is a high chance that the teachers will also face similar problems. A Hindi poet has put it in this manner:

"दफ्तर में सब ठीक-ठाक चल रहा था

फिर दलित हूँ मैं, मैंने बता दिया सबको..."

To avoid cases like that, which involved suicide of Rohith Vemula, this is a very important step that the Government can and should take. It cannot be done until serious steps are taken because another young girl Payal Tadvi lost her life. Sukhdeo Thorat, a Professor Emeritus of JNU and former UGC Chairman who headed the Committee to investigate the allegations of discriminatory treatment against the Scheduled Caste and Scheduled Tribe students at AIIMS, had found that lower caste students faced discrimination in everyday lives at the premier institute.

About the measures that should be taken to check the discriminatory behaviour, he said:

> "There has to be an Act by the Government to make caste-based discrimination at the university campuses a punishable offence. Apart from this, a set of guidelines should be formulated for the upper caste students on how to behave in the presence of the students from the marginalised sections."

Finally, I would like to conclude by saying that in order to ensure the compliance of Constitutional provisions under article 14, 15 and 16, the Government must consider the suggestion and not just discard it.

Lastly, I would conclude by quoting Sheetal Sathe, a young Ambedkarite:

"Nausea served in the plate, the untouchable nausea

The disgust grows in the belly, the untouchable disgust

It’s there in the flower buds, it’s there in sweet songs

That a man should drink another man’s blood,

This is the land where this happens

This is the land of hellish nausea.”

We have to strive hard in order to change this scenario. While concluding my speech, I thank you, Madam, for giving me the opportunity.

SHRI N. REDDEPPA (CHITTOOR): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity to speak on the issue regarding reservation of people belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Backward Classes and Economically Backward Classes in education.

Madam, I hail from Chittoor constituency in Andhra Pradesh. First of all, I extend my thanks to our hon. Chief Minister, Y. S. Jaganmohan Reddy *Garu,* who implemented reservation even in his Cabinet by appointing five Deputy-Chief Ministers from Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Backward Community and Economically Backward Communities for five important Departments – Home, Revenue, Education, Commerce and Excise. He is a role model Chief Minister in our country. He has given more than 60 per cent reservation to the people of SCs/STs communities in his Cabinet.

The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Ordinance, 2019 was promulgated on March 7, 2019. The Ordinance provides for reservation of teaching positions in Central educational institutions for persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the socially and educationally backward classes.

The Ordinance also provides for reservation of posts in direct recruitment of teachers out of the sanctioned strength in Central educational institutions. For the

purpose of such reservation, a Central educational institution will be regarded as one unit.

The Ordinance will apply to the Central educational institutions which include universities set up by the Acts of Parliament, institutions deemed to be a university, institutions of national importance and institutions receiving aid from the Central Government.

However, it excludes certain institutions of excellence, research institutions and institutions of national and strategic importance which have been specified in the Schedule to the Ordinance. It also excludes minority educational institutions.

I also wish to point out that the new system will consider a university or college as one unit instead of treating department or subject as one unit. So, it will not help many institutions which do not come under the 'Centres of Excellence' tag.

The reservation for OBCs was not implemented in the appointment of Professor and Associate Professor. This is evident from the fact that no OBC candidates have been appointed to the posts of Professor and Associate Professor while OBC constitutes 14.38 per cent in the appointment of Assistant Professors against its sanctioned quota of 27 per cent. The figure talks about the appointments made in the Central Universities till April 1, 2018.

This needs to be mentioned here that candidates belonging to SC/ST categories did not get their share in the appointments of all three faculty positions. The SC/ST candidates occupied 3.47 per cent and 0.7 per cent in the appointment of top faculty position, that is, Professor while SC/ST candidates have a share of 4.96 per cent and 1.3 per cent respectively in the appointment of Associate Professor against their respective quote of 15 per cent and 7.5 per cent.

Madam, in view of the above, we can see that reservation system could not be implemented properly through all these years in our country. I hope that Modi*ji's* Government will at least implement it in education as mentioned in the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar.

Thank you very much.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदया, आपने मुझे केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद दूँगा कि कई वर्षों से जिस विषय के लिए, जिस मौके के लिए इस देश के उम्मीदवार राह देखते थे, उनकी संधि उपलब्ध करके देने का एक महत्वपूर्ण काम इस बिल के माध्यम से हुआ है।

महोदया, इस बिल की कई विशेषताएं हैं। खासकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो रोस्टर निर्माण किया गया, उच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सिर्फ इसके लिए यह बिल लाया गया है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। यह बिल लाते वक्त, अध्यापकों की संख्या निर्माण करते वक्त जो रोस्टर माना गया, वे जो 200 बिन्दु माने गए, यह इस बिल की सबसे बड़ी विशेषता है। ये 200 बिन्दु मानने के बाद हर एक संस्था को रिक्रूटमेंट के अधिकार दिए गए हैं और इसलिए यह पदों की ज्यादा संख्या तैयार हुई है । मैं इसके लिए केन्द्र सरकार और संबंधित मंत्री महोदय का अभिनन्दन करता हूँ। जैसे कि 200 बिन्दु मानकर इसकी संख्या निश्चित की गई है और इसकी वजह से 7 हजार अध्यापकों के पद सृजित हुए हैं। पिछले 2011-12 से हमारे महाराष्ट्र के साथ-साथ सारे देश में अध्यापकों की भर्ती के ऊपर पाबंदी लाई गई है। अध्यापकों की भर्ती का दरवाजा खुलने का काम इस विधेयक के माध्यम से सर्वप्रथम हो रहा है। पूरे देश में 7 हजार अध्यापकों के पद कोई बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन इससे आगे की संधि शुरू हुई है । आगे अध्यापकों की भर्ती की जो उपलब्धियाँ होने वाली हैं, उसकी शुरुआत इस बिल के माध्यम से हो रही है।

दूसरी बात यह है कि एस.सी./एस.टी. के साथ-साथ सोशली इकनॉमिक बैकवर्ड जो क्लॉसेज हैं, जिनके लिए पिछले टर्म में माननीय प्रधान मंत्री जी ने आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर 10 प्रतिशत का जो मौका दिया है, उसके लिए इस बार पहली बार एक संधि प्राप्त होने वाली है। भर्ती के अधिकार डिपार्टमेंट को नहीं रहते हैं। जो इंस्टीट्यूशन्स हैं, उन्हें यह भर्ती का अधिकार दिया गया है। मैं इसलिए

खुश हूँ, एक तो पिछले कई वर्षों से भर्ती के ऊपर पाबंदी थी, लेकिन भर्ती करते वक्त भी डिपार्टमेंट सामने आ रहा था और डिपार्टमेंट के माध्यम से भर्ती के कई विज्ञापन आते थे, कहीं भर्ती होती थी, कहीं नहीं होती थी, तो इस बार यह 7 हजार अध्यापकों की जो भर्ती है, वह पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूशन्स के माध्यम से की जाने वाली हैं। मैं मानता हूँ कि इस भर्ती में सही लाभार्थियों को न्याय मिले और साथ-साथ पात्र उम्मीदवारों को ही न्याय मिले।

महोदया, रिक्रूटमेंट में अनेक बार बहुत जगहों पर गड़बड़ियां होती हैं। वैसी गड़बड़ी इस बार इस भर्ती में न हो, इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस तरफ पूरी तरह से ध्यान देने की जरूरत है, क्वालिटी मेनटेन करने की जरूरत है। क्वालिटी में किसी भी हालत में कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूट को जब हम रिक्रूटमेंट का अधिकार देते हैं, तो एक डर रहता है। इस सदन में भी शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कई माननीय सदस्य हैं। पिछले कई वर्षों से शिक्षा क्षेत्र एक स्ट्रेस निर्माण करने वाला क्षेत्र तैयार हुआ है। जब से आरटीई एक्ट आया, आरटीई का जितना फायदा है, उसका दुष्परिणाम उससे ज्यादा है। आरटीई के माध्यम से, जो-जो शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें स्ट्रेस में ज्यादा जाना पड़ा है। उन्हें कई मुसीबतों को सहन करना पड़ता है। बच्चे हैं, स्कूल्स हैं, छात्र हैं, लेकिन वहाँ अध्यापकों के निर्माण करने की कोई सुविधा नहीं है। आरटीई का इतना दुरुपयोग हुआ कि जिस स्कूल में 20 से कम बच्चे हैं, उन स्कूल्स को बंद करने की बात आई। कई पहाड़ी इलाकों के जो स्कूल्स हैं, वहां अगर बीस से ज्यादा बच्चे हैं तो उन्हें एक विशेष दर्जा दिया जाता था और कुछ सहूलियतें दी जाती थीं, लेकिन वर्ष 2011 के बाद आर.टी.ई. के माध्यम से पहाड़ी इलाकों के स्कूलों पर जितना अन्याय हुआ, उतना अन्याय कहीं नहीं हुआ।

सभापति महोदया, पहाड़ी इलाकों में बच्चे ज्यादा नहीं मिलते हैं। अगर दस बच्चे मिल जाएं तो यह बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे स्कूलों में वर्षों से एक भी अध्यापक को नियुक्त नहीं किया गया। उनकी

नियुक्ति करने का अधिकार भी स्कूलों को नहीं दिया गया। जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान हैं, उनकी तो हालत बहुत खराब है। जिला परिषद् और बाकी जगहों की बात छोड़िए, लेकिन जो रेकग्नाइज्ड या रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स चलाते हैं, उनके कई क्लासेज ऐसे हैं जहां वर्षों से अध्यापकों की नियुक्ति करने की परमिशन ही नहीं दी गयी है। मैं माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में सबसे पहले इसकी मीटिंग हुई और इस विषय को लाया गया। तब मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने इस डिपार्टमेंट को यह कहा कि आप तुरन्त इसे चालू करें और सिर्फ यह कहा नहीं, बल्कि उसके लिए अच्छी तरह से प्रावधान किया, जिसकी शुरुआत आज इस बिल के माध्यम से हो रही है। इस बिल को स्टैन्डिंग कमेटी के पास नहीं जाना चाहिए। इसका रिजल्ट आज ही इस हाउस में होना चाहिए। हम कितने वर्षों तक अध्यापकों की राह देखेंगे, कितने वर्षों तक अपने बच्चों को बिना अध्यापक के रखेंगे?

महोदया, हमारे महाराष्ट्र में आज भी कम से कम 13,000 अध्यापकों की जगहें रिक्त हैं। चाहे वह पूर्व प्राथमिक हो, सेकण्डरी हो, जूनियर कॉलेज हो, सेकण्डरी कॉलेज हो, सारी जगहों पर, आप कहीं भी जाइए, 'नो टीचर्स' का बोर्ड लगा है। वहां बच्चे हैं, पर 'नो टीचर्स' का बोर्ड लगा है। वहां के जो लोग हैं, वे इसके लिए आंदोलन करते हैं। वे यह मांग करते हैं कि हमें टीचर्स दे दीजिए। दूसरी तरफ, कम से कम लाखों की संख्या में बी.एड. के उम्मीदवार हैं। दुर्भाग्य से एन.सी.टी.ई. के माध्यम से बी.एड. कॉलेज चलाने की जो अनुमति दी गई, वह सरासर गलत हुआ। राज्य सरकार की एन.ओ.सी. के बगैर भी एन.सी.टी.ई. के माध्यम से बी.एड. और डी.एड. कॉलेज शुरू करने की अनुमति दी गई। इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरफ लाखों की संख्या में टीचर्स बाजार में आ गए और दूसरी तरफ हर एक स्कूल में 'नो टीचर्स' यानी 'नो रिक्रूटमेंट' की बात हुई। इसके कारण छात्रों को अच्छी तरह से जो शिक्षा मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल सकी, यानी 'क्वालिटी एजुकेशन' का जो मकसद था, उसके ऊपर पाबंदी लाने का काम 2014 के पहले की सरकार ने किया था। आज इस बिल के माध्यम

से एस.सी., एस.टी. के लिए शुरुआत हो रही है और मैं विनती करता हूं कि एन.टी. प्रवर्ग के जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी इसमें प्रावधान कर देते तो और भी ज्यादा अच्छा होता क्योंकि एन.टी. में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं और उन्हें न्याय देने की ज्यादा जरूरत है।

सभापति महोदया, धन्यवाद। एक अच्छा बिल लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक क्वालिटी एजुकेशन देने का काम हो रहा है। इसके साथ-साथ जिन्हें न्याय देने की जरूरत थी, जैसे एस.सी., एस.टी. और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को न्याय देने का काम इस बिल के माध्यम से हो रहा है। मैं सरकार का अभिनन्दन करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (मुंगेर): महोदया, सरकार द्वारा जो यह केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 लाया गया है, जिस पर यहां चर्चा हो रही है, उसका हम समर्थन करते हैं। वास्तव में, सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद से इस देश की एक बड़ी आबादी, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग थे, उन्हें केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का जो लाभ मिल रहा था, वह समाप्त हो गया था। सरकार गई, माननीय मंत्री जी ने भी बताया। सरकार उच्चतम न्यायालय में गई, उच्चतम न्यायालय में रिवीज़न पिटिशन फाइल हुआ और सभी को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया। सरकार के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ देने का।

आज सरकार जो यह विधेयक लाई है, इसका जितना भी समर्थन किया जाए, वह कम है। विष्णु दयाल जी ने बहुत विस्तार से उसकी चर्चा की कि आरक्षण कैसे समाप्त हो गया, रोस्टर बिंदु कैसे प्रभावित हुआ, लेकिन यह सब कुछ एक फैसले से हुआ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसके बाद यह कह दिया कि विभाग या विषय वार आरक्षण के रोस्टर का आधार हो, जबकि उसके पहले से यह व्यवस्था थी कि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में उसके रोस्टर का यूनिट माना जाता था। आज इस विधेयक को सरकार लाई। उसके कारण कई तरह से लोग प्रभावित हो रहे थे। वर्ष 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, एक लंबी प्रक्रिया के कारण बहुत सारी रिक्तियां पूरे देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में हो रही थीं, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं चल रही थी। आज इस विधेयक को लाने के बाद, एक तो जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, वह प्रारंभ हो गई है और उसमें एक बड़ी आबादी को रोज़गार के अवसर मिलेंगे। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके भी आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। इसके लिए भी मैं सरकार का पूरी तौर पर सहयोग करता हूं।

इसमें कई तरह की बातें आई हैं। कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी जी प्रारंभ में भी बोल रहे थे, उन्होंने अध्यादेश का विरोध किया। अगर सरकार अध्यादेश नहीं लाती, वह वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी की बात कह रहे थे, यह भी कह रहे थे कि इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने पूरी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम को नेस्तनाबूत कर दिया। अरे भाई, पूरे पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम को तो आप नेस्तनाबूत करना चाह रहे थे। उस पूरे चुनाव के दौरान ये सारी पार्टियां धारणा और सत्याग्रह चला रही थी और यह साबित करना चाह रही थी कि यह सरकार आरक्षण विरोधी है, इस सरकार के रहते आरक्षण समाप्त हो जाएगा! आरक्षित वर्ग के लोगों का हित इस सरकार में सुरक्षित नहीं है और आप वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं! आप उसकी बात कर रहे हैं कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी को नेस्तनाबूत कर दिया गया। इस अध्यादेश को लाकर सरकार ने साबित किया है कि हमारे रहते आरक्षण की व्यवस्था को कोई छू नहीं सकता है।

आपके दाँत दो तरह के हैं, आपके एक दाँत खाने वाले हैं और एक दाँत दिखाने वाले हैं। दिखाने वाले दाँत का उपयोग आप चुनाव के दौरान कर रहे थे। हमारे बिहार में घूम-घूम कर लोग धारणा दे रहे थे, बिहार के यहां कई साथी हैं, घूम-घूम कर लोग धारणा दे रहे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, बड़े-बड़े क्रांतिकारी नेता हो गए थे, जिनको यह भी पता नहीं है कि आरक्षण की व्यवस्था को कोई समाप्त नहीं कर सकता, वे भी आरक्षण पर बोल रहे थे। इनके वह दिखाने वाले दाँत थे, जो ये चुनाव के दौरान इस देश को दिखाना चाह रहे थे और अब खाने वाले दाँत दिखा रहे है, कह रहे हैं कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए, इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए। अगर आप आरक्षण के समर्थन हैं, आप उन गरीब अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों को आरक्षण देना चाहते हैं तो आपको एक स्वर में कहना चाहिए था कि सरकार जो यह बिल लाई है, हम उसका समर्थन करते हैं और बिना बहस के पास करते हैं।

आज आप वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं! अरे, वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी किसको कहते हैं? वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि इस देश की बड़ी आबादी जो महरूम हो गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद से, उसको सरकार ने दिया, यह वाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी थी, जिसको सरकार ने स्थापित करने का काम किया। इसलिए, मैं इस बिल का पूरे तौर पर समर्थन करता हूं और इस बिल के माध्यम से सरकार ने एक बड़ी आबादी को, जो आबादी महरूम हो गई थी, उसको न्याय देने का काम किया गया। मैं इसका पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairperson, I stand here to deliberate on the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.

Again, this Bill emanates from an Ordinance, which was promulgated on 7 March, 2019. This was given effect to because of judgements of Allahabad High Court, which was again concurred by the Supreme Court of India. Sub-Clause (c) of Clause 6 and Sub-Clause (a) of Clause 8 of UGC Guidelines of 2006 provides that the cadre or unit for determining reservation roster points in teaching posts in Central Universities should be the University or the College and not the Department or subject. However, the said Clauses were quashed by the Allahabad High Court on 7 April 2017, which was upheld by the Supreme Court. The Supreme Court took a stand that the cadres cannot be combined for the purpose of reservation. In a way, this cast aspersion on the decision of the UGC.

Thus, this Government says that it adversely impacted the teaching process and academic standards. I have heard the Minister explain in detail about the vacancies that has been caused because of the High Court and Supreme Court judgement. But I would like to understand this. How the standards have been hampered, namely, the academic standards have been hampered and teaching process have been hampered? Is it because of the vacancies of around 7,000 that has actually hampered it or is there something else that needs to be explained?

Further, how many such posts have been filled up after the Ordinance was promulgated? When there are vacancies of more than 7,000 teaching professionals, how many have been actually recruited within the last 3-4 months' time? For reservation of posts in direct recruitment of teachers, out of the sanctioned strength in the Central Educational Institutions, a Central Institution will be regarded as one unit and not one Department of that Institution. This is the crux of the Bill today for consideration.

The necessity of promulgation of Ordinance has been put forth by the Government. One can never justify an Ordinance. It is an Executive Order, which is imposed on the country without the popular support. An Ordinance was promulgated before the election. Were you so sure that you will be coming back to power and will be piloting this Bill for concurrence of this House?

Let us understand that this Ordinance could have waited for so long. The vacancy of 7,000 did not arise immediately. Vacancies were there, and we have heard during the last Lok Sabha where Members have been ventilating their anger that for a specific Department, advertisements were being made or for specific institutions, advertisements were being made. It was not to fill up the total vacancy that was there in that institution or University. It was partly done, and that was one of the major reasons why people had gone to the Allahabad High Court, and subsequently the Supreme Court took cognizance of it.

Are you tiding over that problem? I do not find any mention of the fact that whenever advertisement will be made, it will be made for the full strength that is sanctioned, and accordingly the reserved category can get recruited in that University.

But you were in a hurry. Then, tell us how many teachers have been recruited after the Ordinance came into force? What is the time-frame within which most of the vacancies would be filled up?

In Odisha, there is a Central University in Koraput. Hon. Member from Koraput is also present here. A large number of vacancies are there. I think, that university is functioning with only 11-12 faculty members. Can you imagine a Central University functioning with only 10-12 faculty members? How best that university is functioning can very well be imagined?

The Supreme Court took a stand that cadres cannot be combined for the purpose of reservation. Some find merit in this contention but because of this process of recruitment had come to a complete standstill leaving more than 7,000 faculty vacancies in various Central Universities, this has adversely affected the teaching process and the academic standards.

Here, I come to a clause which needs a little bit of elaboration. That is clause 3. Actually, here the crux of the Bill is very much mentioned. Clause 3 is in two parts. One is: `Notwithstanding anything in any other law for the time being in

force, there shall be reservation of posts in direct recruitment out of the sanctioned strength in teachers' cadre in a Central Educational Institution to the extent and in the manner as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette'. I was given to understand that it is the UGC which actually determines about the manner and the extent to which recruitment will be done. But here in this clause 3, it is categorically mentioned - the Central Government by notification in the Official Gazette. That means, whether the HRD Ministry will be issuing this notification or the UGC will be empowered to issue the notification. This needs some clarification.

Second part is: `For the purpose of reservation of posts, a Central Educational Institution shall be regarded as one unit.' I support this because for one unit when an advertisement is issued and recruitment is made, it should be made for the totality of the vacancies that is there.

With these words, I conclude.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you, Madam, for giving me an opportunity to speak on such an important Bill. I stand here to support the Bill obviously because it is in the interests of the people, who deserve to contribute to the development of India. Education is a very important and integral part of the growth story of India.

There are two or three pointed questions. I would like to ask the hon. Minister. The Minister has talked about the entire mess created by the Department. Originally, what was the bifurcation of reservation? You went to court. In that, you got caught in your own trap. I have no idea of this magic number of 13. Where did it come from? You could kindly explain to me where this number does come from? What was the Government's legal system doing when this unnecessary chaos was created? Shri Rajiv Ranjan *ji* talked about a very positive step, and people went out. It is these people who went out on the road, and that is why this Ordinance has come. Otherwise, what was the need of an Ordinance? You could have brought in a Bill. None of this was required.

Shri Raut talked about Right to Education being in a mess. I am actually surprised. It is one of the flagship programmes of India. So, I want clarifications from the Government. Is the Government not supporting the Right to Education? He said that school has to be shut if 20 children are not studying in the school. That is not the case. Even if there are less than 10 children in a tribal area, schools can function. In the last five years, both in the Central and in

Maharashtra, we have the same Party in power. They have brought in this law. If there are less than 10 children, then, you may close schools. We have vehemently opposed it. Even if there is one child, there has to be a school to provide access to education. That is the spirit and soul of the Right to Education. What is reservation for? This reservation is for opportunity for all. I am coming to this 13 number again. Now, you have changed this again because you had no option. The Supreme Court had quashed it. Thank God, somebody in Bihar raised it. If nobody had raised this, you would have pushed it through. It was only a political motive. When you realised elections were coming close, that was the only reason you brought in. Otherwise, what was the reason? Please explain to me. That Ordinance is not the route. When you have such a huge majority, you could have passed in the form of a Bill. You have got knotted in your own trap. That was the real truth. It is unfortunate that the common man gets trampled in it.

What about the vacancies? I was just going through some data, and how the bifurcation is done about it. I have no idea from where you got this 13 magic number. About these appointments and the vacuum that have created, I would take Shri Mahtab *ji'*s question forward. This is not only about reservation of jobs. This is about good quality education for the future of this country. The focus of this reservation should always be giving quality education. समानता सबको मिलनी चाहिए, भले ही वह बच्चा बिहार का हो, बारामती का हो, मुम्बई का हो, बंगलौर का हो। सबको अच्छे दर्जे की शिक्षा मिलनी चाहिए इसलिए तो हम राइट टू एजुकेशन लेकर आए थे। सभापति जी, तब हम

उस तरफ थे और आप इस तरफ थीं। मुझे याद है, तब आपने भी साथ दिया था, आप भी तब पार्लियामेंट में थीं। With full majority we had passed the Right to Education Bill.

One more question I would like to ask you. What is this ideal number in a unit? How would you handle the Vice-Chancellors? When the question comes of the Vice-Chancellors, will you club all the Central Universities and give reservation? How will promotions work? There is no clarity in any of these - for example, career advancement, recruitment, promotion. What is the percentage of benefit accrue to the people?

I will give a simple example. In the last elections, where your Party formed the Government was committed to give reservation to Dhangar community in the first Cabinet meeting. Till now 200 Cabinet meetings have taken place. No reservation to Dhangar community has been given in the SCs/STs, which has been their demand consistently for the last five years. The Maratha reservation was not given by the Government. They had to get on to the streets, fight it, and the courts have given the Maratha reservation. So, reservation to Dhangar community has not been given. How will children from this community be included in this? Thank God - hon. courts have given the Maratha reservation. What is the opportunity outflow of this?

Thousands of vacancies are there. I am making this pointed question for my own knowledge. I am not an expert on this. I will give an example of Tamil

Nadu since Shri Raja *ji* spoke here. Advertisements is for 113 seats; reservations are only for 40; and the quota, according to what you have put out, is 56. So, how is this gap? If there are only one or two seats, how would you go about it? All Central Universities were formed decades ago. Suppose if there are only two seats for senior teachers, how would the SCs, STs, OBCs get it? At this rate, this would just be an icing on the cake. It would really never trickle down to the bottom. If there are only two seats, how would you do it? So, I want a complete clarification about its implementation because I have serious questions on reservations.

Even Shri Raut *ji* has said that there are 7,000 vacant posts in Maharashtra. I want to ask him this. This is the official data. It is your Government in Maharashtra, not our Government. I am quoting your Government data, which says that in Government jobs, in category A, B, C and D, the total number is 7.17 lakh teachers. Vacancy stood at 1.91 lakh teachers, which is 26.6 per cent. I would urge Shri Raut. He is such a honest man. In his speech, he always talks the truth. That is one thing about *Shiv Sena;* they always talk very honestly.

श्री विनायक भाऊराव राऊत : माननीय सभापति जी, माननीय सुप्रिया जी को मैं बताना चाहता हूं, मराठा आरक्षण के बारे में कहा कि कोर्ट ने मराठा आरक्षण दिया, गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मैं खुलासा करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की सरकार ….

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: If it is about education, I would yield. But I would not yield for Maratha reservation. No, I am not yielding for this. The point is, when you talk about categories A, B, C and D, it was 7.17 lakh vacancies. He himself said that - his Party was part of the Government in Maharashtra - 26 per cent of Government posts in Maharashtra are vacant today. How is this reservation going to benefit? This is my pointed question. I expect the hon. Minister to give us clear answers. We are not opposing this Bill; we are supporting this Bill. But I do not buy your argument. Nobody here is so naive to believe that this Ordinance is in the interests of the nation.

16.00 hrs

You got caught in your own trap because your legal system, after this UGC came, came up with this 13-point roster system. I do not have any idea where it came from. It is when people got on to the roads, this Government woke up. There were elections and that is when you agreed to restore the 200-point roster system. So, I am actually disappointed that every day we are arguing on Ordinances. What is this Government doing with such a huge majority? If Bills had come, we would be happy to support them. You are caught in your own web. You cannot take the credit for it. The credit goes to the common man who created a huge agitation and that is exactly why this Ordinance has come.

श्री गणेश सिंह (सतना): धन्यवाद सभापति महोदया, मैं केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधयेक, 2019 के समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। सबसे पहले तो मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने अध्यादेश को कानून के रूप में बदलने के लिए यह विधेयक यहां प्रस्तुत किया है। यह वाकई में एक बहुत बड़े वर्ग को, जो न्याय से वंचित हो रहे थे, उनको न्याय दिलाने में सहायक होगा। हमारे संविधान में एस.सी. वर्ग को पन्द्रह प्रतिशत, एस.टी. वर्ग को साढ़े सात प्रतिशत और ओ.बी.सी. वर्ग को 27 प्रतिशत का जो आरक्षण दिया गया था, केंद्र सरकार के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य सभी शैक्षणिक संस्थाओं में भी दिया गया था। लेकिन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में, चूंकि 200 प्वाइंट रोस्टर को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी, एस.सी, एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण प्रत्येक विषय और विभाग में प्रत्येक स्तर के पदों को एक ईकाई माना जाना चाहिए न कि विश्वविद्यालय को एक ईकाई मानकर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विषय और विभाग में प्रत्येक स्तर के पदों को एक ईकाई माना। बाद में, जब सरकार सर्वोच्च न्यायालय में अपील गयी तो सर्वोच्च न्यायालय ने 21.7.2017 को भी उस अपील को खारिज कर दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायलय के निर्णय को बरकरार रखा । यह एक संवैधानिक संकट था और इस संकट के समाधान के लिए जो एक कानूनी अड़चन आई थी, उसका समाधान करने के लिए हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विश्वविद्यालय व कॉलेज को एक विभाग व विषय के बजाए एक ईकाई मानते हुए केंद्रीय शैक्षणिक संस्था शिक्षक के काडर में आरक्षण अध्यादेश लाया गया। इस निर्णय से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण मापदंडों के साथ-साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19 के संवैधानिक प्रावधानों को विधिवत रूप से सुनिश्चित करते हुए शिक्षक काडर के खाली पदों को बड़ी तादाद में भरा जाएगा। हमारी सरकार का यह निर्णय

बहुत स्वागतयोग्य था। अभी यहां पर कांग्रेस के नेता श्री अधीर रंजन जी कह रहे थे कि इसको स्थायी समिति के पास भेजा जाए।

16.03 hrs (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

शायद वह भूल गये कि स्थायी समिति में भेजने से फिर से इतने बड़े वर्ग के लोगों के साथ अन्याय होगा। 16 वीं लोक सभा में मैं ओ.बी.सी. स्टैडिंग कमेटी का चेयरमैन था। उस समय मेरी कमेटी में यह विषय चर्चा के लिए आया था। उस कमेटी में सभी दलों के सदस्य थे। हम सभी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर 200 प्वाइंट का रोस्टर फिर से लागू किया जाए, ऐसी सिफारिश संसद में की थी।

जब आरक्षण का कोई विषय आता है तो स्वाभाविक रूप से तरह-तरह की बातें उठती हैं। मैं मानता हूँ कि देश का माइंड सेट अभी सेट नहीं है। भारत के संविधान ने आरक्षण दिया है जो शैक्षणिक, और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, उनको विशेष अवसर मिलने का संविधान में अधिकार मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर माइंड सेट नहीं हुआ तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी डी.एम.के. के नेता ए. राजा कह रहे थे कि हमारी सरकार ने उच्च वर्ग के गरीबों को **10** प्रतिशत का जो आरक्षण दिया, वह गलत किया। एक तरफ वे ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. के पक्ष में हैं, लेकिन जब उच्च वर्ग के गरीब बच्चों को न्याय दिया गया तो उसका विरोध करना, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है।

SHRI A. RAJA: I did not say 'wrong'; I said 'constitutionally not valid'.

श्री गणेश सिंह : कांस्टीट्यूशन में संशोधन हुआ था तभी तो उनको अधिकार मिला।…(व्यवधान) नहीं, मैं तो माइंड सेट की बात कर रहा था। अभी यहां पर अधीर रंजन जी कह रहे थे, लेकिन शायद

वे भूल गए कि जब वर्ष1990 में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27 परसेंट आरक्षण मिला था तो इसी सदन में उनके नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने पुरजोर विरोध किया था। आरक्षण का जब-जब मामला आया, तब-तब हमेशा कांग्रेस की दोहरी नीति रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आते ही सबसे पहले इस देश के लोगों से कहा था कि "सबका साथ सबका विकास " जब सबका साथ की बात उन्होंने कही तो स्वाभाविक है कि सामाजिक न्याय उसके साथ जुड़ा हुआ है और सामाजिक न्याय के चलते उन्होंने इतने बड़े-बड़े फैसले लिए। संविधान संशोधन हुआ। वर्ष 1990 में मंडल कमीशन लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1993 में पिछड़े वर्ग का एक आयोग गठित करने के लिए निर्देश दिया था। सरकार ने आयोग तो बनाया, लेकिन उस आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। जब वर्ष 2017 में प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के पास जाकर हम सब लोगों ने इसकी जानकारी दी, तब उन्होंने 123वां संविधान संशोधन कराके पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। हमें इतने वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। कांग्रेस के मित्रों को विचार करना चाहिए कि आप न तो पिछड़े वर्गों को न्याय देने के पक्ष में हैं, न अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को न्याय देने के पक्ष में हैं। आखिरकार आप क्या चाहते हैं? यह देश जानना चाहता है। अभी अधीर जी संविधान सभा की दुहाई दे रहे थे, आपातकाल जब आए तभी अध्यादेश आना चाहिए। अभी 25 जून तो बीत गई। आप लोगों ने देश के साथ क्या किया था जो फिर से उसको याद दिला रहे हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग जिसकी संख्या इस देश में 85 प्रतिशत है, उनको जब सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, तब वह वर्ग कहां जाएगा? वर्ष 2017 में इलाहबाद हाईकोर्ट ने रोका था और लगभग 7 हजार से ज्यादा पद रिक्त रह गए। सारे विश्वविद्यालयों में भर्तियां बंद कर दीं। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने निश्चित तौर पर कोई न कोई निर्णय लेने का काम करना था और वह ऐतिहासक निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, जिसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

सभापति महोदय, डी.ओ.पी.टी. ने 2 जुलाई, 1997 को 200 पॉइंट का रोस्टर लागू किया था। इसमें विश्वविद्यालय के सभी विभागों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का तीन स्तर पर केडर बनाने का प्रावधान किया गया था। इसमें विभाग की बजाय विश्वविद्यालय व कॉलेज को यूनिट मानकर आरक्षण लागू किया गया था। चूंकि उक्त पदों की नियुक्तियां विश्वविद्यालय करता है, न कि कोई उनका विभाग। इसके तहत विश्वविद्यालय को एक यूनिट माना जाता था, जिसके तहत 1 से 200 पद के लिए 49.5 फीसदी आरक्षित वर्ग के लिए और 50.5 फीसदी अनारक्षित वर्ग के हिसाब से भर्ती की व्यवस्था की गई थी।

13 प्वाइंट रोस्टर के तहत विश्वविद्यालय को यूनिट मानने की बजाय विभाग को यूनिट माना गया। इसके तहत पहला, दूसरा और तीसरा पद सामान्य वर्ग के लिए रखा गया, चौथा पद ओबीसी कैटेगरी के लिए, पांचवां और छठा पद सामान्य वर्ग के लिए, सातवां पद अनुसूचित जाति के लिए, आठवां पद ओबीसी के लिए, नौवां, दसवां और ग्यारहवां पद फिर सामान्य वर्ग के लिए, 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां पद सामान्य वर्ग के लिए और 14वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह रोस्टर इतना हास्यास्पद था कि अनुसूचित जनजाति, जो समाज का सबसे अन्तिम पायदान है, उसको आपने आरक्षण के लाभ से पूरी तरह वंचित कर दिया। इस तरह से 13 प्वाइंट रोस्टर के लागू होने की स्थिति में आदिवासी वर्ग को आरक्षण का कभी लाभ नहीं मिलेगा। इस बात को लेकर हमारी सरकार चिन्तित हुई कि 14वें पद संख्या तक आते-आते अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण निष्क्रिय हो जाएगा। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जैसे तमाम विश्वविद्यालयों में से कई ऐसे हैं, जिनमें मात्र एक-दो या तीन प्रोफेसर्स ही विभाग को संचालित करते हैं। वहां पर कभी भी एससी, एसटी या ओबीसी को मौका नहीं मिलता है। हमारी सरकार ने 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होने पर 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण पदों पर होने वाली नियुक्तियों का अध्ययन भी कराया, जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा था। उसमें

पूरी तरह से साबित हुआ कि आरक्षित वर्ग की नियुक्ति न के बराबर हुई और इसका पूरा-पूरा लाभ सामान्य वर्ग को मिलेगा।

सभापति जी, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने संबधी सभी विकल्पों पर विचार करते हुए महसूस किया कि रोस्टर तैयार करने के लिए विभाग को एक इकाई मानकर आरक्षण करने वाले इस विवादास्पद आदेश का कार्यान्वयन न्याय की अवहेलना होगी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों को संकट में डालना होगा।

सभापति महोदय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए यह कानून बन रहा है, लेकिन एक बड़ा विषय यह है कि जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इस बारे में एक एडवाइजरी जरूर भेजें और सभी राज्य सरकारों को निर्देशित करें कि यह जो कानून यहां से बनने वाला है, उस कानून का पालन पूरी तरह से राज्य विश्वविद्यालयों में भी होना चाहिए।

सभपति जी, मैंने इसी सदन में 11 फरवरी, 2019 को एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के उत्तर में मुझे जो जानकारी भेजी गई थी, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वर्ष 2018 तक 5,606 शिक्षण पद और 11,429 गैर-शिक्षण पद रिक्त थे। इसी क्रम में, आईआईटी में 2,813 पद, एनआईटी में 3132 पद रिक्त थे। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दिनांक 1/4/2018 को 11,486 शिक्षण पदों में ओबीसी मात्र 1,113 हैं और 23,678 गैर-शिक्षण पदों में ओबीसी मात्र 2,537 हैं। इस तरह की स्थिति है, इतने सारे पद खाली पड़े हुए हैं। इन सभी पदों को भरने के लिए, इस कानून के बनने के बाद एक रास्ता खुलेगा और निश्चित तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को उसका पूरा लाभ मिलेगा।

मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस बिल को लाकर उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairperson Sir, for giving me this opportunity to support The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.

Sir, if we go into the details of this Bill, it is mainly about reservation of posts in appointments to the teachers' cadre by direct recruitment of persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, socially and educationally backward classes and economically weaker sections in educational institutes established, maintained or aided by the Central Government. इधर हम लोगों की बात चलने के समय में स्टेट्स के बारे में भी कुछ बात चल रही थी। आज टीचर कैडर के रिजर्वेशन के लिए चर्चा हो रही है। Around 7,000 existing vacancies को भरने के लिए यह बिल आया है। इससे सभी राज्यों को एडवांटेज मिलेगा। सभी राज्यों के केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में और भी टीचर्स आने के चांसेज हैं। शुरू से ही हमारे नेता के.सी.आर. साहब ने SC, ST, OBC, minorities and economically backward के रिजर्वेशन के लिए काफी सपोर्ट किया है। स्टेट गवर्नमेंट से एसटीज और माइनॉरिटीज के लिए असेम्बली से पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी भेजा था। जिस तरह से हम लोग सेन्ट्रल गवर्नमेंट के इश्यू आने पर हाउस में मदद कर रहे हैं, उसी तरह से हमारे स्टेट गवर्नमेंट के इश्यू में सेन्ट्रल गवर्नमेंट मदद करे। Education is very important in our country. राइट टू एजुकेशन का बिल बहुत दिन पहले पास हुआ है, तब भी बैकवर्ड एरियाज में बहुत लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है। हाउस को एजुकेशन के बारे में और भी गहराई से चर्चा करनी चाहिए, डिटेल में जाना चाहिए। अभी हमारे कुछ साथियों ने इस पर अपनी बात कही है। उन्होंने बोला है कि इस रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद इसके इम्प्लिमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेज हैं। आप इम्प्लिमेंटेशन बहुत पक्के तरीके से करें। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना

चाहिए। आज माननीय मंत्री जी ने एक प्रश्न का जवाब दिया है । वह जवाब यह है कि पूरे देश में 45 जिलों में नवोदय विद्यालय बनाने हैं। उन 45 जिलों में से 23 जिले तेलंगाना से बिलाँग करते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे लीडर के.सी.आर साहब हर समय सपोर्ट करते हैं, उसके लिए लैंड रेडी है और बिल्डिंग्स भी रेडी हैं। 43 जिलों में केन्द्रीय विद्यालय बनाने की जो योजना है, उसको आप तुरंत कंसीडर करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात इस सदन से कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य को बने छ: साल हुए हैं। हम लोगों को छ: साल पहले सेपरेट स्टेट मिला है। हमारे नेता के.सी.आर साहब ने एससी, बीसी और माइनॉरिटीज लोगों को ध्यान में रख कर 700 गुरुकुल, आवसीय पाठशालाएं खोली हैं। एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, बीसी और सभी पिछड़े लोगों के बच्चों को सपोर्ट करने के लिए हमारे नेता ने यह निर्णय लिया है। अभी करीब दो लाख छात्र इनमें पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सुविधाएं दी है। वहां स्कूल्स सीट्स के लिए काफी रेकमेंडेशंस चलती हैं।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि आप हमारे 23 जिलों के केन्द्रीय विद्यालय के लिए परमिशन तुरंत दे दीजिए। जिस तरह से हम हाउस में आपकी मदद कर रहे हैं, उसी तरह से आप हमारे राज्य की भी मदद कीजिए। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Chairperson, Sir, for giving me an opportunity to speak on this important Bill regarding education.

Keeping the constraint of time limit, I would like to make my point straightway. The first point is that sub-clause (c) of clause 6 and sub-clause (a) of clause 8 were both struck down by the Supreme Court. I like the way the Government is standing up to that decision. I like the way it is presenting itself. This is the right way forward. It is a very good decision. That is the way to implement this reservation. More than agreeing to the fact that it is the right way for reservation, I like the fact that the Government is standing up to the Supreme Court, which is the right thing to do when it comes to doing good for the people. I hope that this Government will take such steps in the future also. I just want to ensure that the courts do not come in the way of implementing this Act in the future. I would like to request the Government to ensure that this happens in the right way.

There are seven thousand vacancies that need to be filled up. There are many institutions with reservations but if we consider today there are a lot of institutions where even though the Act is being implemented in many of them, including the Railways and other organisations and institutions, there are still pending vacancies. So, I would like to bring to the notice of the Government, through you, that even after the formulation of this Act, there would be a huge

responsibility on the Government to fill up these seven thousand vacancies. So, the Government will have to work with a lot of concentration in the implementation to ensure that the rights of the backward classes, the Scheduled Tribes, and the Scheduled Castes are protected and their aspirations are fulfilled.

Maybe my next point does not come within the purview of this Bill because this Bill extends reservation to the teachers' cadre but I would like to know from the Government whether it is thinking about the non-teaching staff also. There is a lot of vacancy in the non-teaching staff and that is also very important for smooth, transparent, and efficient running of the institutions. So, I would like to know from the Government if it is thinking of extending this kind of reservation and if this kind of an Act is going to be brought in for non-teaching staff also.

I have a couple of other points also. I would like to know from the Government why certain institutions are not included. The talent has to be there in certain institutions, which cannot be run through reservations. There needs to be a certain amount of talent; that needs to be ensured. But I would like to know from the Government itself what is the line they have decided on what is to be included and what is not to be included. We see that this Bill does not apply for institutions of excellence, research institutions, institutions of national and strategic importance, and minority institutions. So, I would like to listen to the explanation of the Government itself on what lines they are dividing these institutions.

Before concluding, I want to say that I want to extend our support for the Bill in the hope that this would ensure quality education and also protect the rights of the SCs, STs, OBCs, and also the economically backward classes for whom the Government is taking a lot of interest. In the spirit that we want to play the role of a constructive opposition in the 17th Lok Sabha, we wish that the Government takes forward this good spirit in terms of ensuring quality education for the students of this country.

Thank you very much.

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): सभापति जी, मैं अपनी पार्टी 'अपना दल' की ओर से 'सैंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिल, 2019' के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं, जो 7 मार्च, 2019 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा। सरकार का यह कदम पूर्णतया स्वागत योग्य है, क्योंकि इसके माध्यम से विवेकानंद तिवारी केस में वर्ष 2017 को इलाहबाद उच्च न्यायालय के जिस निर्णय के आधार पर सैंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में आरक्षित वर्गों के पदों में कटौती हुई थी, उसमें पुन: सुधार होगा। इस बिल के माध्यम से पूर्ववर्ती 200 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था, जो पहले चलती थी, वह पुन: बहाल होगी और इसके माध्यम से हमारे जो 7 हजार रिक्त पद हैं, उन पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ होगी और देश भर के जो भी प्रतिभावान एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूएस सैक्शन के लोग हैं, उन सभी को इसके माध्यम से नए अवसर प्राप्त होंगे।

महोदय, हम सभी अवगत हैं कि हमारी 200 प्वाइंट की रोस्टर व्यवस्था वर्ष 1997 से कायम है और वर्ष 2006 में एचआरडी मंत्रालय ने यूजीसी को जो निर्देश दिए, वे यही थे कि वर्ष 1997 का हमारा जो 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम है, उसके आधार पर ही आरक्षण नीति को लागू करना है। सारी समस्या तब उत्पन्न हुई, जब इलाहबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 2017 के अंदर एक निर्णय दिया, जिसके अंतर्गत पुरानी 200 प्वाइंट रोस्टर व्यवस्था को हटाकर 13 प्वाइंट रोस्टर व्यवस्था को कायम करने का निर्णय किया गया, जिसके कारण यूजीसी को भी अपनी गाइडलाइन्स में परिवर्तन करना पड़ा। इन बदलती हुई गाइडलाइंस के अंतर्गत जो आरक्षित वर्गों के पद थे, उनमें भीषण कटौती हुई। अभी माननीय एचआरडी मिनिस्टर साहब ने अपना वक्तव्य दिया और उन्होंने इस बात को विस्तार से बताया कि 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम और 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के तहत कुल पदों की संख्या जब समान होती है, उसके बाद भी जो 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है, उसमें 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के सापेक्ष, उसकी तुलना में, जो आरक्षित वर्गों के पद होते हैं, उनमें कटौती हो जाती है।

मैं एक उदाहरण के जरिए इसको स्पष्ट करना चाहूँगी। अक्तूबर, 2017 में इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब्ल यूनिवर्सिटी ने 37 पदों के लिए एक विज्ञापन जारी किया। इन 37 पदों में 15 पद आरक्षित वर्गों के लिए थे और 22 पद अनारक्षित वर्गों के लिए थे। यह तब था, जब तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम बहाल करने का निर्णय नहीं आया था। लेकिन, इस निर्णय के बाद जब अप्रैल, 2018 में पुन: इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइब्ल यूनिवर्सिटी ने 52 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया, तो उनमें 51 पद अन-रिज़र्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के थे और केवल एक पद आरक्षित यानी रिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए था। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि दोनों रोस्टर सिस्टम्स से किस प्रकार 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम न केवल सामाजिक न्याय की पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक कुठाराघात है, बल्कि एक लंबे समय से जो हमारे एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग संघर्ष कर रहे हैं कि सरकारी पदों में उनकी भी भागीदारी हो, उनको यह नाउम्मीद करता है।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उचित समय पर अध्यादेश लाकर हमारे एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोगों के साथ न्याय किया, उनके अधिकारों की रक्षा की क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर की जो प्रणाली है, उसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि कोई भी पिछड़ी जाति का व्यक्ति केवल चौथी रिक्ति होने पर ही एलिजिबल होगा, अनुसूचित जाति का व्यक्ति केवल सातवीं रिक्ति होने पर एलिजिबल होगा और अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का है, तो वह केवल चौदहवीं रिक्ति होने पर ही एलिजिबल होगा।

13 पॉइंट रोस्टर की जो विभागवार व्यवस्था है, उनमें रिक्तियों की संख्या इतनी कम होती है कि बाई द टाइम कोई एससी, एसटी या ओबीसी उसके लिए एलिजिबल होगा, तब तक उसके लिए कोई वेकेंसी ही शेष नहीं बचेगी। यानी उसके लिए किसी नौकरी की संभावना ही शेष नहीं रहेगी। यह बहुत ही गंभीर परिस्थिति है और इसी कारण इसका व्यापक विरोध हुआ। एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लोग सड़कों पर उतरे। हमारी सरकार ने इस समस्या पर ध्यान भी दिया।

माननीय मंत्री जी, आप सदन में उपस्थित हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में कितनी विकट स्थिति है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर पर आज ओबीसी समाज का एक भी व्यक्ति सेन्ट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में नहीं है।

अगर मैं एससी, एसटी वर्ग की बात करूँ, तो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर के पद पर केवल तीन प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग हैं और केवल 0.7 प्रतिशत शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। इसी प्रकार, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अनुसूचित जाति के लोग केवल पाँच प्रतिशत हैं और एसटी वर्ग के लोग केवल एक प्रतिशत हैं।

माननीय मंत्री जी, मुझे कहने में कोई गुरेज़ नहीं है कि दशकों से जारी आरक्षण व्यवस्था के बावजूद सरकारी विभागों में एससी, एसटी और ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वह पर्याप्त नहीं है। यह बेहद निराशाजनक है और यह बहुत ही असहज करने वाली तस्वीर पेश करती है। मैं यह नहीं कहती कि इन आँकड़ों के लिए आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने अभी-अभी इस अहम मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया है। लेकिन, मैं स्वयं पिछड़ी जाति से आती हूँ और इस समाज की पीड़ा को आपके सामने रखना चाहती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपके यशस्वी नेतृत्व में जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के पद पर हमारे एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी।

माननीय सभापति महोदय, यह एक बहुत बड़ा विषय है। कांग्रेस के फ्लोर लीडर इस विषय को रख रहे थे। मैं उनसे भी जरूर पूछना चाहूँगी कि आपने तो लम्बे समय तक देश के अंदर राज किया है, तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों है? आज मैं जिन आँकड़ों का जिक्र कर रही हूँ, उनके लिए कहीं-न-कहीं आप जिम्मेदार हैं क्योंकि आपने कभी ईमानदार प्रयास नहीं किया कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में

जो हमारी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसायटी है, जो कमजोर तबके हैं, उनका टीचिंग फैकल्टी में प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए।

आज देश की स्थितियां ये हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी बैकलॉग वेकेंसीज़ की संख्या 28,713 है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, यह छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा इतना बड़ा कब हो गया? यह इतने वर्षों में हो गया और इतने वर्षों में इस आंकड़े को कम करने के लिए सरकार ने कुछ क्यों नहीं किया? यह सवाल तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को जाता है। आपने सबसे ज़्यादा समय तक राज किया है। इस आंकड़े को कम करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई गई? अगर चलाई गई, तो वह कितनी इफेक्टिव थी? क्या उसको ईमानदारी से चलाया गया? क्या वह स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव एससी, एसटी, ओबीसी को ठगने की सिर्फ एक औपचारिकता थी? इसलिए इन बैकलॉग वेकेंसीज़ का फिगर 28,713 है।

सभापति जी, आज देश के प्रधान मंत्री स्वयं पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए जो देश का वंचित तबका है, उसकी उम्मीदें ज़्यादा हैं। उसे लगता है कि हमारे साथ न्याय होगा। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि आपके नेतृत्व में यह संभव हो, हमारा प्रतिनिधित्व बढ़े, कमज़ोर वर्गों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दशा को सुधारने के लिए अभी भी ठोस और ईमानदार प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे मेरी सरकार से पूरी उम्मीद है। मैं अपनी पार्टी - अपना दल की ओर से पुन: सरकार का अभिनंदन करती हूं, माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करती हूं।

मैं अंत में यह ज़रूर करना चाहूंगी कि हाशिए पर पड़े हुए समाज को सही मायनों में न्याय दिलाने के लिए अभी मीलों लंबा सफर तय करना बाकी है।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपने मुझे केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 पर चल रही चर्चा में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरी पार्टी आरएलपी की तरफ से मैं प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा । पिछले तीन-चार दिनों के अंदर हमने देखा है कि चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांवों का मामला हो कि 60-70 सालों के अंदर पहली बार यह सोच उत्पन्न हुई कि उन गांवों के अंदर कैसे हालात होंगे, जहां बॉर्डर के अंदर हमेशा लड़ाई चलती है, कभी बेवजह गोलीबारी भी होती है। वहां हमेशा टेंशन के अंदर लोग जीते हैं। वहां भी आपने आरक्षण की व्यवस्था शुरू कर के पूरे देश के अंदर एक मैसेज दिया। निश्चित रूप से प्रधान मंत्री जी ऐसे पहले प्रधान मंत्री हैं, जिनको नॉर्थ से लेकर देश के किसी भी कोने का हर व्यक्ति जानता है और कहता है कि वे हमारे प्रधान मंत्री जी हैं। इस प्रकार लोगों का दिल्ली से एक सीधा लगाव हुआ है।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वर्ष 2017 में इलाहबाद हाई कोर्ट ने केन्द्रीय संस्थाओं में आरक्षण पर जो रोक लगाई थी, इस पर आप 7 मार्च, 2019 को अध्यादेश लेकर आए। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एसएलपी दायर की थी, जब सुप्रीम कोर्ट में आपकी एसएलपी खारिज हो गई, तो आप यहां पार्लियामेंट के अंदर विधेयक लेकर आए। मैं देश के उन लाखों एससी, एसटी और ओबीसी के जवानों की तरफ से और हम सबकी तरफ से इसके लिए आपको बधाई दूंगा। प्रधान मंत्री जी ने यह ऐतिहासिक कदम उठाया। प्रधान मंत्री जी ने जिद कर के दुनिया बदलने की हिम्मत की थी, कोर्ट में हार गए, लेकिन फिर भी यहां विधेयक लेकर आए। वे कई विधेयक पिछले पांच सालों के अंदर लाए, उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने जो कहा, वह कर दिखाया।

जो उद्देश्य इस विधेयक के अंदर लिखे हैं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने करीब-करीब उन सब पर ज़ोर दिया है, लेकिन मुझे शर्म आती है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने एससी, एसटी और ओबीसी के नाम पर 60 सालों तक वोट लिए और खाली अखबार में छपने के लिए खड़े होकर हर विधेयक का विरोध करती है। इनको पता ही नहीं कि ये क्या चाह रहे थे। मैंने उनसे कहा कि इतना तो बताओ कि आप किस साइड में हो? इन्हें बस आधा घंटे, बीस मिनट तक अखबार में बोलना है। हमें इन लोगों को बार-बार झेलना पड़ता है।

सभापति महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शक, 2006 के खंड-8 के उपबंध में यह प्रावधान है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षक पदों में आरक्षण रोस्टर बिंदु का अवधारणा करने के लिए कैडर या यूनिट का आधार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय होना चाहिए, विभाग नहीं होना चाहिए, जिससे एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण सुरक्षित रहे। इसके लिए मंत्री जी को बधाई। यह भी सही बात है कि 7 हज़ार पदों पर भर्ती होनी है। अगर 7 हज़ार पद भरे जाएंगे, तो निश्चित रूप से एससी, एसटी और ओबीसी, जिसका प्रतिशत इस देश के अंदर 70 प्लस हो जाएगा, उन लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

मैं तो प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हर आरक्षण आंदोलन को फेस किया। हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन चला, गुजरात के अंदर पटेल आंदोलन चला, महाराष्ट्र के अंदर मराठा आंदोलन चला और कई जगह भी आंदोलन चले। हम तो प्रधान मंत्री जी से मांग भी करेंगे कि जहां-जहां आरक्षण की मांग चल रही है, लोग आरक्षण को लेकर उद्वेलित हो जाते हैं, अगर संबंधित सरकारें समाधान नहीं कर पाती हैं, टेबल-टॉकिंग नहीं हो पाती है, तो झगड़े हो जाते है, गोलियां चलती हैं, उसमें हमारे बच्चे शहीद भी होते हैं। इससे उन समाजों को ठेस लगती है कि हमारे बच्चे आंदोलन में शहीद हुए।

मैं प्रधान मंत्री जी से यह भी मांग करता हूं कि प्रत्येक समाज को आरक्षण देना चाहिए। मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि 10 प्रतिशत आर्थिक आधार सवर्णों के आरक्षण की पहल की है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधान मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। छत्तीस कौम इनको आशीर्वाद दे रही हैं। पहले एस.सी.,एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए आरक्षण था, तब सवर्णों के मन के अंदर यह बात रहती थी कि हम पढ़ रहे हैं और ये लोग आरक्षण ले रहे हैं। भाई भाई से नाराज हो जाता था कि यह क्या बात हुई, पढ़ाई तो मैं भी कर रहा हूं। जब 10 प्रतिशत आरक्षण आपने किया है तो देश के अंदर एक मैसेज चला गया कि भारतीय जनता पार्टी 36 कौम की पार्टी है। वह गांव के अंतिम छोर पर, ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी न्याय दिलाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो आरक्षण आपने शुरू किया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद है। अब तो जम्मू कश्मीर से बहुत उम्मीदें हैं। पूरा देश कह रहा है कि इस बार धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर का टंटा ही खत्म करेंगे। इसलिए देश के जवानों ने 300 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 50 सीटें देकर भेजा है, एन.डी.ए. को। अगर धारा 370 हट जाए तो हमारे सभी लोग, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से कोई अन्य कहीं से जमीन लेने जाएंगे। आप एक बार इस धारा को हटाइए, फिर देखते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर का सिस्टम ठीक नहीं होगा।

माननीय सभापति : प्लीज कन्क्लूड कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल : सभापति महोदय, मैं बस दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। मैं इस सबके लिए मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मंत्री जी से एक निवेदन यह भी रहेगा, जिसमें हमारा आपको बारम्बार धन्यवाद है और हर तरीके से है। यहां भी नहीं, आप कहेंगे तो लाखों एस.सी., एस.टी. के लोग रैलियों के अंदर आपका अभिनन्दन भी कर देंगे कि मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी क्या चीज़ लाए हैं। केन्द्रीय विद्यालयों में एम.पीज. के दस एडमिशन होते हैं। उन दस एडमिशनों के लिए आपने कह दिया कि अपने संसदीय क्षेत्र में ही कराइए। मान लीजिए हमारी पार्टी स्टेट की पार्टी हो गई और आपने कह

दिया कि उन एडमिशंस को अपने-अपने इलाके में करा लीजिए। प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं सारा एन.डी.ए. हमारा परिवार है तो इनको ज्यादा एडमिशन दीजिए। हमारे साथ-साथ हमारे बी.जे.पी. वाले भाइयों को भी दीजिए।

HON. CHAIRPERSON : Kindly conclude.

श्री हनुमान बेनीवाल: सभापति जी, आप मुझे एक मिनट का समय और दीजिए। सभी को मजा आ रहा है। मंत्री जी आप पचास-पचास एडमिशन दीजिए। हम एडमिशन ही तो मांग रहे हैं, नौकरियां थोड़े ही मांग रहे हैं। हमारी चौधरियत तब ही चलेगी, जब आप एडमिशन का कुछ करेंगे, वरना खत्म हो जाएगी। बाकी हम आपको ट्रांसफर, पोस्टिंगों का काम नहीं बताएंगे। मैं सदन में बताना चाहूंगा कि देश में एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. की 72 प्रतिशत आबादी होने के बावजूद केवल 10 फीसदी कुलपति के पद ही एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. के पदों से भरे हुए हैं। आपने आर्थिक आधार पर आरक्षण तो अभी चालू किया है। देश भर की यूनिवर्सिटीज में 496 ओ.बी.सी. के पदों में से केवल 48 ही एस.सी., एस.टी. तथा ओ.बी.सी. के वाइस चांसलर्स हैं। इस बिल के आने से यूनिवर्सिटी कोटे की एक इकाई माना जाएगा। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 14 प्रतिशत आरक्षण के दायरे में लाया जाए। मैं सरकार और मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आप एक ऐतिहासिक बिल लेकर हैं। ऐसे बिल आप और भी लेकर आइए, जिससे ज्यादा फायदा होगा। आप और अच्छे बिल लाइए और बेकार बिल जो कांग्रेस वाले लाए थे, उन बिलों को धीरे-धीरे खत्म कीजिए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे (बीड): सभापति जी, मैं डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे हूं। आज डॉक्टर्स डे की बहुत-बहुत बधाई। मैं सारे डॉक्टर्स को बधाई देना चाहती हूं। केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण), विधेयक पर आपने आज मेरे विचार सभा के समक्ष रखने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। यू.जी.सी. ने वर्ष 2006 में अपने निर्देशों में साफ तौर से यह स्पष्ट किया था कि जब भी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों का आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया जाएगा तब इकाई विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, न कि विषय या डिपार्टमेंट। इसके तहत ही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपने विभिन्न विभागों में शिक्षक और समकक्ष पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिनको इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। जिसकी वजह से पूरी भर्ती की प्रक्रिया ठप्प पड़ गई थी। इस ठप्प प्रक्रिया को पुन: शुरू करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति ने जो अध्यादेश जारी किया था, उसको आज हम विधेयक का स्वरूप देने जा रहे हैं, जिससे न कि सिर्फ अध्यापकों का, बल्कि इससे जुड़े हुए सैकड़ों छात्रों का भी बहुत फायदा होने वाला है ।यह सही भी है। माननीय मंत्री जी ने अच्छी तरह से उदाहरण देकर यह बताया था कि विद्यालय को इकाई रखने से ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर प्राप्त होगा, उनको मुख्य धारा में आने का अवसर मिलेगा और 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' हमारे प्रधान मंत्री जी का मूल वाक्य है, उसको वास्तविकता में जीने का उनको अवसर मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूं कि न सिर्फ आज हम यह विधेयक लाने जा रहे हैं पर इससे संबंधित जो वित्तीय आवश्यकता थी, उसकी भी मंजूरी मिल गयी है, जिसकी राशि करीब 700 करोड़ रुपये की है। लोग इसकी तरफ सात हजार वैकेन्सीज़ के रूप में देख रहे हैं और मैं इसको सात हजार ऑपर्च्युनिटी की तरह से देख रही हूं। क्या यह नये रोजगार का निर्माण नहीं है? हमें हर जगह बार-बार विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ता है। यहां हम सामाजिक न्याय तो प्रस्थापित कर ही रहे हैं, साथ ही

साथ नये लोगों को इसमें चांस भी मिलेगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो लोग इसमें अप्लाई करेंगे, उनमें ज्यादा से ज्यादा फ्रैशर्स को मिलेगा, तो मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं युवाओं के साथ न्याय कर पाएंगे। इन सबके साथ, This brings me back to the crux of the whole situation. इस सदन में मैं पहले भी इसकी मांग कर चुकी हूं और हमारे नेता श्री गोपीनाथ मुंडे की भी हमेशा यह मांग रही है कि ओबीसी की जनगणना हो। हमारी संख्या जनसंख्या में कितनी है, जब तक इसका हमें पता नहीं चलेगा, तब तक 27 प्रतिशत का आरक्षण किस आधार से है। समस्या केवल इतनी ही नहीं है, 27 प्रतिशत का आरक्षण होने के बावजूद भी बहुत सारी जगहों पर हम 27 प्रतिशत का कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं। पिछली संसद में मैं ओबीसी कमेटी की मैम्बर थी। मेरे से पूर्व गणेश सिंह जी जो हमारे चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने भी अपनी बात सामने रखी। हर डिपार्टमेंट को बुलाकर हम ब्योरा लेते थे। किसी भी डिपार्टमेंट में 27 प्रतिशत का आरक्षण पूरा नहीं हो पाया था।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह दरख्वास्त करूंगी कि अब ऐसी चीजें न हों। हम ओबीसी कमेटी में भी यह विषय ले चुके हैं और अब हमारे ओबीसी कमिशन को संवैधानिक दर्जा मिल रहा है, इसके बाद ऐसी चीजें नहीं होंगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करती हूं। मोदी जी के नेतृत्व में सबके साथ न्याय हो रहा है और सबसे निचले तबके के आदमी तक सारे विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं, तो जिस गुरु को हम अपने संस्कारों में सबसे ऊंचे स्थान पर रखते हैं, उन गुरुओं के साथ न्याय होगा। इसके माध्यम से जो अध्यापक इन संस्थाओं में काम करने लगेंगे, वे भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, यही विश्वास मैं आपके सामने व्यक्त करती हूं।

सर, अगली कुछ लाइन्स मैं मराठी में कहना चाहती हूं –

……(The issue of Maratha Reservation was a long pending issue for years together in Maharashtra. But Hon'ble Chief Minister of Maharashtra Shri Devendraji Fadnavis handled it very sensitively and he has done justice to the Maratha community. But I would not give credit only to Hon'ble Chief Minister, rather it is due to the peaceful and highly disciplined demonstrations and persuasion of Maratha community. They have set a new and unique example of peaceful agitation for rightful demands. Hence, I would like to congratulate and complement every member of Maratha community. "If it is given, it is because of court and not, because of Government" this kind of approach is totally wrong. Our BJP led coalition Government has played an important role and succeeded.

We have also fulfilled all the demands of Dhangar community. Dhangar community is enjoying all the benefits and concessions of ST community. I am sure that our Government would definitely settle the issue of Dhangar Reservation in the near future.)*

मैं इस बिल के समर्थन में खड़ी हुई हूं और आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। धन्यवाद।

……... English translation of this part of the speech was originally delivered in Marathi.

SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): Hon. Chairperson, thank you for giving me this opportunity. According to me, the provisions, as contained in the Bill, are allright. This will help to streamline the recruitment process in the national educational institutes by adhering to the reservation policy for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, socially and educationally backward classes and minorities in the field of education. That provision is good. In addition to that I have my own doubts about the ten per cent reservation for the Economically Weaker Sections and I think, that this might not stand the test in the courts of law. I think you will have a reverse line in this regard. Of course, it helps the Government to tackle the hindrance arising out of the Supreme Court judgement treating the 'institution' as a unit instead of 'Department' as a unit. That obstacle is also going to be removed.

I would like to express my concern on one more point. When the power of recruitment is derived through this legislation, how is the Government going to exercise it? That is to be discussed.

I do not hesitate to say that recruitment in the country, especially in higher education, is completely polluted because of the political interest of the Government. There are only certain institutions like IIT, IIM, Central Universities, UGC, NCERT mentioned here. While posting the Head of those institutions, you have not given consideration for merit. On the other hand, certain other consideration was taken into account.

I would appeal to the hon. Minister to kindly save higher education from politicisation. You have to give due consideration to merit but unfortunately, that is not happening now.

If you take the present scenario into consideration, I do not want to name any institution and I do not want to blame anybody, only one thing is required as qualification. The qualification is, whether they are loyal to the ruling Party or not. If that is the criteria which you are going to adopt, then you are leading education itself on a dangerous path.

Similarly, there is one more aspect. It is very good that you are now trying to save certain institutions and of course, national institutions have to be saved. The hon. Minister may be knowing that the UPA Government sanctioned Regional Centres for Aligarh University. That was the most progressive step taken by the UPA Government in the best interest of the minorities. There are institutions in Perinthal Manna of Kerala, Kishanganj of Bihar and Murshidabad of West Bengal. What is happening to these institutions? All these institutions are on death bed. You are not allowing any recruitment to take place there. You are not sanctioning any fund there. They are going to have a natural death.

I humbly appeal to the Government and the hon. Minister to take a lenient view on this matter. We are all talking about minorities, OBCs and others. This

was the most progressive step taken by the Government keeping the academic interest of the minorities in view. But you are now killing those institutions.

Coming to the filling up of the vacancies, the hon. Minister has stated that worst hit is the new Central Universities with 53.28 per cent vacancies remaining vacant and 47 per cent of teachers' vacancies in IITs yet to be filled up. If this is the position, how will the situation improve in the universities?

Sir, I will be concluding after raising a very important point. You are seriously attending to not only higher education reforms but also to education sector reforms. In this regard, Kasturirangan Committee Report is now under discussion. You have circulated it. It is a 500-page Report which may change the very profile of education. There are many more things to be decided and a threadbare discussion should take place on the Kasturirangan Committee Report.

The hon. Minister has given only one month for submitting the viewpoints of the stakeholders. You should give adequate time as this is not a small point. This is a very serous thing. If you go through the Kasturirangan Committee Report, I was myself a Minister for Education in Kerala, you may feel that it should be well attended to. The hon. Minister must give adequate time for the stakeholders to submit their valuable suggestions.

With these words, I conclude my speech.

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): चेयरमैन साहब, मैं सैंट्रल एजुकेशनल इंटिट्यूट्शंस (रिज़र्वेशन इन टीचर्स कैडर) बिल, 2019 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

चेयरमैन साहब, मैं तीन घंटे से इस बिल पर हो रही चर्चा को सुन रहा था। जिस बिल पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं सन् 2002-2003 में, वाजपेयी जी की सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति में सदस्य था। जब वाजपेयी जी की सरकार के समय एस.सी. कमीशन और एस.टी. कमीशन बायफर्केट हुआ, मैं हिन्दुस्तान के पहले ट्राइबल कमीशन का पूर्व में वाइस चेयरमैन रहा हूँ। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ भी चर्चा हई, यूजीसी के साथ भी चर्चा हुई। एस.सी., एस.टी. और ओबीसी के लोगों की मांग उस जमाने यही थी कि 200 पॉइंट रोस्टर पर हमारा रिज़र्वेशन होना चाहिए। आज हम लोग इस बिल पर चर्चा करने के लिए इसे इलाहबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लेकर यूजीसी, मैं हमारे मिनिस्टर साहब और मोदी जी को एस.सी., एस.टी., ओबीसी और इकोनामिकली वीकर सैक्शन की ओर से इस सदन से कॉग्राजुलेशंस देता हूँ। मोदी जी और हमारे एचआरडी मिनिस्टर अंतर्यामी हैं। इन्होंने एस.सी. के दिल की जलन को, एस.टी. के दिल की जलन को और इकॉनिमकली वीकर सैक्शन के दिल की जलन को जाना है, क्योंकि यही हमारी मांग थी। हायर एजुकेशंस में पूरी चर्चा हुई, इस पर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैं आज कांग्रेस पार्टी को यह कहना चाहूंगा कि आजादी से ले कर कांग्रेस ने हमको यह दिखाया कि हर साल आपको मछली का एक टुकड़ा मिलेगा। उसके इंतज़ार में हम एस.सी. और एस.टी. जी रहे थे। लेकिन आज मोदी जी भगवान के अवतार में इस देश में आए हैं। आज मोदी जी हमको सिखा रहे हैं कि मछली आप कहां से खरीदेंगे, मछली आपको कहां से मिलेगी। यह जानकारी, यह नॉलेज एस.सी., एस.टी., ओबीसी और इकोनामिकली वीकर सैक्शंस को दी जा रही है, उनको सिखाया जा है।

आज जो इस ऑर्डिनेंस के बारे में बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ आज यह ऑर्डिनेंस क्या, हज़ारों ऑर्डिनेंस लाइए, जो कांग्रेस ने एस.सी. और एस.टी. के ऊपर अत्याचार करने के लिए रखे थे। मोदी जी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर दिन ऑर्डिनेंस लाइए और इसको पूरा खत्म कर दीजिए। क्योंकि यह कंस्टीट्यूशनली आर्टिकल 14 और 16(21) में हमारा रिज़र्वेशन था। इसको इतना उलट-पुलट दिया गया। चेयरमैन साहब, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैं एयर इंडिया की एस.सी. और एस.टी. वैलफेयर को देख रहा था, मुंबई के मरीना बीच पर मैंने एयर इंडिया की रिव्यू मीटिंग ली थी। उसमें 39 एस.सी. और एस.टी. पायलट्स का बैकलॉग था।

मैंने एज़ ए कंस्टिट्यूशनल अथॉरिटी डायरेक्टिव दिया और वहां इंटरव्यू किया गया। उसमें 300 से ज्यादा एस.सी. और एस.टी. कैंडिडेट्स ने एप्लाई किया। उसमें भी हरास्मैंट कहां है? 39 बैकलॉग पायलट्स की वैकेंसीज़ में से सिर्फ 19 सिलैक्ट हुए। बाकी के बारे में मैंने पूछा, उस समय एयर इंडिया के एमडी श्री गोगोई थे, जो कि आज दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने हमको यह रिप्लाई दिया कि ये एलिजिबल नहीं हैं। हमारे एस.सी. और एस.टी. लाइसेंस होल्डर्स पायलट एलिजिबल नहीं हैं। 300 एप्लिकेंट्स में सिर्फ 19 ही सिलैक्ट हुए। इसलिए मैं माननीय एचआरडी मंत्री जी को एक जानकारी देना चाहूंगा। आपने यहां रिपोर्ट में दिया है कि 7000 वैकेंसीज़ हैं। इन 7000 वैकेंसीज़ में एस.सी., एस.टी., ओबीसी और इकोनामिकली वीकर सैक्शंस का कभी रिक्रूटमेंट नहीं होगा। जब भी एडवरटाइज होगा तो यह रिपोर्ट आएगी कि यहाँ एलिजिबल कैंडीडेट्स नहीं पहुँचे हैं। यही अत्याचार हमारे साथ होता आया है। Who will monitor the interview? When will that advertisement come out? यह एक दौर है, जब भी होता है, एलिजिबल कैंडीडेट्स नहीं हैं। आज एससी, एसटी, ओबीसी अमेरिका में साइंटिस्ट्स बन गए, दफ्तर लन्दन में बन गए हैं, दफ्तर आस्ट्रेलिया में बन गए हैं। हमारे हिन्दुस्तान में ऐसा सिस्टम है कि जब भी क्वालिफाइड होकर आते हैं तो एलिजिबल नहीं हैं।

माननीय सभापति : काइंडली कनक्लूड।

श्री तापिर गाव : मैं कनक्लूड कर रहा हूँ। इस आरक्षण बिल का मैं समर्थन करता हूँ और जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन के आरक्षण की तरह, मैं एक चीज़ की यहाँ माँग करता हूँ कि श्री राजीव प्रताप रूडी साहब, नितिन गडकरी के समय में इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में श्री भगत सिंह कोश्यारी की चेयरमैनिशप में हम दोनों मेम्बर थे। सियाचीन से लेकर अरुणाचल तक जहाँ-जहाँ डिस्प्यूट है, वहाँ हम लोगों ने विजिट किया है। इंटरनेशनल बॉर्डर, केवल कश्मीर को छोड़ कर, बर्फबारी वाले इलाकों में और दूर-दराज इलाकों में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है, चेयरमैन साहब, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, आर.डी. मिनिस्ट्री में यह गाइडलाइन है कि जहाँ 250 से बिलो पॉपुलेशन है, वहाँ पीएमजीएसवाई का रास्ता नहीं होगा। आज अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश के कालापानी में, उत्तराखंड के बॉर्डर में यह रास्ता इसलिए पहुँच नहीं पा रहा है, क्योंकि हमने गाइडलाइन ऐसी बनाई है। इसलिए रिजर्वेशन उधर भी एक्सटैंड होना चाहिए और गाइडलाइन मोडिफाइड करना चाहिए, तब जाकर हमारे दूर-दराज इलाकों के लोगों को सुविधा मिलेगी। इस रिजर्वेशन बिल का मैं समर्थन करता हूँ। देश भर के एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सैक्शन्स की ओर से मैं धन्यवाद करता हूँ।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for affording me this opportunity to speak on this very important Bill, namely, the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.

Sir, this may be one of the strange occasions in which I am supporting the Bill because the contents of the Bill as well as that of the Ordinance were the long pending demand of the entire House.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY (SARAN): Why is this a strange occasion?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : This is a strange occasion because most of the time we are opposing the Bills proposed by the Government due to various reasons. But whenever positive things come from the side of the Government, we will definitely support THEM. Our hon. Prime Minister has rightly said on 17th June, 2019 that the Opposition should be constructive, effective and active. So, we are all active, effective and constructive and so the Government has to accept the constructive suggestions that come from the side of the Opposition also.

Sir, this situation has arisen because of the verdict of the Allahabad High Court given on 7th April, 2017. Then, the Supreme Court had also upheld that judgement. Subsequently, the Government had moved a Special Leave Petition against the judgement and it was dismissed. Thereafter, two Review Petitions were moved by the Government as well as by the University and both were rejected on 13th February, 2019. The House was adjourned *sine die* on 14th

February, 2019 because that was the last sitting of the 16th Lok Sabha. Therefore, the Government could not come out with a legislation. To that extent, I do appreciate the stand taken by the Government in promulgating the Ordinance. There is a legitimate reason for that and that is why I am supporting this Bill as well as, to an extent, the promulgation of the Ordinance.

Coming to the contents of the Bill, if you kindly see, one of the major reasons why we have to discuss this is because this is overriding the judgement of the Supreme Court. As all of us know, as per Articles 141 and 142 of the Constitution of India, the judgement of the Supreme Court is the law of the land and all State Governments and the Central Government are bound to enforce the judgement of the Supreme Court. You may recall that at the fag end of the 16th Lok Sabha, we passed another Bill which is also adversely affecting the people belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and that was the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Bill.

17.00 hrs

There also, the hon. Supreme Court has made a judgement by which if there is any atrocity, in order to get an FIR lodged in a police station, they have to get advance concurrence of the DSP of that particular area. 11 people were killed due to the riots because of this. People are being adversely affected. In this Parliament, we have come out with a legislation

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, the hon. Member has mentioned that the Supreme Court judgement is the law of the land. Is it true? I wanted a clarification on this.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Article 142 says so. I am reading Article 141 and Article 142 of the Constitution. I am not supporting the provision. I may be exempted for seeking clarification by the hon. Member. Article 141 of the Constitution says: "the law declared by the Supreme Court to be binding on all courts. The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India."

SHRI RAJIV PRATAP RUDY : So, we are redundant.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: No, I never said that. Article 142 says: "enforcement of decrees and orders of the Supreme Court are binding on all.

माननीय सभापति : प्रेमचन्द्रन जी, आप पॉइंट पर आइए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Yes, I am coming to the point. Most of the times, now-a-days, if you examine the cases of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the poor people, what is the judgement made by the Supreme Court. Here also, the Supreme Court has upheld the verdict of the Allahabad High Court which adversely affected a section of the society, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The Government is now coming up with a legislation to override the adverse impact of the judgement of the Supreme Court, both in the case of SC & ST (Prevention of Atrocities) Act as well as the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill.

17.02 hrs (Shri A. Raja *in the Chair*)

I would like to highlight similar incident regarding the Sabarimala issue. In the Sabarimala issue, a judgement has been pronounced by the Supreme Court which has created a big chaos in the country. It has become a law and order problem in the country, for which we are seeking a legislation from the Government of India. I am not going into that point now.

Here, I am supporting the contents of the Bill also because as the hon. Minister has rightly cited, if you are taking the teachers' cadre, department-wise or subject-wise -- for example, in case of Economics or in the case of History, if you are taking all the Centrally sponsored or Central Government aided institutions together as a special category -- definitely the classification or the reservation for

the teaching faculty will be reduced. In such a case, either the university or the particular institution has to be taken as a particular separate/individual unit, so that those who are entitled to get a benefit from reservation will be benefited from it. The definition which is stated in Clause 2 (l) says:

> "teachers' cadre means a class of all the teachers of a Central Educational Institution regardless of branch of study or faculty, who are remunerated at the same grade of pay, excluding any allowance or bonus."

That means, it is fair on the part of the Government. This is actually how legislation comes into play to override the Supreme Court judgement. I do not think that the Supreme Court can struck this legislation because it is benefiting the people belonging to lower strata of society. …(*Interruptions*)

Coming to the last point, one of my suggestions is that, when we talk about faculty, when we talk about higher education, abundant care and caution should be taken by the Government in the teaching faculty, especially the quality of the teaching faculty. Education is a process by which a new generation, a new country or a new nation is built up. In such a situation, quality should not be compromised. You fix up the best qualification and give reservations also. We have to build up the new teaching faculty having full qualification.

With these words, once again, I would like to support the Bill and in a way, there is a legitimate reasoning for the issuance of the Ordinance also.

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Mr. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to express my views on the Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019.

Firstly, I would submit that the words 'SCs/STs, Economically Weaker Sections and Minorities' may also be included in this Bill.

Secondly, I agree with of the points raised by hon. Members, Shri Rajaji and Shrimati Supriya Suleji. These are all the points to be taken into consideration.

On behalf of my party, CP(I)M, I would request you to refer this Bill to the Standing Committee for thorough scrutiny.

With these words, I conclude. Thank you.

श्री प्रवीन कुमार निषाद (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर लोक सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और आज केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 के विषय पर बोलने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और पार्टी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि दिनांक 05.10.1981 के ओ.एम. नं. 36011/33/1981 स्थापना के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों हेतु क्रमश: 15 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 27 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है। पुन: वर्ष 2018 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया था। फिर पुन: क्रमवार 16.66 प्रतिशत एस.सी. का आरक्षण, 7.5 प्रतिशत एस.टी., एवं 25.84 प्रतिशत ओ.बी.सी. आरक्षण हेतु डायरेक्ट सिविल सर्विसेज की भर्तियों में इन सारी जातियों के लिए प्रावधान प्रदत्त किया गया। दिनांक 30.09.1974 के ओ.एम. नं. 39/40 एस.सी.टी. एक्ट 1 के अनुसार यही प्रावधान केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अन्य केन्द्रीय प्रायोजित संस्थानों में भी लागू होता है। दु:खद पहलू यह है कि आज़ादी के बाद से सरकारें बनीं और चली गईं, लेकिन एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिए निर्धारित आरक्षण का जो भी कोटा है, वह आज तक पूरा नहीं हो पाया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आप बिल लेकर आए हैं। इस बिल के पारित होने से पहले माननीय मंत्री जी को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि जो भी लंबित भर्तियां हैं, उन्हें पूरा किया जाए और जो भी उपयुक्त अभ्यर्थी पूरे देश में हैं, उन्हें उनकी योग्यता से वंचित न रखा जाए। इस विसंगति को दूर करने के लिए हम माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करते हैं। यह जो विधेयक आया है तो वर्तमान समय में 200-प्वायंट रोस्टर के अनुसार पूरे देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भर्ती होनी है।

महोदय, आरक्षण का जो प्रावधान इस देश में आया, उसके इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। सन् 1961 में जब पूरे भारत की जनगणना हुई थी, उसके साथ-साथ उत्तर प्रदेश में भी जनगणना हुई थी और 66 जातियों का समूह बना था, जिन्हें आरक्षण दिया गया था, लेकिन आज तक उन जातियों का इसका लाभ नहीं मिला।

वर्तमान समय में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री यशस्वी नरेन्द्र मोदी जी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर एक गौरव स्थापित करने का काम किया गया। सरकार ने नवयुवकों में एक आशा दिखाई कि वे भी इस विकास की प्रगति में हिस्सा बन सकें और उनका भी विकास हो सके।

महोदय, आज पार्टी के पक्ष में बोलने के लिए जो अवसर प्रदान हुआ, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जितनी भी निर्धारित कोटे की रिक्तियां हैं और उनमें जितने भी प्रमोशन हैं, उनको पूरा किया जाए। मैं अपनी बातों को माननीय सांसद अनुप्रिया पटेल जी से संबंधित करते हुए, बताना चाहता हूं कि आज तक इन सारी जातियों में जितनी भी विसंगतियां आईं और इन सारी जातियों के लिए जो प्रावधान रखे गए थे, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उसने 10 परसेन्ट का आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए रखा। आज 103वें अमेंडमेंट के रूप में संशोधन विधेयक 2019 प्रभाव में आया है। इस कोटे को पूर्ण करने

से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि एससी, एसटी और ओबीसी की रिक्त जगह पूर्णत: भर ली गई हैं। इससे यह संदेश जाएगा कि सरकार उनके प्रति जागरूक है और मानवीय आधार पर एससी, एसटी और ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, आज के वर्तमान समय में वह पूरी तरह से लागू हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

जय हिन्द -जय भारत

एडवोकेट अजय भट्ट (नैनीताल-ऊधमसिंह नगर): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 पर बोलने की अनुमति प्रदान की है।

मान्यवर, इस विधेयक के बारे में सदन में दर्जन से भी अधिक हमारे भाइयों, साथियों और माननीय सांसदगण ने पूरे उद्गार दे दिए हैं। मैं समझता हूं कि अब किसी चीज़ को दोबारा न कहा जाए। जो समस्या उत्पन्न हुई थी, न्यायालयों के द्वारा जो निर्णय दिए गए थे, उसके बाद जो एक संकट उत्पन्न हो गया था कि किस तरह से अधिकतम लाभ हम अपने लोगों को पहुंचाएं। न्यायालय ने जो निर्णय दिया और सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को कनफर्म किया, उससे संकट तो उत्पन्न हो ही गया था, इसलिए सरकार की जो संवेदनशीलता है, माननीय प्रधान मंत्री ने जो संवेदनशीलता दिखाई, माननीय मानव संसाधन मंत्री जी ने जो अपनी संवेदनशीलता दिखाई, उसके लिए धन्यवाद का पात्र सरकार है।

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी ने 10 प्रतिशत आरक्षण देने का जो निर्णय लिया, उससे इस देश के करोड़ों लोग पहली बार अपने को मुख्यधारा में आते हुए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपस में प्रेम भाव बढ़े, कहीं कटुता न हो, एक-दूसरे के खिलाफ कोई अविश्वास की भावना पैदा न हो, यह थीम इसके पीछे थी। सबसे बड़ी बात यह है कि एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण में कोई कटौती नहीं की गई, कहीं पर भी कमी नहीं की गई। मान्यवर, यह एक बहुत बड़ी बात है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से 1-2 चीजें बताना चाहता हूं कि हमारा समाज तो पहले से ही ऐसा समाज था, जो सबको बराबरी का दर्जा देता था। जैसे भीलनी के बेर, भीलनी माता के बेर प्रभु राम ने कहा। उन्होंने कहा कि सब बराबर हैं, सबको समान आना चाहिए, सबको बराबर आना चाहिए। यह एक किस्म से हमारी नीति थी। सुदामा के पैर धुले। सुदामा गरीब थे। कृष्ण भगवान जी ने उनके पैर पखारे। उन्होंने कहा कि सब बराबर हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो। मित्रता, मित्रता है, छोटा है, बड़ा है, ब्राह्मण है, सवर्ण है, हम सब बराबर हैं।

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

… (*Interruptions*)

एडवोकेट अजय भट्ट : इस तरह से हमारी माइथोलाजी ने हम सबको बराबरी का दर्जा दिया है। मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं। एक-दो मिनट और दे दें, तो अच्छी बात है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

एडवोकेट अजय भट्ट : मान्यवर, मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस देश में सबको बराबरी पर रखा। जब किसी को बराबरी पर नहीं रखा जाता, तो टीस कैसी होती है? एकलव्य का उदाहरण हमारी संस्कृति में आता है। जब अर्जुन जी को यह हो गया कि अब मेरे बराबर कोई धनुर्धर नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य जी ने भी यह मान लिया कि इनके मन में कुछ-कुछ ऐसा भाव आने लगा है। अर्जुन जी के कुत्ते के मुख को बाणों से भरकर, जब वह भौंक रहा था, वह थोड़ी देर में वापस आया। जब कुत्ता वापस आया, तो अर्जुन जी ने द्रोणाचार्य जी की तरफ रहस्यमयी नजरों से देखा कि आखिर मुझसे बड़ा धनुर्धर तो कोई है नहीं, आप कहते थे, तो यह कौन है? उन्होंने कहा कि चलो देखते हैं। हमें देखना चाहिए कि कौन है। जब नजदीक गए, तो उनकी मूर्ति के आगे धनुष की प्रैक्टिस चल रही थी। धड़ाधड़ तीर-बाण चल रहे थे। उन्होंने पहले उसको मना कर दिया था कि मैं तुमको धनुर्धरी की शिक्षा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट बड़े लोगों से हो चुका है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं को शिक्षा दूंगा। मान्यवर, दिल में कैसी टीस होगी और उस समय कैसे गुरु थे? मोदी जी ने आज गुरु का काम किया है। पूरे देश को वे समानता में लाए हैं। कहीं ऐसी भावना किसी में उत्पन्न न हो जाए कि यह छोटा है, यह बड़ा है, यह क्षेत्र फलाने का है। जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र के सब बंधनों को तोड़ कर सबको बराबरी में लाए।

मान्यवर, उन्होंने अन्तर्मन से आशीर्वाद दिया, कहा कि एकलव्य बहुत बड़े लोगों में तुम्हारा नाम आएगा। उनसे कहा कि दक्षिणा दो। दक्षिणा में वे सिर, पैर, हाथ या कुछ भी माँग सकते थे, उन्होंने कुछ नहीं माँगा, अंगूठा माँगा। उन्होंने प्रायश्चित किया कि जब-जब तुम्हारा नाम आएगा, तब-तब मेरा नाम भी आएगा, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट गलती से हो गया और मैं भय के कारण अपने एग्रीमेंट को तोड़ नहीं पाया। लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे, समाज के हर वर्ग को बराबरी का अधिकार देकर इतिहास कायम किया है।

HON. CHAIRPERSON : Nothing will go on record except Shri Pandey’s speech.

… (*Interruptions*)… *

* Not recorded.

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) विधेयक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मान्यवर, 2006 में यूजीसी की जो गाइडलाइन्स आईं थीं, जिसमें 200 पॉइंट रोस्टर की एक प्रणाली लागू की गई थी और उस 200 पॉइंट रोस्टर की प्रणाली को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए खारिज करके 13 पॉइंट रोस्टर की प्रणाली को लागू करने की बात कही गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दे दी थी, इसे देखते हुए जनता में एक भारी आक्रोश जाग उठा था। दबे-कुचले समाज के लोग रोड पर आ गए थे, जिस बात को बहुजन समाज पार्टी ने लोक सभा और राज्य सभा में उठाने का काम किया। इस आन्दोलन को वहाँ पर जागरूक करके सरकार के ऊपर दवाब बना करके उस समय अमेंडमेंट लाने की बात की गई।…(व्यवधान) आज उसी बिल को देखते हुए, आज उसी अमेंडमेंट को एक कानून में बदला जा रहा है, इसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी को और बहन कुमारी मायावती जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। …(व्यवधान)

मान्यवर, मैं केवल दो मुद्दों पर बात करना चाहता हूं। क्लॉज तीन पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनको इस दायरे से बाहर रखा जाएगा। माननीय मंत्री जी से एक सवाल है, कल आप यह भी कह सकते हैं कि आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस है। उसे भी आप इस लिस्ट में ला सकते हैं। इसके पीछे क्या क्राइटीरिया है, इसको पूरी तरह से स्थापति करें, इसे सदन के सामने रखें। दूसरा इश्यू, अभी हाल ही में … *सरकार ने सत्रह जातियों को अनुसूचित जाति में लाने का काम किया है। इसमें जो बदलाव किया गया है, इसमें … * जी से बात करके चेंजेज कर दिए गए हैं, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 341 के भाग दो में साफ लिखा हुआ है कि अगर एक बार किसी जाति को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में ले

* Not recorded.

लिया गया है तो उसमें कोई भी तब्दीली सिर्फ माननीय सदन के द्वारा की जा सकती है। आज स्थिति यह हो गई है, हम आज जो कानून पास करने जा रहे हैं, मेरे यहां अम्बेडकर नगर में सत्रह जातियों की लिस्ट में बड़ी तादाद में निषाद जाति है, राजभर जाति को भी लिया गया है लेकिन जब तक इस कानून को लोक सभा में पारित नहीं किया जाएगा, तब ये न ओबीसी में रहे और न ही एससी में रहे। इनको इसका फायदा मिलेगा ही नहीं, सरकार इस चीज को साफ करे। आखिर में इतना बड़ा डिसीजन लेकर सत्रह जातियों को उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल पर उनकी तादाद मौजूद है। यह सरकार उनके साथ धोखा कर रही है। ऐसी क्या बात है, इसको क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा है? हमारी पार्टी अध्यक्षा ने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से रखा है। यह सीधे-सीधे इन जातियों के साथ धोखा हो रहा है। इस बिल का कोई मतलब नहीं है। जब तक इन सत्रह जातियों को इस सदन में लाकर अनुसूचित जनजाति में लेना है तो उनको लिया जाए। इसके साथ-साथ अनुसूचित जनजाति का कोटा और बढ़ाया जाए।

HON. CHAIRPERSON : Hon. Member, please conclude.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Rithesh Pandey Ji, hon. Minister wants to intervene.

… (*Interruptions*)

श्री रितेश पाण्डेय : मान्यवर, अगर हम इस बिल को पास करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE, MINISTER OF COMMUNICATIONS AND MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD) : Sir, there is only one thing which I want to tell in this House. We do not refer to the proceedings of the other House in this House. He has made a reference to the proceedings of the Uttar Pradesh Assembly and all these things. They need to be removed.

HON. CHAIRPERSON: Okay, we will check them.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, you can speak about the State Government but you cannot cast any aspersion on the State Assembly.

SHRI RITESH PANDEY: No, Sir, I am not casting any aspersions. I am talking about this august House. What I am saying is that according to Article 341, it is this House that can decide.

HON. CHAIRPERSON: Shri K. Suresh. Nothing will go on record except Mr. Suresh’s speech.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA) : Sir, I rise to express my views on the proposed Bill 'The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Bill, 2019'.

First of all, I would like to opine that the current representation of SCs, STs and OBCs among the teachers in higher education is negligible.

The Constitution mandates that educational institution should ensure 15 per cent reservation for SCs, 7.5 per cent for STs and 27 per cent for OBCs among the faculty members. What is the reality? The All India Survey for Higher Education for the year 2017-18 released by the Ministry of Human Resource Development shows that there are 12,84,000 teachers in various higher educational institutions. Of these, 56.8 per cent of teaching staff is from the general category; 8.6 per cent is from the Scheduled Caste community while the Scheduled Tribes are a mere 2.27 per cent.

The poor representation of *Dalit* and tribal is exposed when the University Grants Commission (UGC) mandates reservation of 15 per cent for SCs and 7.5 per cent for STs. The ST representation is worse than that of the Muslims and other minorities who are 5.3 per cent and 9.4 per cent respectively of the total teaching faculty of the universities.

Coming to the 200-point system, why are the reserved categories objecting to the 13-point roster? The hon. Minister may reply on this. In the 13-point roster,

the formula for determining reserved posts is like this. It is only after 13.33 positions (14 in round figure) are filled up that every reserved category gets at least one post. The expression '13-point roster' reflects the fact that 13.33 vacancies are required to complete one cycle of reservation.

Based on this, every 4th, 7th, 8th, 12th and 14th vacancy is reserved for OBCs, SCs, OBCs, OBCs and STs respectively in the 13-point roster. It means that there is no reservation for the first three positions and even in the full cycle of 14 positions, only five posts – or 35.7 per cent—go to the reserved categories, which is well short of the Constitutionally mandated ceiling of 49.5 per cent, that is, 27 per cent plus 15 per cent plus 7.5 per cent.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude. The Minister has to give reply before six o' clock.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : The Minister can give his reply later because this is a very important Bill.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Why is the Minister in a hurry?

HON. CHAIRPERSON : No, he is not in a hurry. The time allotment to each and every party is exhausted.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Why is the Minister worried?

HON. CHAIRPERSON: The Minister is not worried. Suresh Ji, the time allotment to each party is already exhausted. It includes the Congress and the BJP.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : I can understand it.

HON. CHAIRPERSON: Please be brief.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : The Minister is not in a hurry. This is a problem of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities. Since years and years back, we have been facing this problem. Where will we go? We have to speak in Parliament only. We cannot say outside. So, you have to give me sufficient time. Then only I can complete my speech.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : With the new 10 per cent quota for the Economically Weaker Sections, EWS, the gap is widened further. This is because every 10^{th} post--100/10 = 10--is now reserved for the EWS category, which means there will be six reserved seats in every cycle of 14 or it is 42.8 per cent reservation when the ceiling is 59.5 per cent. So, I would like to request the hon. Minister to go through these disparities in the Scheduled Caste and Scheduled Tribe teachers ’ representation at the higher educational level.

Due to constraint of time, I am not going into all the details.

17.30 hrs (Hon. Speaker *in the Chair*)

[*]**DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I thank you for giving me this opportunity. I partly support the Bill. But I strongly oppose another part of the Bill. I wholeheartedly welcome the arrangement of providing reservation on the basis of University as one Unit. At a time when the Allahabad High Court, Hon. Supreme Court and the University Grants Commission were seized of the matter regarding Department-wise roster for reservation, due to the continuous agitations by the teachers, an Ordinance was brought by the Government and it was decided to make University as one unit while preparing roster for reservation. I welcome and appreciate this decision. On that basis, this Bill has been brought to replace an Ordinance, which is a welcome step. At the same time, the move to implement 10 per cent reservation to people belonging to forward castes on the basis of their economical backwardness, is a dangerous one.

Reservation, in principle, should be provided to the people who are backward and oppressed -socially and educationally. This forms the basis of social justice. Reservation extended in principle to the economically weaker section is against social justice. In the Report of the Higher Education Department

[*] English translation of the Speech originally delivered in Tamil.

for the year 2015-16, it has been stated that 25.4 per cent persons belonging to OBC have actually utilized the benefits of reservation. But on the contrary the fact is more than 65 per cent of persons belonging to general category have utilized the opportunities. But out of the 15 per cent reservation available for Scheduled Castes, only 7.5 per cent have actually utilized the benefits of reservation. Similarly out of the 7.5 per cent reservation available for Scheduled Tribes, only 2.1 per cent have utilized it. In a situation where only 7.5 per cent is utilized out of 15 per cent reservation available for Scheduled Castes and even the Scheduled Tribes could not utilize the reservation to the fullest possible limit available for them, providing 10 per cent reservation to the forward castes is against the basic principles of social justice. I strongly oppose the stand of the Government in this regard. I urge upon the Hon Minister to withdraw the 10 per cent reservation provided to economically weaker sections. Thank you for this opportunity. Vanakkam.

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): मान्यवर, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सोचता हूं कि समाज के हर वर्ग को छूने वाला चाहे वह अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, ओ.बी.सी. है या जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उन सबको आज के इस अधिनियम से एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है । ऐसे महत्वपूर्ण बिल पर आज श्री अधीर रंजन चौधरी जी, श्री विष्णु दयाल जी, श्री ए.राजा जी, श्री रेड़डप्पा जी, श्री विनायक राऊत जी, श्री राजीव रंजन जी, श्री भर्तृहरि महताब जी, श्रीमती सुप्रिया सुले जी, श्री गणेश सिंह जी, श्री नागेश्वर राव जी, श्री राम मोहन नायडू जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, श्री हनुमान बैनिवाल जी, श्रीमती डा. प्रीतम मुंडे जी, श्री मोहम्मद बशीर जी, श्री तापिर गाव जी, श्री प्रेमचन्द्रन जी, श्री पी.आर.नटराजन जी, श्री प्रवीन निषाद जी, श्री अजय भट्ट जी, श्री रितेश पांडे जी, श्री सुरेश जी और अंत में हमारे मित्र श्री तिरु जी ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण विचार यहां पर आए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सबकी भावना एक जैसी है। सबने इस बिल का समर्थन किया है, इसलिए मैं आप सबका और पूरे सदन का आभार प्रकट कर रहा हूं। किसी न किसी रूप में सभी लोगों ने इस बिल का पूरी ताकत के साथ समर्थन किया है। यदि छोटी-छोटी बातों को छोड़ दिया जाए, जिसमें मोटी-मोटी बातें यह हुई हैं, विशेषकर अध्यादेश को लाने की क्या जरूरत थी? अध्यादेश तो विशेष परिस्थितियों में लाया जाता है।

श्रीमन, उन्होंने यह भी कहा है कि यह पीढ़ी का सवाल है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता तो इससे बड़ा क्या विषय हो सकता है। श्रीमन, पीढ़ी का सवाल है, एक दिन भी कोई पद खाली नहीं रहना चाहिए। यह सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकार ने बिना किसी विलंब किए, जैसा कि आपने शुरू में भी कहा था कि यू.जी.सी. का वर्ष 2006 में जो दिशा-निर्देश था, वह ही व्यवस्था ईकाई के रूप में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय रोस्टर प्रणाली के रूप में ईकाई माना जाता था और वही व्यवस्था चली भी आ रही थी, लेकिन इस व्यवस्था को खंडित करने की दृष्टि से जब हाई कोर्ट

इलाहबाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति के खिलाफ गए, जो 16 जुलाई, 2016 को जारी हुई थी, उसके खिलाफ 12.09.2016 को यह तय करके कि नहीं, विभाग ईकाई होना चाहिए, और यू.जी.सी. का जो निर्देश था, जिसको ईकाई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय मानकर नियुक्तियां होती थीं, हाईकोर्ट ने उस नियम को अमान्य घोषित कर दिया। परिस्थिति यह हुई कि यदि इलाहबाद के उस आदेश का यदि फिर से पालना होता तो ऐसा लगा कि संविधान के जो अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग को न्याय देने की बात है, कदाचित यह उसकी मंशा को पूरा नहीं कर पाएगा इसलिए गवर्नमेंट ने 21 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की एक अध्ययन टीम बनाई और 21 विश्विविद्यालयों का विश्लेषण किया। जैसा मैंने कहा कि उस विश्लेषण को आने के बाद सरकार ने बहुत कठोर निर्णय लिया। विश्लेषण क्या था श्रीमन कि यदि विश्वविद्यालय को हम ईकाई मानते हैं तो प्रोफेसर 133 जो अनुसूचित जाति के हैं, अगर उसमें विभाग को मानते हैं तो केवल 4 आ रहे हैं और यदि ईकाई विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को मानते हैं तो 133 प्रोफेसर अनुसूचित जाति के आते हैं। इतना अंतर था क्योंकि अभी अनुप्रिया जी ने भी जिस बात को कहा है कि प्रोफेसर में इन जातियों का प्रतिनिधित्व नहीं है, हम लोगों ने सहायक प्रोफेसर के रूप में अध्ययन किया। अनुसूचित जाति में यदि विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो 619 सहायक प्रोफेसर बनते हैं, जबकि ईकाई को मानते हैं तो केवल 249 ही बनते हैं।

श्रीमन्, इतना ही नहीं अनुसूचित जाति के बाद बहुत सारा विवरण है। मैं समयावधि किसी सदस्य को, हमारा शोध और विश्लेषण करने का प्रयास था सारे विश्वविद्यालय में था। यदि आवश्यकता होगी तो उसको उपलब्ध भी करा दिया जाएगा, लेकिन अनुसूचित जाति के बाद अनुसूचित जनजाति पर भी आए। किसी माननीय सदस्य ने कहा है कि अनुसूचित जाति को तो मिल जाता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति को नहीं मिलता है। श्रीमन, अनुसूचित जनजाति के लिए भी इन विश्वविद्यालयों का जो अध्ययन किया है, 21 विश्वविद्यालयों को लेकर विश्लेषण किया गया, उसमें भी यदि

विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं और महाविद्यालयों को ईकाई मानते हैं, तब प्रोफेसर के 58 पद अनुसूचित जनजाति में जाते हैं, लेकिन यदि विभाग को मानते हैं तो एक भी पद नहीं आ रहा है। शून्य के अलावा कुछ भी नहीं आता है। इसलिए सहायक प्राफेसर के रूप में भी यदि केवल विभाग को ईकाई मानते है तो मात्र 66 आते हैं जबकि विश्वविद्यालय को ईकाई मानते हैं तो 309 पद अनुसूचित जनजाति के होते हैं। श्रीमन, इतना ही नहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बाद फिर हम अन्य पिछड़ा वर्ग में गए थे अभी प्रतिमा जी ने कहा था कि बहुत सारे पद हैं, जो ओ.बी.सी. के भरे नहीं जाते हैं या उस अनुरूप नहीं होते हैं। श्रीमन हमने इस पर अध्ययन किया और विश्लेषण से हमने यह पाया है। यदि विभाग को ईकाई मानते हैं तो प्रोफेसर का एक भी पद नहीं आता है। कहां 11 पद और कहां एक भी पद नहीं होता है। पिछड़े वर्ग के लिए सहायक प्रोफेसर में विभाग को ईकाई मानकर मात्र 855 पद आते हैं, वहीं विश्वविद्यालय को ईकाई मानने से 1,112 पद उनको जाते हैं।

श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया, एक ओर तो वे कहते हैं कि हम एससी, एसटी और ओबीसी के हिमायती हैं, वकालत करते हैं, लेकिन आज कुछ लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए हैं कि वे एससी, एसटी और ओबीसी के हितैषी नहीं हैं। दिखाने की बात कुछ होती है, आज पूरे सदन को एकजुट होकर, इसे पास करना चाहिए। इस सरकार का इससे बड़ा निर्णय और क्या हो सकता है? यह ऐतिहासिक निर्णय है। मैं यह समझता हूं कि जो इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं हैं – आरक्षण रोस्टर के बिन्दु निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज इसकी एक ईकाई होगा, न कि विभाग। दूसरा, यह विधेयक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण को प्रदान करने के लिए प्रावधान करना और तीसरा, यह विधेयक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों के कैडर में भर्ती द्वारा नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने से संबधित है।

श्रीमन्, यदि देखा जाए तो एक के बाद एक, यह विधेयक साबित करता है कि यदि अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की कोई चिन्ता करता है तो नरेन्द्र मोदी जी की सरकार करती है। यह विधेयक इसको साबित करता है।

मैं अधीर रंजन चौधरी जी का बहुत सम्मान करता हूं। वह मुझसे वरिष्ठ भी हैं। मैं इस सदन में अभी दूसरी बार आया हूं, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं उत्तर प्रदेश में दो बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं। जब उत्तराखण्ड राज्य बना, मैं तीन बार कैबिनेट मंत्री रहा, चौथी बार मुख्य मंत्री रहा हूं। मैंने इस सदन में जो बात कही है, बहुत भरोसे के साथ कही है। मैं फिर पुख्ता करना चाहता हूं कि मैंने जो भी कहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि मैंने कुछ कहा है तो आप उस पर जरूर अध्ययन करें, टिप्पणी नहीं, अध्ययन करें और मैं उनकी इस दिशा में उनकी मदद करूंगा। मैं इस सदन में बहुत भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं। यह सदन दुनिया में लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है। मैं दुनिया के इस सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर में भरोसे और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जो भी मैंने कहा है, वह मैंने बहुत संज्ञानपूर्वक एक-एक शब्द कहे हैं।

श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने कहा कि आप अध्यादेश क्यों लाए। आप एक ओर कह रहे हैं कि पद रिक्त हैं, दूसरी ओर कह रहे हैं कि आप अध्यादेश क्यों लाए। सच तो यह है कि उच्च शिक्षा में केन्द्र सरकार के विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों और प्राइवेट विश्वविद्यालयों, टोटल सभी को देखा जाए तो वर्ष 2017-18 में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों के पदों की रिक्तता पीछे से चली आ रही है। पूरे देश में कुल 14,07,373 स्वीकृत पदों के विपरीत 10,62,659 पद पदासीन हैं और 3,44,714 पद रिक्त हैं। इसमें भी, जो संस्थान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के सीधे अधीन आते हैं, जो उनसे पोषित होते हैं या उनके द्वारा संचालित होते हैं, ऐसे कुल 3,30,903 कॉलेज हैं, जिनमें 74,120 रिक्तियां हैं। जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें 7,000 पद रिक्त हैं, इस कानून के बनने से एक नया अध्याय शुरू होगा। मैं प्रेमचन्द्रन जी के प्रति आभार प्रकट

करता हूं, पहली बार सदन में उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। उनकी चिंता यह थी कि शैक्षणिक कार्यों में गुणवत्ता होनी चाहिए। आज इस बिल के पास होने के बाद, ये सारे रास्ते खुलते हैं और देश में शिक्षा का एक नया अध्याय शुरू होगा।

श्रीमन् आपको यह मालूम है और प्रेमचंद्रन जी ने भी इस बात को कहा है कि जिस समय इसको लाया गया था, वह अंतिम दिन था। उसके बाद उस अध्यादेश को लाए थे ताकि वह सदन में आ सके, लेकिन उस समय वह सदन में नहीं आ सका और वह व्यपगत हो गया। वह चर्चा के लिए नहीं आ पाया था। जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने पहले हमारी विशेष याचिका खारिज कर दी थी, उसके बाद जब हम पुनर्याचिका में गए तो उसको भी खारिज किया गया। क्योंकि यह शिक्षा का विषय है, पी.जी. का विषय है तो बिना किसी विलंब के कुछ ही दिनों में, इस 7 मार्च को अध्यादेश की स्वीकृति दी गई। हम यह भी कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2019 को हमारी पुनर्याचिका को रद्द कर दिया था। फरवरी 28 दिनों का महीना होता है। हमने सात तारीख से पहले तत्काल प्रभाव से अध्यादेश का मसौदा तैयार किया और भारत के राष्ट्रपति जी ने 7 मार्च, 2019 को इस अध्यादेश को स्वीकृति दी। हम कहां विलंब कर रहे हैं? जहां पी.जी. का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, वहां विलंब करने की बात ही नहीं है। आपको बधाई देनी चाहिए थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में इतने संवेदनशील हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संवेदनशीलता को बकायदा स्वीकार करना चाहिए था। जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जी ने अनुमति दी, उसी दिन गवर्नमेंट ने इसका आदेश जारी कर दिया और उसी के दूसरे दिन यूजीसी ने अपना निर्देश जारी कर दिया। यह इसका प्रमाण है कि हम शिक्षा के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हम ने घंटों और मिनटों के हिसाब से काम किया है। यहां रोस्टर की बात हुई है। मुझे लगता है कि हमारी बहन सुप्रिया जी को लगा कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद हम यह लाए हैं। नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो खिलाफ दिया। मैं ईकाई के बारे में

चर्चा कर रहा हूं कि विभागवार ईकाई को ही संस्तुति दी गई थी, हम उसके खिलाफ गए। उसके पहले यह व्यवस्था चली आ रही थी। हां, आप कुछ कहना चाहती हैं।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : वाइस चांसलर के लिए रिजर्वेशन होगा, उसके लिए आप क्या कोशिश करेंगे? आपने बॉटम ऑफ द पिरामिड में बहुत सारे नम्बर्स दिए हैं, लेकिन इवेंचुअली टॉप-ऑफ द पिरामिड वाइस चांसलर में अब कितना?

माननीय अध्यक्ष : आप आज्ञा मत दिया करें कि आप बोलें। आज्ञा देने का काम मेरा है।

…(व्यवधान)

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने एक मिनट बिना विलंब के, यह काम कोर्ट ने आदेश दिया, इसलिए नहीं किया बल्कि हम हर वादे को तोड़ कर आगे गए हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि इस समाज के अंतिम छोर पर बैठे रहने वाला व्यक्ति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग, जो आशा को बांधे हुए हैं, उनकी आशाओं पर तुषारापात न हो, इसलिए हम इस काम को बहुत जल्दी लाए हैं।

श्रीमन्, अब मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि यह कहा जा रहा है कि जब **10** प्रतिशत संविधान के **103**वां संशोधन हो गए। इसी सदन ने भारी बहुमत से संविधान के 103वें संशोधन को समर्थन के साथ स्वीकार किया और देश की सभी विधान सभाओं ने सर्वसम्मति दी। उस पर सवाल खड़ा करने का कोई विषय ही नहीं है। सर्वसम्मति और देश की सभी विधान सभाओं से आया हुआ 103वां संविधान संशोधन का विषय, उसके तहत 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को भी दिया है। राजा साहब मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है कि संविधान ने उसे इजाजत नहीं दी है। संविधान के पहले पन्ने पर ही है –

"हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्क्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठता और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प हो कर इस संविधान को इस सभा में आत्मसात् करते हैं। "

महोदय, यह संविधान में व्यवस्था है। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में समता लाना हमें संविधान ने पहले कहा है। संविधान ने निर्देश दिया है, लेकिन आपकी सरकार ने नहीं किया है तो हम क्या कर लेंगे। हमारी सरकार तो करना चाहती है और कर रही है। हम संविधान का सम्मान ही तो कर रहे हैं, इसलिए 10 प्रतिशत के लिए उस व्यक्ति को भी कहा - आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। उसकी भी वह जाति है, वह एक वर्ग है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने साफ-साफ कहा कि गरीब एक जाति है। वह पंथ निरपेक्ष, धर्म, जाति का नहीं है, गरीबी एक जाति है और जब तक उसे खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे और यहां से वह रास्ता शुरू होता है।

महोदय, मैं समझता हूं कि यह विधेयक बहुत सारे बिंदुओं को साथ लेकर चल रहा है। मोटी-मोटी बातों को यदि मैं अलग-अलग कहूंगा तो ज्यादा समय लगेगा। मैं यह जरूर चाहता हूं कि आज यहां सभी शिक्षा के क्षेत्र के लोग हैं। सुरेश भाई, मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने शिक्षक उपस्थिति, शिक्षक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 900 करोड़ रुपयों का परिव्यय अखिल भारतीय स्तर पर 25 दिसम्बर, 2014 को पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण अभियान के तहत शुरू कर दिया है। हर हालत में गुणवत्ता होनी चाहिए। अधीर रंजन जी, मैं आपको सूचना देना चाहता हूं। आपने कहा कि 200 प्वाइंट के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कोई संस्था नहीं है। आपको आज बहुत खुशी होनी चाहिए। मैं जरूर अनुरोध करूंगा कि आप एक प्रेस कांफ्रेंस करके देश के उन लोगों को बधाई दें कि आईआईटी मुम्बई, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी

बैंगलुरू 200 प्वाइंट्स से नीचे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आ चुके हैं। इसके लिए मैं इस सदन को भी बधाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि आगे आने वाले पांच वर्ष का हमने प्लान बनाया है, हर वर्ष का प्लान बनाया है और 100 दिन का भी प्लान बनाया है। हम निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में इस राष्ट्र को दुनिया के शिखर तक पहुंचाएंगे। हमारे प्रधान मंत्री जी के निर्देश में यह हमारा संकल्प है। जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करता हूं। इस बारे में यदि किसी माननीय सदस्य को अलग से भी बात करनी हो, तो मेरे पास आपने जितने सवाल उठाए हैं, उनके सारे जवाब मेरे पास हैं। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय सर्वमत से शिक्षा के विषय को एकमत से पारित किया जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : अध्यक्ष जी, यह बात मैंने पहले ही स्वीकार की है कि पोखरियाल जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन वे काफी क्रोधित होते जा रहे थे, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा। यह टिप्पणी नहीं है। आपने कभी कहा था कि एक लाख साल पहले ऋषि कणाद ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। कोई किताब भी नहीं है। आपके एचआरडी डिपार्टमेंट में यदि किसी किताब में होगा, तो हम पढ़ लेंगे। …(व्यवधान) यदि आपके पास किताब हो, तो आप सदन में सभी को किताब दे दीजिए। अभी न्यूक्लियर टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। ऋषि कणाद की बात अनुसरण करके चलेंगे।…(व्यवधान) यह आप आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को समझा दीजिए, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी।

पोखरियाल जी, आपने जो लेजिस्लेशन ड्राफ्ट किया है, मतलब 10 पर्सेंट की जो बात हो रही है, उसका कारण यह है कि आपके लेजिस्लेशन ड्राफ्टिंग में थोड़ा अंतर है। जैसे आप पैरा-टू में आइए:

> "In view of the urgency to fill up the vacant posts, and to protect the interests of the SCs, STs, and socially and educationally Backward Classes, it has become necessary to enact the legislation in the matter."

यहाँ पर आपने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज के नाम का जिक्र नहीं किया है। आपके ड्राफ्टिंग में यह गलती है। इसलिए यह सवाल जरूर उठेगा क्योंकि आप जो कह रहे हैं, आप दो तरह के यूनिट्स की बात कह रहे हैं, एक तो यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट है और दूसरा डिपार्टमेंट एज ए यूनिट है।

एक में 200 पॉइंट्स रोस्टर सिस्टम है, दूसरे में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम है।

माननीय अध्यक्ष: आप केवल सांविधिक संकल्प पर बोलें।

श्री अधीर रंजन चौधरी: यहाँ तो एससी**,** एसटी**,** ओबीसी और यूआर मतलब अनरिजर्व्ड है**,** तो इसमें ईडब्ल्यूएस कहाँ घुसेगा**?** इकोनोमिकली वीकर सेक्शन इसमें कहाँ घुसेगा**?** क्या यह ओबीसी**,** एससी या एसटी के साथ आएगा**?** यह हमारा सवाल है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य**,** क्या आप संकल्प वापस ले रहे हैं**?**

श्री अधीर रंजन चौधरी: इसका तो स्पष्टीकरण करना चाहिए। …(व्यवधान) सर, मेरा लास्ट पॉइंट है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 07.04.2017 को कहा:

> "On 7th April, 2017, the Division Bench of the Court held that by treating all teaching positions across multiple departments would be impractical and violative of Articles 14 and 16 of the Constitution. Allahabad Court decision was upheld by the Supreme Court in June, 2017."

इसलिए हम यह संकल्प प्रकट करते हैं कि हम जो भी करें, हमारे कानून को तो हमारा ज्यूडिशियरी इंटरप्रेट करेगा। इसीलिए जब ज्यूडिशियरी इसे वायलेटिव कहता है, तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, हम भी इस बिल का पुरजोर समर्थन करते हैं। यह मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही स्पष्ट कर दिया है। लेकिन, इसको आप जिस ढंग से लाना चाहते हैं, जहाँ ज्यूडिशियरी के साथ एक कांफ्लिक्ट होता जा रहा है, जैसे कि एक लेजिस्लेशन चाहते हैं और दूसरा ज्यूडिशियरी को कहते हैं, इसलिए मैं इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के लिए आपको सलाह दे रहा हूँ कि इसे 20-25 दिनों के अंदर हाउस खत्म होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में विचार-विमर्श करके सदन में रखें। यदि आप यह न मानें, तो मैं यह रिजोलूशन मूव करूँगा।

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री अधीर रंजन चौधरी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 7 मार्च, 2019 को प्रख्यापित केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षकों के काडर में आरक्षण) अध्यादेश, 2019 (2019 का संख्यांक13) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित और सहायता प्राप्त कतिपय केंद्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षकों के काडर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित व्यक्तियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों में पदों के आरक्षण का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

18.00 hrs

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, छ: बज गए हैं। अगर सभा की सहमति हो, तो सभा की कार्यवाही आधे घंटे के लिए बढ़ा दी जाए। कुछ माननीय सदस्यों के शून्यकाल के अंदर विषय छूट गए थे। अत: मैं आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही बढ़ाने के लिए आपकी सहमति चाहता हूं।

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, ठीक है।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): I wish to draw the attention of this House to the vulnerability of our country to data leakage and surveillance due to the absence of a robust data protection framework, a comprehensive protection framework.

In the age of smartphones, apps, social media and the internet, the extent of data we generate is mindboggling and it can be exploited by vested interests to engage in profiling, to make profits and for political control.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आप सब प्लीज़ बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय शशि थरूर जी, आप बोलिए।

डॉ. शशि थरूर: सर, मैं फिर से शुरू करूं या वहीं से बोलूं, जहां मैं था? …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जहां तक आपने बोल लिया है, आप उसके आगे से शुरू कीजिए।

…(व्यवधान)

DR. SHASHI THAROOR: Recently, the fellow regulators in the U.S. slapped a fine of $5.7 million on the social media App TikTok for illegally collecting data on children. The data of 8.7 million people were harvested by Cambridge Analytica. The Company, ByteDance, which owns TikTok and Hello and which runs a network of paid influences in India can impact our democratic process.

Hon. Speaker, we do not know the exact connections between these companies and foreign entities. There are reports, for example, that the Government of China receives data from TikTok through the wholly owned China Telecomm, a State-owned company. This is a national security issue. I urge the Government to introduce a comprehensive legal framework to protect our Fundamental Right to Privacy and to save our democracy.

A Data Protection Bill is long overdue. The Minister had promised it in the last Session. I would urge the Minister to kindly take this concern on board and to respond to the House.

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले एवं श्री रितेश पाण्डेय को डॉ. शशि थरूर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष: श्री उदय प्रताप सिंह।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं पुन: माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं कि कोई भी माननीय सदस्य कृपया आसन पर न आए। जो भी माननीय सदस्य कोई आवेदन या आग्रह करना चाहते हैं, वे कृपया अपना आवेदन टेबल पर दें। यह मेरा पुन: सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है। इस व्यवस्था को कायम करना है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं फिर माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं। कृपया आप सब कान पर हैडफोन लगा कर सुन लें। मेरा सभी माननीय सदस्यगणों से आग्रह और निवेदन है कि कोई भी माननीय सदस्य कृपया आसन पर आकर आग्रह न करें। किसी भी माननीय सदस्य को कोई विशेष आग्रह करना है, तो आप उसे टेबल पर लिखकर दें। आपके सब संदेश मुझ तक निश्चित समय में पहुंच जाएंगे।

श्री उदय प्रताप सिंह जी, आप बोलिए।

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हमारे देश में आरटीई - शिक्षा के कानून की ओर दिलाना चाहता हूं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सालों तक यह परंपरा रही है, इसलिए इसमें समय लगेगा।

…(व्यवधान)

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ, जो राइट टू एजुकेशन के तहत हमारे देश में अध्यापक संवर्गों को रखकर शिक्षा की जो व्यवस्था चलाई जाती है, उसमें अनुकम्पा नियुक्ति को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी जो अध्यापक संवर्ग में अचानक मृत्यु होने पर अनुकम्पा नियुक्ति मिलती है, उन्हीं व्यक्तियों की अनुकम्पा

नियुक्ति के तहत पात्रता है, जो बी.एड., डी.एड. या टी.ई.टी. कोर्स किए हुए हैं, उनको ही अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

अध्यक्ष जी, मृत्यु अचानक होती है और उसका परिजन आवश्यक नहीं है कि वह बी.एड., डी.एड. या टी.ई.टी. की पात्रता रखता हो। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि अनुकम्पा नियुक्ति पात्र व्यक्ति को प्रदान की जाए और एक निर्धारित समयावधि में वह बी.एड., डी.एड. या टी.ई.टी. करे तथा उस अनुकम्पा नियुक्ति को रेग्युलर माना जाए। क्योंकि अकेले हमारे मध्य प्रदेश में ही लगभग 1500 ऐसे अध्यापक संवर्ग के व्यक्ति हैं, जिनकी मृत्यु के कारण अनुकम्पा नियुक्ति के पद रिक्त पड़े हुए है। इसमें यह व्यवस्था और परिवर्तन हो। मृत्यु उपरांत व्यक्ति को बी.एड., डी.एड. या टी.ई.टी. करने की पात्रता होगी तो मुझे लगता है कि अनुकम्पा नियुक्ति का बेहतर लाभ मिल जाएगा और परिवार पर जो संकट आया है, उस संकट को भी दूर करने में भी मदद मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री उदय प्रताप सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुधीर गुप्ता (मन्दसौर): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अभी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी हुई है कि वर्ष 2027 तक भारत दुनिया में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में शुमार हो जाएगा। हम जानते हैं कि सीमित संसाधनों के होते हुए भारत निरंतर प्रगति कर रहा है। अशिक्षा, गरीबी, अस्वास्थजनक कारणों और पूरी ताकत से देश निपट रहा है। मगर लगातार देश की जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है, उसमें पड़ोसी देशों, बांग्लादेश और म्यांमार से भी अवैध रूप से भारत में लोग आकर निवास कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई नीतिगत फैसला देश शीघ्र ले।

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में रामगंज मण्डी से भोपाल रेलवे लाईन दशकों से लम्बित पड़ी है। पिछले समय में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने उसे अपने फास्ट ट्रैक में लिया है और निश्चित समय सीमा में पूरा करने का संकल्प लिया है। पर्याप्त बजट होने के बावजूद भी वर्तमान में भूमि अधिग्रहण से लेकर तमाम काम 4-6 महीनों से जस के तस पड़े हुए हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि मध्य प्रदेश शासन को कोई न कोई नोटिस भेजकर यह आग्रह करे कि भूमि अधिग्रहण का वहां काम पर्याप्त हो, जिससे जल्दी ही जयपुर से लेकर जबलपुर तक सामरिक दृष्टि से भी, राजस्थान से मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए भी, यह जो महत्वपूर्ण रेलवे लाईन है, जल्दी से समय सीमा में पूरी हो सके। धन्यवाद।

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर): माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझ नए सदस्य को भी अपनी बात रखने का अवसर मिला है। मैं अपने कुशीनगर क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो इस देश के नेपाल और बिहार की सीमा से लगा है। देश के आखिरी क्षेत्र में विकास की किरणें भी पहुंचते-पहुंचते मंद हो जाती हैं। हमारे कृषक गन्ने की खेती पर आधारित हैं। जिसे पहले चीनी का कटोरा कहा जाता था, वहां गन्ना किसानों की सुविधा के लिए 8 शुगर मिल्स थीं। ये पूर्व की सरकारों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गईं और 4 मिलें औने-पौने दामों पर बेच दी गईं। आज बढ़ती हुई पैदावार और घटती हुई चीनी मिल गन्ना किसानों के सामने संकट है। चूंकि हमारी सरकार का यह प्रयास है कि किसानों की पैदावार दोगुनी हो, उनकी कमाई दोगुनी हो, लेकिन एक तरफ बढ़ती पैदावार और दूसरी तरफ घटती चीनी मिले हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि एक शुगर फैक्ट्री जो बंद है, जो कपड़ा मंत्रालय के अधीन है, उसको चालू किया जा जाए या फिर ढुंढई फार्म पर एक नई मिल दे दें, जिससे गन्ना किसानों का संकट दूर हो। मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय अध्यक्ष जी, पूरा देश पानी की कमी से कराह रहा है और कल मन की बात में माननीय प्रधान मंत्री जी ने भू जल से लेकर तमाम तरीके से काम करने के

लिए सब को आग्रह भी किया है। मुझे लगता है कि जब हम पानी की कमी को देखते हुए अपने प्राचीन इतिहास को देखेंगे तो पाएंगे कि राजाओं ने कुएं, तालाब आदि बनवाए थे, जिनमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था। भारत के भूगोलीय भाग में कोई ग्लेशियर्स नहीं हैं, जिनसे पानी मिलता हो, बल्कि अधिकतर बारिश का पानी है और बारिश के पानी को रोकने के लिए अधिकांश मंदिरों में एक तालाब होता था। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जहां प्रकृति से जुड़ा हुआ धर्मस्थल हो, वहां के मंदिरों की सफाई, कैनाल और बंद बनाने का काम और साथ ही साथ उनको रीज्यूविनेट करने के काम को हम सब सांसद कर सकें, ताकि भू-जल को बढ़ा पाएं और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध करवा पाएं। साथ ही अभी गन्ने की बात हो रही थी तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस सदन को सोचना होगा कि गन्ने की खेती कितनी करेंगे। गन्ने की खेती में पानी बहुत अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है। उसकी जगह हम मिलेट्स लगा सकते हैं। महाराष्ट्र वालों को खास तौर से तकलीफ होगी, खास तौर से जो चीनी का काम करते हैं, लेकिन मिलेट्स को अधिक से अधिक उगाने से सब को ग्लूटन फ्री खाना भी मिलेगा। इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. निशिकांत दुबे और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): माननीय अध्यक्ष महोदय**,** आपने मुझे बोलने की अनुमति दी**,** इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूं।

महोदय**,** मैं दो तथ्यों का प्रस्थापन करना चाहूंगी जो मेरे संसदीय क्षेत्र भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं। पानी के अभाव की बात हो रही है। मैं पानी के मेनेजमेंट की बात करूंगी**,** प्रबंधन की बात करूंगी। कल शाम एक घंटे की बारिश भुवनेश्वर में हुई और इस तरह की वॉटर लॉगिंग हुई कि पूरी सिटी परेशान हो गई **I** The entire city came to a halt. All the traffic stopped and the residents faced

tremendous problem. सर, इसकी एक वजह है जो मैं बताना चाहूंगी क्योंकि मैंने वहां काम किया है इसलिए मैं जानती हूं। वहां 12 मेजर ड्रेन्स हैं। वहां एक गंगवा रिवर है, जिसमें इन नेचुरल ड्रेन्स का पानी गिरता है। But over a period of time, what has happened, Sir, is that a lot of encroachments have taken place. Siltation has taken place in the drains. In the Gangua river also, there is a lot of siltation. So, the natural flow of water is restricted. Water is not flowing into Gangua river. Sir, the solution to this problem is that there should be availability of financial resources. There should be appropriate technical inputs. मैं भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी कि इन दोनों को मिलकर फाइनैंशियल रिसोर्सिस लाने होंगे, टेक्निकल इनपुट्स लाने होंगे और बारिश के पानी के प्रबंधन की दिशा में काम करना होगा। यह बहुत बड़ी प्राब्लम है। This is an annual feature and we are all facing tremendous problem. So, I draw the attention of the concerned Ministry towards this.

Thank you, Sir.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी और देश के अनेकों राज्यों में उसका वितरण भी हुआ, लेकिन बहुत दुख की बात है कि मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि अभी तक नहीं दी गयी है। जब हमने मंत्रालय से पता लगाया तो यह बताया गया कि मध्य प्रदेश

सरकार ने अभी तक किसानों की सूची उपलब्ध नहीं करवायी है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में तुरन्त वितरित करवायी जाए। धन्यवाद।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर एक बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। जिसमें अकबरपुर, टांडा, जलालपुर देश की प्रसिद्ध वस्त्र उत्पादक मंडियों में से एक है। लेकिन आज मेरे क्षेत्र के बुनकरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, धागे पर जीएसटी लगने की वजह से उत्पादन दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिससे बुनकरों के माल की प्रतिस्पर्द्धा शक्ति घटी है। इसके साथ-साथ बुनकरों को आए दिन बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा धन उगाही के उद्देश्य से उनके लूम के कारखानों पर छापेमारी की जाती है। मान्यवर, इन बुनकरों को पुन: प्रतिस्पर्द्धा हेतु सामर्थ्यवान बनाने के लिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से मांग करता हूं कि वे धागे के सभी वर्गों से जीएसटी हटाने का काम करें। इसके साथ-साथ विद्युत विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ एक कम्प्लेंट सेंटर खोलने का काम करें। आखिर में, वस्त्र मंत्री से निवेदन है कि बुनकर बाहुल्य मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में एक्सपोर्ट हाउस की स्थापना करने का काम करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले को श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती की विधान सभा भिनगा, गैसड़ी व तुलसीपुर के असिंचित, पथरीली व तरीई क्षेत्र हैं, जो नेपाल बार्डर से सटे हुए हैं। वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था न होने, पीने योग्य स्वच्छ पानी न मिलने, पानी की टंकी और डीप हैंडपम्प न होने के कारण सारी फसलें सूखकर बर्बाद हो जाती हैं। इसके कारण

किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई है तथा पीने योग्य स्वच्छ जल न मिलने के कारण उन्हें अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती में सिंचाई की उचित व्यवस्था, सरकारी नलकूप, पानी की टंकी और डीप हैंडपम्प लगवाने की व्यवस्था की जाए, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी एवं पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रवासी राजस्थानियों ने देश के हर कोने के अंदर राजस्थान का मान बढ़ाया है। उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने का भी काम किया है। बड़े-बड़े उद्योगपति राजस्थान से हुए हैं। लेकिन आज जब हम बाहर जाते हैं, तो एक ही बात कही जाती है कि हमारे यहां ट्रेनों के ठहराव की सुविधाएं होनी चाहिए। मैं अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करूंगा।

महोदय, मेरे नागौर संसदीय क्षेत्र से हजारों प्रवासी चाहे मद्रास हो, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे पुणे हो, हर जगह पर उनका अच्छा बिजनेस है। लेकिन उनको अपने इलाकों में आने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं नागौर संसदीय क्षेत्र के रेलवे से जुड़ी मांगो की तरफ ध्यान आकर्षित कराते हुए यह मांग करता हूं कि नागौर को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को नियमित करते हुए उक्त ट्रेन में प्रथम श्रेणी वातानुकूलित व थ्री टीयर वातानुकूलित के कोच लगवाने तथा हिसार-कोयम्बटूर 22475/76, कोलकाता-बीकानेर 12495/96, यशवंतपुर-बीकानेर 16587/88, बीकानेर-दादर 12789/90, हिसार-सिकन्दराबाद 17037/38 के फेरे जनहित में बढ़ाने तथा ट्रेन संख्या 22497 गंगानगर-तिरुचिरापली हमसफ़र एक्सप्रेस ट्रेन का नागौर स्टेशन पर ठहराव का आदेश किया जाए। मैं बीकानेर से नागौर होते हुए पुणे की तरफ एक नई ट्रेन शुरू करने व पूर्व में सर्वे के लिए स्वीकृत पीपाड-भोपालगढ़-संखवास-मुंडवा तक नई रेलवे लाइन को मूर्त रूप देने के लिए

आवश्यक स्वीकृति जारी करने की मांग करता हूं। आप आदेश फरमाएं और जनहित के अंदर इस काम को स्वीकृति प्रदान कराएं।

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Hon. Speaker, Sir, there is a very long-pending demand before the Health Ministry from the State of Kerala that a new All India Institute of Medical Sciences should be set up in Kerala. For this purpose, the Kerala Government identified four places- Trivandrum, Kottayam, Kochi and Calicut. Lastly, the Health Minister of Kerala wrote a letter to the Central Health Minister that 200 acres of land in Calicut district is ready for construction of AIIMS in Kerala. Kerala stands first in education and health. Why is an institute like AIIMS being denied to the State of Kerala? I urge upon the Health Ministry to intervene in this matter and allow an AIIMS to be set up in the State of Kerala.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरे पास माननीय सदस्यों के बोलने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। मेरी इच्छा है कि मैं सबको बोलने का मौका दूं। अतः आप एक-एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत लोक महत्व एवं अवलंबनीय और तत्कालिक प्रश्न को आपके समक्ष उठा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सरकार इसे अपने संज्ञान में ले। नेपाल में भारत की सीमा 1,475 किलोमीटर मिली हुई है। एसेंशियल कमोडिटीज़ हो, वेजीटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, इन सभी चीजों की नेपाल को भारत की तरफ से आपूर्ति की जाती है। लेकिन पिछले दिनों से लगातार एक समस्या ऐसी ज्वलंत हो गई है कि बार्डर पर नेपाल के

अधिकारियों के द्वारा केमिकल, सब्जियों और फलों की चेकिंग के नाम पर कई-कई दिनों तक ट्रकों को खड़ा रखा जाता है, जिसके कारण फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। जबकि भारत और नेपाल के व्यापारियों के बीच में समझौता भी है, क्वारन्टीन एक्ट पर भी एग्रीमेंट हो चुका है। यह एक गंभीर समस्या है, जिसके कारण चाहे सुनौली हो या सिद्धार्थनगर, कृष्णानगर का बार्डर हो या इसी तरह से टनकपुर से रक्सौल तक के बार्डर पर ये परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और नेपाल के अधिकारियों से बात करके कम से कम उन चीजों की आपूर्ति हो।**…(**व्यवधान**)**

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्र टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, मेरा संसदीय क्षेत्र लखीमपुर-खीरी, नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है। वहां पीलीभीत से ले कर बिहार तक एक बड़ी लंबी सीमा है। वहां आवागमन खुला रहता है और दोनों तरफ के कस्बे और बाज़ारों में लोगों का आना-जाना बराबर लगा रहता है। वहां फ़ल, सब्ज़ी और मछली इत्यादि सारी चीज़ों के लेन-देन का व्यापार खूब होता है, ऐसी सभी मंडियां वहां पर हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा निर्णय नेपाल सरकार ने लिया है। उन्होंने यह कह दिया है कि लैब टैस्ट के बिना फ़ल और सब्ज़ी भारत से नहीं आ पाएंगी। जिसके कारण बॉर्डर पर हजारों ट्रकों की एक लंबी संख्या लग गई है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार इस विषय पर नेपाल सरकार से बात करे और इस मामले को हल करवाए, क्योंकि उससे व्यापारियों में आक्रोश है।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती): अध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के प्याज़ उगाने वाले किसानों की एक पीड़ा आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। आप इस पर सरकार को बोलेंगे, इसलिए मैं यहां खड़ी हुई हूँ। सर, महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे किसान हैं, मुझे अच्छा लगा कि मीनाक्षी जी ने भी किसानों के बारे में बात की है, प्याज़ उगाने वाला जो किसान होता है, उसकी होल्डिंग कम होती है और यह कम पानी में उगाने वाला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। उसकी जो कॉमर्स की सब्सिडी है, वह सब्सिडी इस सरकार ने समय से पहले बंद कर दी है। वह जुलाई तक थी, लेकिन उसको पहले ही बंद कर दिया गया है। मैं आपकी तरफ से कॉमर्स मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो प्याज़ किसानों की सब्सिडी है, वह फिर से जारी करे। जो मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट ऑफ इण्डिया स्कीम है, उसको प्लीज़ एक्सटेंड करें।

श्री बसंत कुमार पांडा (कालाहाण्डी): अध्यक्ष जी, ओडिशा के एक पिछड़े हुए जिले से मैं आता हूँ, जिसके साथ एक और पिछड़ा हुआ जिला, नवरंगपुर लगा हुआ है। वहां रेलवे लाइन बनी नहीं है, प्रस्तावित है। वह लाइन काटामांझी, खराजाखरिहार, जूनागढ़ हो कर नवरंगपुर पहुंचने वाली है। वह निर्माण कार्य तुरंत शुरू किया जाए। बरगढ़ से नयापारा भी एक रेलवे लाइन प्रस्तावित है। उसको भी तैयार किया जाए।

मैं आपके माध्यम से एक विशेष निवेदन हैल्थ मिनिस्टर से करना चाहता हूँ कि केबीके जिले, देश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। कालाहाण्डी, बोलांगीर और कोरापुट से मिल कर यह बनता है। बोलांगीर और कोरापुट में मैडिकल कॉलेज केन्द्र सरकार की सहायता से बन रहा है। कालाहाण्डी वंचित रह गया है। इसीलिए कालाहाण्डी में केन्द्र सरकार की सहायता से एक मैडिकल कॉलेज प्रतिष्ठित किया जाए, जिससे वहां सबको मैडिकल सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): अध्यक्ष महोदय, आज 17वीं लोक सभा में आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको अपने क्षेत्रवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। महोदय, आज मैं एक ऐसा विषय उठाने वाला हूँ, जिससे उत्तर प्रदेश तो पीड़ित है ही, हो सकता है कि पूरे देश के लोग भी पीड़ित होंगे। सन् 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस समय उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी और यहां पर यूपीए की सरकार थी। लोगों के साथ पक्षपात हुआ। बहुत सारे गरीब आज भी ऐसे हैं, जो माननीय प्रधान मंत्री जी की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे 'आयुष्मान भारत योजना' और 'प्रधान मंत्री आवास योजना' से वंचित रह जाते हैं। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि जो जनगणना सन् 2011 में हुई थी, सरकार उसको पुन: अति शीघ्र कराए या फिर कोई ऐसी व्यवस्था बनाए कि जो लोग वंचित हैं, उससे उन लोगों को माननीय प्रधान मंत्री जी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री भोला सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एक मल्टी-स्टेट वित्तीय सहकारी संस्था है, के बारे में आकर्षित करना चाहता हूँ। देश भर के केवल 25 लाख निवेशकों का पैसा इसमें उलझा हुआ है। अक्टूबर, 2018 से इस सोसाइटी ने केन्द्र सरकार के आदेश के कारण पेमेंट को रोक दिया है। मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि उसके खिलाफ जो भी जांच चल रही है, वह चलती रहे, लेकिन निवेशकों का, जिन्होंने अपनी जिन्दगी भर की जमा पूंजी उसमें जमा कराई है, अगर वह सोसाइटी देने के काबिल है तो कम से जिनकी परिपक्वता हो गई है, उनका भुगतान करवाया जाए। यह मेरा आग्रह है। धन्यवाद

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): सभापति महोदय, मुझे किसानों से बहुत प्रेम है, लेकिन उसके साथ-साथ जानवरों से भी प्रेम है। लेकिन एक बड़ा संकट आ गया है। खास कर के मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड और राजस्थान में नील गाय की समस्या बढ़ रही है। नील गाय की समस्या के साथ-साथ जंगली सूअर की भी समस्या है। सूअर तो वेजिटेरियन है, वह खेतों में प्रवेश कर के चाहे आलू की फ़सल हो या जो भी कंद हो, उसे बहुत नुकसान करते हैं। उसी प्रकार से एक नील गाय, जिसका वजन 200 केजी होता है, लगभग 40 केजी घास प्रति दिन खाती है। यह एक ऐसी समस्या उभर कर आ रही है, जो कि पूरे बिहार में है। मैं प्रत्येक दिन देखता हूँ कि किस प्रकार से बिहार में किसान परेशान है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे किसान के इस बड़े विषय पर चर्चा करा कर देश के किसानों को निदान दिलाए। यह मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ. निशिकांत दुबे को श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती सुनीता दुग्गल (सिरसा): माननीय अध्यक्ष जी, "वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्वघ्निं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।" मुझे 17वीं लोक सभा में पहली बार आपके आशीर्वाद से यहाँ पर बोलने का मौका मिला है। मैं यह कहना चाहूँगी कि जिस लोक सभा क्षेत्र सिरसा से आती हूँ, वहाँ पर पिछले 70 साल से कांग्रेस या फिर किसी रीजनल पार्टी के सांसद रहे हैं। पहली बार माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आशीर्वाद से वहाँ कमल का फूल खिला है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्रालय की तरफ ध्यान आकर्षित कहना चाहती हूँ कि वहाँ की जनता बहुत परेशान है। वहाँ पर रेलवे का सिस्टम ठीक नहीं है। रेल की सुविधाओं में सिरसा बहुत

पीछे है। दिल्ली और सिरसा के बीच में जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं, मैं उनका उल्लेख करना चाहूँगी। सिरसा से दिल्ली के लिए किसान एक्सप्रेस सुबह 8.15 बजे चलती है और इसके बाद 19 घंटे तक कोई रेलगाड़ी वहाँ नहीं चलती है। स्पीकर महोदय, अगली गाड़ी वहाँ सुबह साढ़े 3 बजे हरियाणा एक्सप्रेस चलती है। इसके निवारण के लिए मेरा सुझाव था कि गोरखपुर धाम एक्सप्रेस हिसार में सवेरे 10 बजे आकर खड़ी हो जाती है और शाम को साढ़े चार बजे वापस जाती है। अगर इस गाड़ी का सिरसा तक विस्तार कर दिया जाए, क्योंकि सिरसा हिसार से केवल 82 किलोमीटर की दूरी पर है। यह दूरी केवल एक घंटे में पूरी की जा सकती है। उससे उनको बहुत मदद मिल सकती है।

इसी तरह दूसरी गाड़ी कालिंदी एक्सप्रेस जो कि भिवानी तक जाती है, उसका भी विस्तार सिरसा तक किया जा सकता है। अगर रेलवे में कोई तकनीकी प्रॉब्लम है तो उसको दूर किया जा सकता है। इससे भविष्य में रेलवे को भी लाभ होगा और दिल्ली में गाड़ियों की भीड़ भी कुछ कम हो जाएगी और 15-20 लाख लोगों को इससे लाभ पहुँचने वाला है। मेरा आपसे यह आग्रह है कि रेल मंत्रालय इसको नोट करें। कृपया इसकी तरफ ध्यान दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती सुनीता दुग्गल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): The role of NRI workforce, especially Gulf Malayalees, in shaping Kerala’s economic and societal trajectory is absolutely vital. There are 2.1 million emigrants from Kerala, whose remittances increased year on year from Rs. 11,712 crore in 2000 to Rs. 85,092 crore in 2017. The NRI deposits increased from Rs. 18,724 crore in 2000 to Rs. 1,52,349 crore in 2017. The remittances were 1.2 times of the revenue receipts

of the Government and over five times the amount the State gets from the Centre as a revenue transfer.

NRI remittances comprise of over 36 per cent of Kerala's GDP. The important fact is that about 15.8 per cent of the NRI workforce is composed of females. With less than three per cent population of India, Kerala contributes four per cent to India's economy.

I am now coming to an important point. In spite of this significant contribution, the LDF-led Government has showed an inhuman and sadistic approach against the NRIs wishing to invest in Kerala. Recently, two NRIs committed suicide because of the attitude of the LDF-led Government in Kerala.…(*Interruptions*)

SHRI S. RAMALINGAM (MAYILADUTHURAI): Hon. Speaker, Sir, I represent Mayiladuthurai constituency of Tamil Nadu. There are three sugar mills in my constituency, namely NPKRR Sugar Mill, Sri Ambika Sugar Mill and Thiru Aroran Sugar Mill. The first one belongs to public sector and the other two belong to private sector. These three mills have been closed indefinitely. Henceforth, thousands of employees have been rendered jobless and are without their salaries. Moreover, the arrears for the period of seventeen months have also not been paid to them.

As a result of this, the sugarcane farmers are also affected since there was a heavy loss in the supply of their produce.…(*Interruptions*)

श्री भागीरथ चौधरी (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अजमेर के केकड़ी विधान सभा क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक भी केन्द्रीय विद्यालय स्थापित नहीं होने से क्षेत्रवासियों के छात्र-छात्राओं में रोष व्याप्त है। इस विधान सभा क्षेत्र में 51 ग्राम पंचायतें, दो नगरपालिका, दो पंचायत समिति, चार तहसील, एक उप तहसील तथा चार पुलिस थानें स्थापित हैं। इस क्षेत्र में लगभग 2,55,000 मतदाता हैं। केकड़ी शहरी मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, पं.स. कार्यालय, तहसील कार्यालय, अति. पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय, उपकोषाधिकारी कार्यालय, सहायक निदेशक कृषि कार्यालय, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 03 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं 5 निजी महाविद्यालय, 3 बीएड कॉलेज सहित 25-30 निजी विद्यालय संचालित हैं।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी को श्री भागीरथ चौधरी जी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सभा की कार्यवाही कल मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 2019 को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.31 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Tuesday, July 2, 2019/Ashadha 11, 1941 (Saka)